खण्ड-344, अंक-10
बुधवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1902
(6 अगस्त, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 791–795
प्रश्नोत्तर	.. 796–822
कानपुर जिले के कतिपय ग्रामों में चीनी व सीमेन्ट वितरण में अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना	823
सीतापुर नगर में भीषण बाढ़ के कारण पक्के पुल के टूट जाने से कठिनाई के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	823
रुड़की के कन्हैया लाल पालीटेक्निक कालेज में 1980 की वार्षिक परीक्षा न होने से विद्यार्थियों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	824
श्री पंचानन द्वारा दी गयी नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	824 827
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	827–828
राजस्व मंत्री श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	828
कृषि मंत्री, श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	829
विधान सभा की समितियों तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	829–830
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं तथा बागपत काण्ड से सम्बन्धित सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	830–838
1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	839–879
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	879
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	879
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित किया गाय)	879–883
बागपत में पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या एवं एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	883–891
बत्थी	.. 892–893

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 6 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपतिमिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–375

अकबर अहमद, श्री .. नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री .. गोण्डा
अजहर इमाम, श्री .. मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री .. बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री .. कानपुर
अनवार खां, श्री .. अलीगढ़
अबुल कलाम, श्री .. आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री फतेहपुर
(उर्फ अनिल सिंह)
अमर सिंह, श्री .. सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री .. बिजनौर
अम्बा प्रसाद, श्री .. बरेली
अम्बिका सिंह, श्री .. बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री .. सीतापुर
अलमेंलु अम्माल कुमारी .. बस्ती
अशफाक अहमद, श्री .. बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री .. आगरा
इन्द्रजीत, श्री .. फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी एटा
ऊदल, श्री .. वाराणसी
ए0 सी0 आइस, श्री नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री ललितपुर
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री लखनऊ

कमला दरियाबादी, श्रीमती कानपुर
कमला देवी, श्रीमती .. हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती .. बस्ती
कल्यान सिंह, श्री .. बरेली
कल्लू राम, श्री .. मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री बलिया
किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री चमोली
कुबेर, श्री .. देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री राय बरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर आगरा
केदार, श्री .. आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री .. गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री जौनपुर
केशोराम, श्री .. बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री .. एटा
कैलाश टण्डन, श्री .. वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री .. गोरखपुर
खरपत, श्री .. वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री .. फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री .. देवरिया
खुर्शीद अहमद, श्री .. मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री .. बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री .. टिहरी गढ़वा
खैरुल बशर, श्री .. आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री .. अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री .. कानपुर

गजेन्द्रसिंह, श्री .. इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री .. बाराबंकी
गया सिंह, श्री .. उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री .. देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री .. आगरा
गुलाम नबी, श्री .. आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती .. बस्ती
गोपाल राम दास, श्री .. अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री .. उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री .. इटावा
गोवरधन, श्री .. अल्मोड़ा
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री .. इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री .. बलिया
चंचल सिंह, श्री .. रामपुर
चन्दन सिंह, श्री .. मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री .. बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री .. आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री .. पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री .. लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री .. मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री .. पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री .. पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री .. बरेली
छत्तर सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री .. खीरी
छेदी लाल, श्री .. गोण्डा
जंग बहादुर, श्री .. जौनपुर
जगदीश सिंह, श्री .. मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री .. बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री .. गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री .. खीरी
जयदीप सिंह, श्री .. बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री .. अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री .. मथुरा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री .. फैजाबाद
जीराम सिंह मौर्य, श्री .. मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री .. सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री .. गाजीपुर
तपेश्वर, श्री .. आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री .. खीरी
तेज बहादुर, श्री .. जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री .. पीलीभीत

त्रिवेनी, श्री .. आजमगढ़
थम्मन सिंह, श्री .. बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री .. मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री .. जालौन
दल सिंगार, श्री .. आजमगढ़
दीनानाथ, श्री .. बस्ती
दीपक, श्री .. मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री .. गोण्डा
दीपू, श्री .. आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री .. देवरिया
दूधनाथ, श्री .. आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री .. बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री .. सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री .. कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री .. देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री .. इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती .. वाराणसी
धरमपाल, श्री .. बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर .. अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
धुप राय, श्री .. देवरिया
नकली सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री .. हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री .. देवरिया
नन्द राम, श्री .. बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री .. पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री .. पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री .. हरदोई
नाजिर अली, श्री .. शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री .. प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) .. बलिया
निर्मल कुमार, श्री .. फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह श्री .. एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी .. इलाहाबाद
पन्ने लाल, श्री .. गोरखपुर
परमाई लाल, श्री .. हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री .. बस्ती
परवीन कुमार, श्री .. बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री .. सीतापुर
पहलवान, श्री .. जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती .. बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री .. मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री .. अलीगढ़

प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री ..	जौनपुर
प्रियदर्शी जेतली, श्री ..	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती ..	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती ..	लखनऊ
फखरे आलम, श्री ..	बदायूं
बंशीधर, श्री ..	रामपुर
बंशीधर राज, श्री ..	खीरी
बच्चा पाठक, श्री ..	बलिया
बदन सिंह, श्री ..	आगरा
बनवारी राम, श्री ..	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री ..	बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री ..	इटावा
बलवीर सिंह, श्री ..	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री ..	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री ..	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री ..	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री ..	गोण्डा
बाबू लाल, श्री ..	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री ..	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री ..	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री .	फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री ..	बुलन्दशहर
बृज किशोर, श्री ..	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती ..	झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री ..	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री ..	बदायूं
ब्रह्म दत्त, श्री ..	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भागीरथ, श्री ..	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री ..	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री ..	देवरिया
भीखा लाल, श्री ..	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री ..	कानपुर
भूपसिंह, केन, श्री ..	गाजियाबाद
भृगुनाथ, श्री ..	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री ..	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री ..	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफश्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोडा
महाबीर सिंह, श्री ..	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री ..	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती ..	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री ..	आगरा
महेश प्रसाद, श्री ..	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री ..	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री ..	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री ..	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री ..	गोण्डा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री ..	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री ..	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री ..	बदायूं
मुईद अहमद, श्री ..	सुल्तानपुर
मुंशी लाल, श्री ..	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री ..	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री ..	रामपुर
मोती लाल देहलवी, श्री ..	कानपुर
मोहन लाल, श्री ..	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री ..	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोण्डा
मोहम्मद नबी, श्री ..	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वशीम, हाजी ..	राय बरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	बाराणसी
यशपाल सिंह, श्री ..	बुलन्दशहर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर ..	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री ..	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुवीर सिंह यादव, श्री ..	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री ..	झांसी
रती राम, श्री ..	बिजनौर
रमा कान्त मिश्र, श्री ..	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री ..	राय बरेली
राज किशोर राव, श्री ..	बहराइच
राज कुमार राय, श्री ..	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती ..	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री ..	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री ..	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री ..	झांसी

राजेन्द्र कुमार गुप्त ; श्री .. सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री .. इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री .. अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री .. फर्रुखाबाद
राधश्याम पटेल, श्री .. इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री .. फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री .. बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री .. हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री .. हरदोई
राम करन, श्री .. वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री .. आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री .. सीतापुर
राम कृष्ण , श्री .. मुरादाबाद
राम गोविन्द , श्री .. बलिया
राम चन्द्र, श्री .. वाराणसी
राम चरण, श्री .. मिर्जापुर
राम जनम, श्री .. वाराणसी
राम जी राम, श्री .. फैजाबाद
राम धनी, श्री .. गाजीपुर
राम नरायन, श्री .. गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री .. प्रतापगढ़
रामपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री .. फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री .. जालौन
राम प्रसाद, श्री .. मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री .. खीरी
राम यश सिंह, श्री .. सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री .. सीतापुर
राम लाल, श्री .. सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री .. हरदोई
राम शिरोमणि, श्री .. जौनपुर
राम समुझावन, श्री .. जौनपुर
राम सिंह, श्री .. सहारनपुर
राम सिंह, श्री .. सुल्तानपुर
राम सिंह रावल, श्री .. एटा
राम सिंह खन्ना, श्री .. बरेली
राम सेवक, श्री .. सुल्तानपुर
राम स्वरूप, श्री .. सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री .. कानपुर
राम हर्ष, श्री .. गाजीपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री .. बहराइच
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री .. बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री .. बांदा
रिजवानुर्रहमान, श्री .. बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
रूप राम, श्री .. शाहजहांपुर

रूल्हासिंह, श्री .. सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री .. एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री .. मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री .. प्रतापगढ़
लालसा, श्री .. आजमगढ़
लोकपति, श्री .. मिर्जापुर
लोकमणि, श्री .. मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री .. प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री .. लखनऊ
विजय पाल , श्री .. गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री .. इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री .. गाजीपुर
विजय सिंह, श्री .. मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री .. आगरा
विद्या भूषण, श्री .. मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री .. टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार, श्री .. पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री .. फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती .. सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री .. कानपुर
विशन लाल, श्री .. बिजनौर
विश्राम दास, श्री .. इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री .. मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री .. गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री .. सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर .. गाजियाबाद
वृद्धि नरायन, श्री .. वाराणसी
शम्भूनाथ, श्री .. आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री .. मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री .. बांदा
शिव दर्शन, श्री .. रायबरेली
शिव नरेश, श्री .. बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिव प्रताप सिंह, श्री .. बांदा
शिव बालक, श्री .. रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री .. मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री .. अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शौनाथ सिंह, श्री .. बिजनौर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री .. बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री .. बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री .. इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री .. बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री .. वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री .. सुल्तानपुर

संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	.. वाराणसी	सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	.. बस्ती
संजय सिंह, श्री	.. सुल्तानपुर	सुरेन्द्र सिंह, श्री	.. गाजीपुर
सईदुल हसन, श्री	.. बुलन्दशहर	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	.. अलीगढ़
सच्चिदानन्द, श्री	.. उन्नाव	सुरेश दत्त पालावाल, श्री	.. जालौन
सतीश अजमानी, श्री	.. खीरी	सुल्तान सिंह, श्री	.. मुरादाबाद
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	.. इलाहाबाद	सूबेदार सिंह, श्री	.. मैनपुरी
सत्यपाल सिंह, श्री	.. शाहजहांपुर	सूरजभान, पंडित	.. अलीगढ़
सन्त बक्स रावत, श्री	.. लखनऊ	सूर्यनाथ, श्री	.. जौनपुर
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	.. बदायूं	सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	.. मेरठ
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	.. प्रतापगढ़	सोमांश प्रकाश, श्री	.. मुजफ्फरनगर
सरदार सिंह, श्री	.. मथुरा	स्वामी नेमपाल, श्री	.. बुलन्दशहर
साहब सिंह, श्री	.. गाजीपुर	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	.. हमीरपुर
सीताराम निषाद, श्री	.. फैजाबाद	हंसराज सिंह वर्मा, श्री	.. एटा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	.. इटावा	हरदेव, श्री	.. बलिया
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	.. गाजियाबाद	हरनारायन सिंह, श्री	.. राय बरेली
सुग्रीव सिंह, श्री	.. देवरिया	हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	.. बांदा
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	.. ललितपुर	हरिद्वार पाण्डेय, श्री	.. गोरखपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	.. राय बरेली	हरि प्रसाद, श्री	.. उन्नाव
सुनील शास्त्री, श्री	.. गोरखपुर	हरि सिंह, श्री	.. बुलन्दशहर
सुन्दर सिंह, श्री	.. बहराइच	हरीशंकर, श्री	.. हरदोई
सुरेन्द्र कपिल, श्री	.. सहारनपुर	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद	हेमचन्द्र निमेष, श्री	.. मेरठ

नोट:—मुख्य मंत्री श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बुधवार, 6 अगस्त, 1980

प्रदेश में रक्षात्मक सिंचाई एवं उत्पादक सिंचाई परियोजनाएं

*1--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस सरकार की नीति सिंचन योग्य असिंचित भूमि को रक्षात्मक सिंचाई (प्रोटेक्टिव इर्रीगेशन) देने की है या उत्पादन सिंचाई (प्रोटेक्टिव इरीगशन) ? क्या यह सही है कि अब तक सरकार प्रदेश में रक्षात्मक सिंचाई का ही प्रबन्ध करती रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

प्रचलित नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनायें रक्षात्मक सिंचाई (प्रोटेक्टिव इरीगशन) प्रदान करने के लिए बनाई जाती थी। अब इनमें उत्पादक सिंचाई भी करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्पादक सिंचाई का प्रयास किया जा रहा है, उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह इर्रीगेशन के अनुसार बनाई जा रही है। मान्यवर, अब जो फसलें हो रही हैं, उनको 4-5 पानी देना पड़ता है। फसल को बढ़ाने के लिये। हम पानी को बढ़ान का प्रयास कर रहे हैं। गण्डक, शारदा सहायक आदि पर इस तरह का प्रयास कर रहे हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवैल्स हैं, डेढ़ क्यूसिक पानी पर 2 सौ एकड़ की सिफारिश की है। अभी तक 3 सौ एकड़ सिंचाई ट्यूबवैल्स पर है। क्या सरकार इस यवस्था को प्रोडक्टिव योजना को लागू करने के लिये इसमें 2 सौ एकड़ करने जा रही है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही ट्यूबवल्स लगाय जा रहे हैं, लेकिन स्टेट ट्यूबवैल्स अलग लगाये जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवैल्स उसी के अनुसार लग रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंमाननीय मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित यह जानना चाहूंगा, यह बात सही है कि अभी इससमय राजकीय नलकूपों के लिये 3 सौ एकड़ न्यूनतम चाहिये। मंत्री जी न कहा शारदा सहायक, गण्डक की योजना बढ़ाई जा रही है लेकिन नलकूप के बढ़ाने से पानी नहीं बढ़गा बिजली नहीं मिल रही है, वाटर लवेल नीचे जा रहा है। 3 सौ एकड़ के नियम

है,उसमें कम करने की बात मान ली जाय, आप 2 सौ एकड़ कर देंगे, तो 100 एकड़ जो बीच में बच रहेगा, उस पर तो आप दूसरा ट्यूबवैल्स लगायेंगे, नहीं तो वह असिंचित पड़ा रह जायेगा क्या इस समस्या के समाधान के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, बात सही है 3 सौ एकड़ से ज्यादा एरिया होता है, इतने एरिया को सिंचाई नहीं कर पाते हैं । अब प्रयास यह किया जा रहा है कि इसका कमाण्ड एरिया कम किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मान्यवर, यह तो सही है कि 300 एकड़ को कम करके 200 एकड़ कर दें, लेकिन इसके बीच में जो 100 एकड़ बचेगा उसका क्या होगा, उस पर आप दूसरा ट्यूबवैल्स तो देंगे नहीं । उनके लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है । क्या ऐसे बचे हुये शेष भाग में छोटे नलकूप लगाने की सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

मान्यवर, स्टेट ट्यूबवैल्स अलग लगाये जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक अलग लगा रहे हैं । गवर्नमेन्ट की योजना है कि माइनर एरीगेशन की स्कीम में उनकी सिंचाई की व्यवस्था की जा सके ।

श्री राम स्वरूप वर्मा --

माननीय मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित, मैं यह जानना चाहता हूं कि दो तरह के ट्यूबवैल्स हैं, कुछ स्टेट के और कुछ वर्ल्डबैंक के, तो क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट कर सकेंगे कि यह प्रश्न इसलिये कर रहा हूं कि अधिक सिंचाई स्टेट ट्यूबवैल्स से हो रही है । अगर सरकार इस पर प्रोडक्टिव एरीगेशन लागू करेगी, तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो क्या सरकार बता सकती है कि कितनी संख्या में वर्ल्ड बैंक की ट्यूबवैल्स है, जिसमें 2 सौ एकड़ को एरिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

दो स्कीम है । जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम आ रही है, उसमें लाइन अन्डर ग्राउण्ड बिछाई जाती है, इससे पानी का सिपेज नहीं होता, पानी बेकार नहीं जाता । हमारे स्टेट ट्यूबवैल्स कम कास्ट पर है । वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवैल्स ज्यादा कास्ट के हैं । इसलिए यह विचार करके क्या हो सकता है, किया जायेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार के कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां पर इस योजना को कैसे कार्यान्वित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जहां सिंचाई सुविधा 47 प्रतिशत कम हो पायी है । 55 प्रतिशत हैं । ज्यादा व्यवस्था नहीं कर पाये हैं । सरकार इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रयास करेगी ।

श्री रियाज़त हुसैन --

300 एकड़ का जो एरिया है, वहां पर बाज-बाज में 4-4 सौ, 5-5 सौ एकड़ भी हैं वहां पर वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम लागू होगा, तो क्या 200 एकड़ को पूरा करने के लिए जो कमाण्ड एरिया है, उसमें से 100 एकड़ जो बचती है, वहां भी दो सौ एकड़ वाले ट्यूबवैल और हो सके ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसलिए सम्भव नहीं है, कि जो ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं, वहां सीधी लाइन लेकर बिजली दी जा रही है, जो पैसा है, उसको कैसे यूटीलाइज किया जाये, ऐसा किया जा रहा है।

श्री ऊदल--

पहले नलकूप का कमाण्ड क्षेत्र 1 हजार एकड़ तक था, फिर बाद में 8 सौ, 6 सौ, 5 सौ हुआ और अब 3 सौ किया गया, लेकिन अब 200 है। इसलिए जो 100 एकड़ बचा, और उस समय जब एक हजार बारह सौ एकड़ था, 25 फीसदी लगे होंगे, तो सिंचाई योजना को देखते हुए जैसी कि उनकी रिपोर्ट है, उसका पूरा का पूरा सर्वेक्षण करायेंगे ताकि पूरे ट्यूबवैल लग जाएं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो स्टेट ट्यूबवैल्स लगे हैं, बार-बार चेंज होता रहा, यह सही है। धीरे-धीरे नलकूप, जो हैं उनका डिस्चार्ज कम होता जाता है, फिर बाद में बदलना पड़ता है, इसीलिए जैसा हम चाहते हैं, सूखे में खेत को पानी नहीं दे पाते हैं और यदि कमाण्ड एरिया कम किया जायेगा, तो देखना होगा कि यह कैसे किया जाय। हमारे रिसोर्सेज इतने कम हैं कि ज्यादा एरिया में, ज्यादा पानी दे सकें, इसलिए सरकार प्रयास कर रही है।

श्री नरेश चन्द्र--

जो ट्यूबवैल का कमाण्ड एरिया 3 सौ एकड़ होता है, उसको 2 सौ करने पर जो सौ एकड़ बचेगा, उस पर क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न हो चुका है।

श्री भीखा लाल--

शारदा सहायक परियोजना के मुकम्मल हो जाने के बाद राय बरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर जिले जो पहले उसमें लगे थे, शारदा सहायक में चले गये, इसलिए कमाण्ड एरिया कम हो गया है और पानी की मात्रा उतनी ही है, तो मौजूदा जो माइनर हैं, उनमें पानी बढ़ाने के लिए कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो पानी था, वह शारदा कैनाल में जाता था। वह इस एरिया में जहां शारदा सहायक नहीं हैं ज्यादा से ज्यादा भेजा जाय, इसकी कोशिश की जा रही है।

पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

*2--श्री राम आसरे वर्मा श्री राजेन्द्र वर्मा 'कुमार गुप्त तथा श्री जमुना प्रसाद--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत जनता शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, अनावृत्ति सहायता आदि प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उन सुविधाओं को जारी रखने में सरकार की नीति क्या है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

गत जनता शासन के दौरान पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति आदि वितरण का शासनादेश 16-10-78 को निर्गत हुआ था, जिसे जनता शासन द्वारा धनाभाव के कारण पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया। यह पूरा विषय पुनः शासन क विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 16-10-78 को यह निर्णय हुआ था कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को, छात्रवृत्ति दी जाये 7 करोड़ रुपये की जरूरत थी, 5 करोड़ बांटा गया, पूरा नहीं पड़ा, यह बतायेंगे कि क्या पूरा विषय ही विचाराधीन है। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मामला ही शासन के विचाराधीन है या पैसे के बांटने का मामला विचाराधीन है। क्या विचाराधीन है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, जिस समय जनता सरकार ने यह शासन देश किया संभवतः उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं थे कि कितनी मात्रा में पिछड़ी जाति के लोग हैं। बाद में 7 करोड़ में भी पूरा नहीं हो पाया। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत ही कुछ नियम बनाकर उसके माध्यम से उसको किया जायेगा। यह पूरा मामला सरकार देख रही है, विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बड़ा आश्चर्य है मान्यवर, साफ उत्तर नहीं है। जनता पार्टी की सरकार ने यह तो तय कर दिया था कि हम पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे। हो सकता है आंकड़े न रहे हों। मोटा अन्दाज था कि 7 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह बंट चुका है। योजना स्वीकार कर ली गयी थी। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह योजना जनता पार्टी सरकार की, यह सरकार स्वीकार कर रही है या पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मामला ही पुनर्विचार के लिये है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, विचाराधीन का प्रश्न जब आता है, तो सम्पूर्ण मामला ही विचाराधीन होता है।

श्री मित्रसेन--

एक सवाल पूछ लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब तो उत्तर आ गया कि सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है।

मित्रसेन जी आप बैठें। राजेन्द्र कुमार जी सवाल कर रहे हैं। उनके उत्तर के बारे में बात चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पूरा मामला ही विचाराधीन है, यह समझने के लिये मैं मजबूर हो जाता हूं।.....

श्री अध्यक्ष--

आप जो समझें उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह समझने के लिये मजबूर हो जाता हूं कि सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देना नामन्जूर कर दिया है। पिछड़े वर्ग के छात्रों के पास समुचित साधनों के अभाव में यह आवश्यक है कि उन्हें छात्रवृत्ति दी जाये। मैं आश्वासन चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग क छात्रों को छात्रवृत्ति दना चालू रखा जायेगा। शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो गया है, शीघ्र निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो इन्होंने दे दिया कि मामला विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कब तक विचाराधीन रहेगा ?

(श्री मित्रसेन के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप, मित्रसेन जी, बैठ जाय । मन्त्री जी को बुलाया गया है । आप न खड़े हों । हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी आप बता दें, कब-तक विचाराधीन रहेगा ? कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

विचाराधीन का मतलब कदापि यह नहीं है कि नहीं दिया जायेगा । विचाराधीन है, कुछ भी निर्णय हो सकता है ।

एक सदस्य--

निगेटिव या पाजिटिव ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

निगेटिव भी हो सकता, पाजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कराने की चेष्टा की जायेगी ।

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

पौड़ी गढ़वाल जिले की अलकनन्दा नदी पर प्रस्तावित उत्यासू बांध

*4--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के अलकनन्दा नदी पर उत्यासू में जो प्रस्तावित बांध बनाया जा रहा है, उसका सर्वे का कार्य कब आरम्भ हुआ है ? उसके सम्बन्ध में क्या ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा भी जांच कराई गई है तथा इस योजना से केवल सिंचाई के लिए पानी एकत्रित किया जायेगा अथवा इससे विद्युत शक्ति भी पैदा की जायेगी? यदि हां, तो कितने मेगावाट विद्युत् पैदा किये जाने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला पौड़ी गढ़वाल में अलकनन्दा नदी पर उत्यासू बांध के सर्वेक्षण का कार्य मुख्यतया वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ हुआ था । इस बांध के बारे में ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा जांच की जा रही है ।

इस परियोजना से सिंचाई तथा बिजली उत्पादन दोनों कार्य किये जायेंगे । प्रारम्भिक अध्ययन के अनुसार इस परियोजना से लगभग 900 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया की अभी कोई रिपोर्ट उनको प्राप्त हुई है, जिसमें बांध को स्थगित करने की कोई सिफारिश की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसमें स्थगित करने की बात हो ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आज सारा प्रदेश जो बाढ़ की चपेट में है, इसका कारण है कि पूर्वांचल में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बांध और बाढ़ से समन्वित योजना बार-बार की जा रही है, तो क्या ऐसी योजना को जब तक इस पर पूर्णतः निर्णय न हो जाय, तब तक इसमें कार्य बन्द किया जाय, ऐसा निर्णय लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, यह तो उल्टी बात कर रहे हैं । बांध बनाये जायेंगे, तो बाढ़ कम होगी ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बात बताई है,वह भारतीय और दुनिया के अन्य वज्ञानिकों की राय के खिलाफ है । मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है कि मैदानों में बाढ़ आ रही है, जब वहां बाध बन जायेगा, तो नहीं आयेगी, इसके पीछे वह किस वैज्ञानिक की राय मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अब, वैज्ञानिकों की राय क्या बता दें ?

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, तमाम भारतीय वैज्ञानिकों ने विरोध किया है । मंत्री जी बताये कि कौन से वैज्ञानिक की राय है ?

डावटर शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और कहा कि जो कुछ मैंने कहा वह मूर्खतापूर्ण बात थी, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी सूझ-बूझ के भीतर बात हो तो क्या बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के बनने के बाद उत्तर प्रदेश की बाढ़ कितनी रुकेगी ? इसके बारे में जानकारी है, उनके पास ? यदि हां, तो क्या उससे इस माननीय सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, यह तो कामनसेंस की बात है कि इन कैचमेंट से जो पानी इतना इकट्ठा होकर मैदानी इलाके में आता है, उससे बाढ़ हो जाती है । बांध से जो पानी वहां रुकेगा, तो उससे बाढ़ का प्रकोप कम होगा ।

विशेष सूखोन्मुख कार्यक्रम के अन्तगत सिंचाई योजनाएं

*5---मित्र सेन---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विगत सूखे की विकट स्थिति को देखते हुए सिंचाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु कोई अतिरिक्त योजना लागू करने के प्रश्न पर

विचार कर रही है ? प्रदेश में अतिरिक्त सिंचाई संसाधन नलकूप नहरें लगाने का क्या कोई निर्णय सरकार ने अभी हाल मे लिया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूखा एक दैवी आपदा है जिसके दुष्प्रभाव से होने वाले कष्टों को कम करने में सिंचाई परियोजनायें सहायक होती है । इसी परिपेक्ष में छठीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राजकीय सिंचाई योजनाओं द्वारा 24.13 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त, सिंचन क्षमता सृजित करने के कार्य प्रस्तावित हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त सूखे से अत्यधिक ग्रस्त प्रदेश के 6 जनपद इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा के लिये विशेष सूखोन्मुख कार्यक्रम आगामी 5 वर्षों के लिये 25.44 करोड़ रुपये के बनाये गये हैं, जिससे इन जनपदों में 59,422 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी ।

श्री मित्रसेन --

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि सूखे की विकट स्थिति को देखते हुए सिंचाई की व्यवस्था में कुछ सुनिश्चित तरीके से निर्णय लिया जायेगा और इनके राजकीय ट्यूबवेल सूखे की अवस्था में कितनी सिंचाई कर सकेंगे, यह प्रश्न किया था । नहर विभाग या ट्यूबवेल के बारे में कोई सुनिश्चित नहीं कि कितनी सिंचाई कर पायेंगे । गत वर्ष सूखा हुआ, तो आपके बड़े-बड़े नलकूप 10 बीघे की भी सिंचाई नहीं कर सके । मैंने यह जानने के लिये प्रश्न किया था कि मंत्री जी यह बता दें कि सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि की सुनिश्चित रूप से सिंचाई करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

मान्यवर, यह तो अभी बताया गया है । सूखे से संबंधित जो सवाल इन्होंने किया है, तो जो सूखे से अधिक ग्रसित क्षेत्र हैं, जो भारत सरकार ने 6 जिले माने हैं, उसके लिये एक विशेष योजना अलग से बनाई गई है । पांचवीं योजना में 23.22 करोड़ रुपया इसके लिये खर्च किया गया और छठीं योजना में 25.44 करोड़ रुपये की इसके लिये अलग से व्यवस्था है । इस वर्ष भी सूखे से प्रदेश के कुछ जिले प्रभावित हुए, उसके लिये भी कुछ योजनायें बनाई जा रही हैं 1000 करोड़ की छठीं पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा हमको मिल सकेगा, उससे हम जो कुछ हो सकेगा, करने का प्रयास करेंगे ।

श्री सूबदार सिंह --

आजादी के 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि वह हर खेत को पानी दे सके । क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी कि हर खेत को पानी सुलभ हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

उत्तर प्रदेश में 47 परसेंट सिंचाई हम कर पाये हैं और 53 परसेंट करना बाकी है । हमें इतना पैसा मिल जायेगा, तो हमें करने में क्या दिक्कत है ? हम जो रिसोर्सेज मिलते हैं, उसी के अनुसार हम अधिक से अधिक सिंचाई करने की कोशिश करते हैं ।

श्री मित्रसेन --

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शारदा सहायक शाखा सुलतानपुर या शारदा सहायक की जो दूसरी शाखायें हैं, उनके अन्तर्गत जो राजकीय नलकूप लगे है और जो अपने कमान्ड को पूरा नहीं सीच पाते हैं, उनको शारदा सहायक से सींचने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि गोमती के किनारे वाटरलेवेल बहुत नीचा है और उसके बहुत बड़े क्षेत्र में नलकूप नहीं लग सके है, तो क्या गोमती दरिया के किनारे एक लम्बेदौर म सिंचाई की किसी अन्य व्यवस्था पर आप विचार कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

शारदा सहायक नहर जो बन रही है, उसका अभी पूरा विस्तार नहीं हो पाया है । जो एरिया नहर से सिंचित नहीं हो पाएगा, वहां नलकूप लगाकर सिंचाई करने का प्रयास किया जाएगा ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन-जिन जगहों पर नहरों की बड़ी योजनायें चल रही हैं, वहां गरीब लोगों के खेतों से नहर जाती है, तो वे चिल्लाते हैं और काम में रुकावट आती है । क्या इसको देखते हुए मन्त्री जी सरकार से सिफारिश करेंगे कि इन जगहों पर तत्काल चकबन्दी कर दी जाये ताकि जमीन मिल जाये और योजना जल्दी से लागू हो जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

यह सही है कि कुछ जगह नहर बनाने में कठिनाई होती है । जगह मिलने में तमाम झगड़े भी पैदा होते हैं । इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को लिख भी चुकी है, लेकिन भारत सरकार ने इसे नहीं माना और इसको लौटा दिया ।

श्री अकबाल हुसैन ---

अभी हाल में सरकार ने कुछ जिलों को, जो सूखे से ज्यादा प्रभावित थे, उनको कुछ नलकूप आवंटित किये हैं तो क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस आबंटन का आधार क्या है, जैसे गोरखपुर के लिये 8 नलकूप और गोंडा के लिये 4 नलकूप, तो इनको किस तरह से आबंटित किया गया है, इसका आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अभी कोई आबंटन नहीं किया गया है ।

श्री घनीराम वर्मा--

मान्यवर, क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैंने 16 जुलाई को एक प्रश्न किया था कि इटावा जिले में विधूना तहसील और औरैया तहसील में जलभराव की स्थिति आ जाती है । क्या इस जल को निकासी के लिये कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष --

यह अलग से प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में बरसात में नदी और नालों में पानी बहकर बेकार चला जाता है । जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है, जैसे ललितपुर और झांसी में, तो ऐसी जगहों पर यह जो पानी बेकार चला जाता है, उसको बांध बनाकर रोकने की कोशिश करेंगे, जिससे सूखे से निपटा जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह ---

बुन्देलखण्ड में कई तरह की योजनायें बनी हैं । इसमें इस तरह की बात भी, कुछ बंधे बनाये जायेंगे, जहां पानी रोका जायगा और सिंचाई की जायगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि गंडक कमान्ड एरिया में जिसमें गोरखपुर, देवरिया आदि जिले आते हैं वहां बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पानी नहीं जाता है, तो इन योजनाओं में गंडक कमांड एरिया के उस इलाके को सम्मिलित किया जायगा, इसका आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

गंडक कमांड एरिया में कुछ एरिया ऐसा है, जहां पर कुछ माइनर और गूलें बननी हैं । इसके बाद जो एरिया बच जायगा, तो यह प्रयास किया जायगा कि ट्यूबवेल लगाकर कैसे इसको पानी दिया जा सकता है ।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि गोमती के किनारे बहुत सा भू-खण्ड ऐसा है, जहां पर ट्यूबवेल सक्सेस नहीं हैं और न वहां नहरें जा रही हैं । उस एरिया के असिंचित रहने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है । क्या इसके बारे में कोई योजना विचाराधीन है ? दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि शारदा सहायक के कमांड एरिया में जो राजकीय नलकूप लगे हैं और वह सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या उस एरिया की शारदा सहायक से सिंचाई करने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जहां तक गोमती का सवाल है, मैंने कहा कि प्रयास करेंगे कि नहर का पानी पहुंच सकता या नहीं, या और कौन सा साधन किया जाय, उसके लिये सरकार प्रयास करेगी । जहां तक राजकीय नलकूप लगाने की बात है, हमारा प्रयास है कि वहां कुछ ट्यूबवेल लगाकर, वाटर लेविल को ठीक करके, अधिक से अधिक सिंचाई का प्रयास करेंगे ।

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर चलने वाली राज्य सड़क परिवहन की बसों के उन्नाव में रुकने सम्बन्धी आदेश

*6---श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री गया सिंह---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1974 से 15 जून, 1980 तक परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रबन्धक तथा क्षेत्रीय मुख्य प्रबन्धक (लखनऊ मण्डल) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित विभिन्न क्षेत्रों व स्थानों से उन्नाव बस स्टेशन से होकर आने व जाने वाली बसों को अपने चलने वाले स्थान से उन्नाव के यात्री लेकर तथा उन्नाव में रुक कर अपने गन्तव्य स्थानों को वहां से यात्री लेकर चलने के सम्बन्ध में कब-कब और कौन-कौन आदेश पारित हुए और कब-कब यह आदेश निरस्त किये गये ? और आज कौन-कौन से आदेश प्रभावी हैं? क्या उपरोक्त सभी आदेशों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखते हुए यह बतायेंगे कि इस समय यह सारी बसें उन्नाव बस स्टेशन पर क्यों नहीं आती हैं और वहां क्यों नहीं रुकती हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

लखनऊ कानपुर मार्ग पर निगम की बसों को उन्नाव में रोकने के आदेश वर्ष 1974 से लेकर 15 जून, 1980 तक समय समय पर जारी किये गये अथवा इन आदेशों की पुनरावृत्ति की गयी । निगम मुख्यालय के 12 फरवरी, 1974 के आदेश का मई 1974 के आदेश से यह संशोधन किया गया था कि मेल सेवाओं को छोड़कर शेष सभी बसें उन्नाव में रुकें । इस समय प्रचलित आदेश के अनुसार कतिपय मेल सेवायें भी उन्नाव में रुक कर

आती-जाती हैं । इस अवधि में जारी किये गये उपलब्ध आदेशों की प्रतियां इस उत्तर के साथ संलग्न † हैं निगम की समस्त बस सेवायें उन्नाव होकर चलाना संभव नहीं है । उन्नाव बाई-पास बनाने का उद्देश्य यही है कि नान-स्टाप बस सेवायें उक्त बाई-पास से होकर चली जायं । निगम ने इस बात का ध्यान रखा है कि निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं द्वारा उन्नाव का सम्पर्क सभी महत्वपूर्ण नगरों से हो जाय । उन्नाव डिपो द्वारा संचालित समस्त गाड़ियां उन्नाव में रुककर जाती हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद---

मान्यवर, क्या परिवाहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव शहर, उन्नाव जनपद का मुख्यालय है और उसको प्रदेश से अलग न रखने के लिये जितनी बसें उन्नाव की तरफ जाती हैं, उन सबको उन्नाव में रोकने के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे?

श्री बीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, कुछ बस नान स्टाप होती हैं, जिनमें लोग चाहते हैं कि वह निश्चित स्थान पर जल्दी पहुंचे इसलिये उन बसों को छोड़कर, काफी बसों के बारे में हमने कोशिश किया है कि वह वहां रुकें । इस प्रकार 42 बसें उन्नाव से होकर जा रही हैं, तो इसमें समझ में नहीं आता है कि कोई दिक्कत होने वाली है ।

श्री भगवती सिंह विशारद---

मान्यवर, क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि 1973 से लेकर 15 जून, 1980 तक समय-समय पर लगभग 20 आदेश निगम के प्रबन्धक और सरकार को करने पड़े हैं, तो क्या कारण है कि इतने आदेश करने पड़े और उनका फिर भी पालन नहीं हो रहा है ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जो आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

*7---श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

राज्य-सड़क परिवहन निगम में हड़ताल के विरुद्ध लगाया गया प्रतिबन्ध

*8---श्री हरिवंश सहाय---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों पर छः माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो प्रतिबन्ध का का रण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

निगम की बस सेवायें जनता की सुविधा के लिये अत्यावश्यक है । इसी कारण लोक-हित में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

श्री नन्द किशोर सिंह---

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों के जो मौलिक अधिकार हड़ताल, प्रदर्शन और सत्याग्रह हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस आदेश को वापस लेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

इस तरह का कोई विचार नहीं है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रोडवेज के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की तो उनके मांग-पत्र में एक प्वाइन्ट यह भी था कि जो रोडवेज प्राइवेट बसें अनुबन्धित हैं, वह सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते हैं, जिससे सरकार की आय में करोड़ों रुपये की क्षति होती है। इसलिये रोडवेज के कर्मचारियों ने कहा यदि प्राइवेट बसों से जो अनुबन्धित हैं सरकारी आदेशों का पालन नहीं कराया जायेगा, तो हम हड़ताल करेंगे। इसलिये इसको देखकर क्या उन पर 6 महीने के लिये हड़ताल पर रोक लगा दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कोई ऐसी बात नहीं है। हड़ताल करने से जो दिक्कतें पब्लिक को होती हैं, निगम को होती हैं और चीजों को होती हैं, वह देखते हुए ऐसा किया गया था, इस बात से नहीं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वह ऐसी कोई योजना ले रहे हैं, जिसमें रोडवेज कर्मचारी भी हिस्सेदार हो जायं और यह हड़ताल का प्रश्न ही न रहे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, निगम है देखा जायगा। क्या करने से निगम और कर्मचारियों का हित होगा, वैसा काम किया जायगा।

चमोली जिले के कतिपय स्थानों पर हाईस्कूल खोलने की स्वीकृति

*9--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के तपोवन, असेड़-सिमली, जाख, रतूड़ा (कैंदारूखाल) और चमकोटलदोली तथा जिला पौड़ीगढ़वाल के मासों, श्रीकोटखाल, गंगाऊ और बिडौली आदि में नए हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति पिछली सरकार के पर्वतीय विकास मन्त्री ने दे दी थी तथा इनके सम्बन्ध में वित्त विभाग तथा शिक्षा विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी थी ? यदि हां, तो इनके सम्बन्ध में दिनांक 27 जून, 1980 तक जी0 ओ0 किन कारणों से जारी नहीं हो सका और कब तक वह जी0 ओ0 जारी होगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मामला विचाराधीन है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मेरा प्रश्न यह था कि पिछली सरकार के पर्वतीय विकास मन्त्री महोदय ने इन विद्यालयों के खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी और वित्त विभाग तथा शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी थी। इस में मात्र जी0 ओ0 निर्गत होना था। इतना लम्बा समय हो गया है, किन्तु जी0 ओ0 निर्गत होने में देरी हो रही है। अब क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह विचाराधीन रहेगा और कब आदेश निर्गत होंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र का विशेष रूप से विकास करने का विचार इसलिए किया गया था कि प्रदेश के अन्दर क्षेत्रीय असंतुलन न होने पाये और उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में इस शासन का विचार यह है कि अन्तर जिलों और अन्तर विकास खण्डों में असंतुलन विकास के सम्बन्ध में न होने पाये। यह विचाराधीन है। प्रस्ताव वित्त विभाग से क्लीयर था। इस बात की सूचना मंगाई जा रही है कि जिन स्थानों पर यह खोले जा रहे हैं, असंतुलन की दृष्टि से यह उचित है अथवा नहीं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

पिछले मंत्री महोदय ने जो स्वीकृति प्रदान की वह शिक्षा विभाग और वित्त विभाग की सहमति के अनुसार की है । इस पर वहां से पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी मालूम कर ली गयी थी । अब तो सिर्फ इस में जी0 ओ0 मंत्री जी के द्वारा जारी किया जाना है ।..

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि असंतुलन न हो इस को देखा जा रहा है ....

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार ने यह निर्णय ले लिया एक बार तो पुनः इसको विचाराधीन रखने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष--

बताया तो कि असंतुलन को दूर करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । जवाब हो चुका ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, लगता है कि श्री चन्द्र मोहन सिंह जी नेगी, मंत्री बनने के बाद दार्शनिक भी बन गये हैं और हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि विचाराधीन है । असंतुलन दूर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात प्रदेश में कर रहे हैं । मैं आप के माध्यम से मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास करने के लिये पर्वतीय विधायकों की मीटिंग हमेशा हुई है । जितने स्कूल खोलने, अस्पताल खोलने, जो भी निर्माण होता है, मान्यवर वह वहां के पर्वतीय विकास के माध्यम से होता रहा है । क्या माननीय मन्त्री महोदय इस विचार में भी आजकल डूब हुए हैं कि पर्वतीय विकास, जो बना हुआ है, उस को पहले खत्म कर के और कोई विकास करने की योजना सोच रहे हैं या जो परम्परा पहले से, आज से नहीं दस साल, ग्यारह साल पहले से बनी हुई है और एम0 एल0 ए0 के द्वारा पर्वतीय विकास विभाग के माध्यम से जिसका निर्णय होता रहा है, उस निर्णय को तोड़ने के लिये क्या आप सोच रहे हैं ? मान्यवर, मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि आज 6 अगस्त हो गई, जुलाई महीना बीत चुका है, कब स्कूल खुलगे, कब आपके आदेश जायेंगे ? क्या दिसम्बर और जनवरी में आपके आदेश जायेंगे ? मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी दार्शनिक स्थिति को कब छोड़ेंगे और कब तक व्यवहारिक रूप में आ जायेंगे तथा कब आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, उन्होंने पूछा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के सदस्यों से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये जो परामर्श लिया जाता रहा है, उसको आप जारी रखेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने सिर्फ इतना कहा था अन्तर विकास खण्डों और अन्तर जिलों में असन्तुलन न होने पाये इसलिये हमने 1-8-80 को कुमांऊं और गढ़वाल मंडल के उप शिक्षा निदेशकों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने विचार किया । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये कि कहीं पर ज्यादा स्कूल खोल दिये गये, कहीं पर कम खोले गये, हम विचार कर रहे हैं । माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि मैं काफी दिनों तक अस्वस्थ रहा । फिर भी जहां तक पर्वतीय विधायकों का सवाल है, उनकी सहमति इस सम्बन्ध में अवश्य ली जायेगी और साथ ही साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी हम बनाये रखेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक नातेगत प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इम्बैलेंस है और अधिकारियों से गलत सूचना आ गई है और गलत सूचना के आधार पर स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ तुरन्त उचित कार्यवाही करने का आप आश्वासन देंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

गलत सूचना के आधार पर मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ यह बात कही कि पहले यह पद्धति चल रही थी कि स्कूलों के सम्बन्ध में हमारे विधायकगण कहते थे कि फलां-फलां जगह स्कूल खोले जायें और उसके अनुसार विचार कर लिया जाता था। आज भी हम सहमत हैं कि उनकी राय मांगी जाय। हमारा विचार है कि अन्तर जिला और अन्तर क्षेत्र विकास असन्तुलन को रोका जाय। कहीं अधिक प्रगति हो गई है और कहीं कम हुई है। इसको दूर करने पर विचार हो रहा है और यही जनहित में है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या इन विद्यालयों को खोलने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक की राय भी मांगी गई ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, वहां से रिपोर्ट आ चुकी है.....

श्री अध्यक्ष--

आपके प्रश्न का जवाब उन्होंने दे दिया।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, आप ही हमारा संरक्षण नहीं करेंगे और मंत्री जी से उत्तर नहीं दिलायें गे, तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दे दिया।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

अगस्त का महीना चल रहा है, अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न आपने किया था, उससे भिन्न सवाल आप पूछ रहे हैं ... (व्यवधान)।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, इतना उत्तर दिला दें कि मंत्री जी कब तक आदेश प्रसारित करा देंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इस सम्बन्ध में देरी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 10/15 दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगाने की बात मैंने कही है।

*10--श्री जमुना प्रसाद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*11--श्री वृद्धि नारायण सिंह--

[2रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*12--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

*13--श्री सच्चिदानन्द--

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

*14—श्री सत्यपाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

गोण्डा जिले की तरबगंज तहसील में बाढ़ सुरक्षा योजना की मांग

*15 श्री उमेश्वर प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जिला के तहसील तरबगंज में बाढ़ सुरक्षा हेतु किसी विशेष योजना पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोण्डा की तरबगंज तहसील के क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरजू तथा घाघरा नदियों के बायें, तट पर परसपुर–धरौरा बांध निर्मित है। बांध एवं घाघरा नदी के बीच स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु कोई योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है।

*16—श्री जगदीश सिंह—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

*17—श्री सोमांश प्रकाश—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

*18—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]।

*19—श्री जगदीश सिंह—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रामपुर जेल में निरुद्ध सत्याग्रही, श्री अमन सिंह की मृत्यु

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जेल में बागपत काण्ड से सम्बन्धित एक सत्याग्रही (अमन सिंह) की अभी हाल में ही मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृत्यु का क्या कारण था ? क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

रामपुर जेल में निरुद्ध सत्याग्रही श्री अमन सिंह की मृत्यु जिला अस्पताल रामपुर में हृदयगति रुक जाने के कारण हुई। मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि श्री अमन सिंह, बागपत सत्याग्रह के सम्बन्ध में जेल में बन्द थे, जब वहां वह बन्द थे, उसी समय उन्होंने रिपोर्ट की थी कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है और बताया कि हार्ट एटैक हो रहा है, लेकिन पूरे दिन भर उनको डाक्टर प्रोवाइड नहीं किया गया और इलाज नहीं हुआ। आश्चर्यजनक बात यह है कि उनको दूसरे बन्दियों के साथ रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया और वह रोते रहे कि मुझे रामपुर मत भेजो। फिर रामपुर जाते ही उन्होंने कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरी चेष्ट में पेन हो रहा है,

---

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

तब भी डाक्टरी सुविधा प्रोवाइड नहीं की गई । पूरा दिन बीतने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और वहां जाते-जाते वह हमेशा के लिए हमारे बीच से चले गये, तो क्या यह जानकारी सरकार को है ? यदि है, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो दोषी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, 12, 13 जुलाई, 1980 की रात 12' 25 मिनट पर श्री अमन सिंह 300 व्यक्तियों के साथ रामपुर जेल दाखिल हुए । उस समय से लेकर दूसरे दिन सायंकाल तक वह ठीक थे । दूसरे दिन 5.32 पर कारागार में उनके कहने पर जब डाक्टर उपलब्ध नहीं हुआ तो कम्पाउन्डर ने सोडामिंट दिया और उसके बाद उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया और वहां इलाज चला । 7 बजे वार्डर से अध्यक्ष को सूचना दी कि उनकी हालत ठीक है । लेकिन 9.45 मिनट पर टेलीफोन आया और पता लगा कि साढ़े आठ बजे उनकी मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हो गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने जानकारी दी थी और स्मरण दिलाया था कि वह बागपत में बन्दी किये गये थे । मंत्री जी आपातकाल में जेल में रह चुके हैं तो जिस समय आदमी बन्दी होकर जेल पहुंचता है, तो तत्काल मेडिकल एक्जामिनेशन होता है तो श्री अमन सिंह ने घुसते ही यह बात कही,जिसका मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है कि मेरे चेष्ट में पेन हो रहा है । इस बात का रिकार्ड मेडिकल एक्जामिनेशन में होगा । कायदे से मेडिकल एक्जामिनेशन तुरन्त हो जाना चाहिये । क्या मंत्री जी बागपत, मेरठ जेल से जानकारी प्राप्त करेंगे क्या वहां उन्होंने रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो फिर जबरन क्यों उनको रामपुर भेजा गया और रामपुर पहुंचने पर क्यों मेडिकल एड नहीं दी गयी ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ? मंत्री जी को वहां से जो सूचना आई, उसको पढ़कर सुना दिया । क्या वह पूरी स्थिति को समझ कर इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

उपलब्ध सूचना जो है वह अधीक्षक जेल, रामपुर के माध्यम से आई है । इसकी मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई जा रही है । आपके पास अगर साक्ष्य उपलब्ध हो, तो शासन को उपलब्ध करा दें, उसको दिखला दिया जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की सरकार के संरक्षण में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता देने पर भी क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, अगर ऐसा प्रिसिडेंस होगा तो कर लिया जायगा ।

हरदोई जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

** 2--श्री नरेश चन्द्र--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरदोई के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध रु0 82,70,000 के गबन व विभाग की लापरवाही द्वारा नुकसान का आरोप-पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1980 श्री श्याम सुन्दर अग्निहोत्री ने मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 4 जुलाई, 1980 के साथ श्री श्याम सुन्दर अग्निहोत्री का शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था। आरोपों की जांच हेतु शारदा नहर, सिंचाई विभाग के एक अधिशासी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता तथा दो अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच के आदेश जारी किये गये हैं।

श्री नरेश चन्द्र---

क्या मन्त्री जी इतने अधिक धन के गबन को देखते हुए और उसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए जांच के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जो भी उचित होगा, किया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

जब इतने भारी गबन के आरोप सामने आ चुके हैं और प्राईमाफेशी केस आपके सामने आ चुका है, तो क्या आप उन अधिकारियों को सस्पेंड करने पर भी विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अभी प्राईमाफेशी केस नहीं बना है, अभी केवल शिकायत आई है और यह एक गम्भीर शिकायत है।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी इस मामले में करोड़ों रुपये के गबन को देखते हुए कोई इन्टरिम रिपोर्ट मंगाकर उसके आधार पर उनके खिलाफ सस्पेंशन के आर्डर देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह मामला सतर्कता विभाग को भेजा गया है और इसके बावजूद इसे अलग से विभागीय जांच के लिए कहा गया है और इसको देख लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इस बात को देखते हुए कि जब यह केस सतर्कता अधिष्ठान को सन्दर्भित किया गया है, तो उसके पहले इसमें डिपार्टमेन्टल इंक्वायरी अवश्य हुई होगी, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी से यह बात प्राईमाफेशी में स्पष्ट हो गई है। यदि हां, तो उनके खिलाफ इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अभी केवल 4 जुलाई को तो ही उन्होंने यह शिकायत की और यह उसमें कहा था कि इसे सतर्कता अधिष्ठान को दे दिया जाय। उसके अनुसार उसको दे दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए, यह लगता है कि मंत्री जी उससे इत्तिफाक करते हैं, तभी तो मामला सतर्कता अधिष्ठान को जांच के लिये दे दिया गया है, तो क्या अब वह इस मामले में सारे रिकार्ड्स को सीज करने के आदेश देने की कृपा करेंगे, क्योंकि मेरी जानकारी है कि सारे सम्बन्धित रिकार्ड्स टैम्पर्ड किये जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जैसा मैंने बताया विभागीय जांच के लिए भी कहा गया है कि इसको देख लिया जाए कि फैक्ट्स क्या है। अगर कोई केस वास्तव में गम्भीर है, तो उसमें हर प्रकार की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि क्या आप उसके कागजात सील-मोहर करके रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जब सतर्कता अधिष्ठान को चला गया है, तो वह ही हर प्रकार की अब कार्यवाही करेगा।

श्री नरेशचन्द्र---

सतर्कता अधिष्ठान की कार्यवाही कितने दिनों में पूरी होगी, यह निश्चित नहीं है, तो वह सभी रिकार्ड्स, जिसमें गबन के चार्जेज हैं, उनको सील करने के आदेश आप पारित करेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, ज्योंही आरोप-पत्र मिला मामला तुरन्त ही सतर्कता अधिष्ठान के पास भेज दिया गया। शिकायती पत्र सतर्कता अधिष्ठान के पास है और वे ही उस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय जांच कितने दिनों में पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

विभागीय अधिकारी जांच करने के लिये गये थे, लेकिन माननीय सदस्य का बार-बार आग्रह रहा है कि मामला सतर्कता अधिष्ठान को दिया जाय, तो जो भी उनकी रिपोर्ट होगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले की अल्लीपुर पम्प नहर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

1 --श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में अल्लीपुर पम्प कैनाल बनाने में जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी थी, उन्हें मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह ---

अल्लीपुर पम्प नहर के निर्माण हेतु जिन काश्तकारों की भूमि स्थाई रूप से अधिगृहीत की गयी थी, के मुआवजे के वितरण के लिए भूमि अध्याप्ति प्रकरण भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्रेषित किये जा चुके हैं तथा 12,113.70 रुपये की धनराशि काश्तकारों को वितरित भी की जा चुकी है। शेष भूमि के अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण की कार्यवाही भूमि अध्याप्ति अधिकारी लखीमपुर खीरी अपने स्तर से कर रहे हैं।

कनहर परियोजना, मिर्जापुर के लिये खरीदी गयी मशीनों के रख-रखाव पर व्यय होने वाली धनराशि

2 --श्री काशीनाथ मिश्र ---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कनहर परियोजना मिर्जापुर के लिए करीब पांच करोड़ की मशीनें खरीद कर रखी गयी हैं और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है ?

नोट:---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

क्या यह सही है कि उनके रख रखाव पर खर्च तथा बीस हजार रुपये प्रति दिन का अवमूल्यन हो रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मशीनों को ठेकेदारों को किराये पर देने की योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां । उन मशीनों का प्रयोग अनुसन्धान, सड़क, भवन निर्माण आदि पर लगाया हुआ है । मशीनों के रख-रखाव पर लगभग 566 रु0 प्रतिदिन का व्यय हो रहा है । मशीनें अभी प्राप्त हो रही हैं अतः अवमूल्यन का प्रश्न नहीं उठता । कुछ भूमिगत प्रोडक्शन मशीनें अन्य परियोजनाओं पर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित की जा रही हैं जहां वह कार्य पर शीघ्र लगायी जायेगी ।

कम्प्रेशन मशीनों को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को किराये पर दिया जायेगा ।

चमोली जिले की विष्णु प्रयाग परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

3---श्री कुंवर सिंह नेगी ---

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि किसी भी परियोजना में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उसी जिले के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो जिला चमोली के विष्णु प्रयाग परियोजना में जिला चमोली के कितने निवासियों को तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की गई है तथा अन्य लोगों की अपेक्षा इन पदों पर जिला चमोली के लोगों को की गयी नियुक्ति का अनुपात क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

जी हां, यह सही है कि किसी भी परियोजना के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में उसी जिले के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

विष्णु प्रयाग परियोजना पर प्रारम्भ से तृतीय श्रेणी के न्यूनतम पद नैत्यिक कोटि लिपिक व अनुरेखक के पदों पर अब तक 32 कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है, जिनमें 31 कर्मचारी जनपद चमोली के ही निवासी हैं । केवल 1 अनुरेखक सम्बद्ध जनपद पौड़ी गढ़वाल के हैं ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में परियोजना पर प्रारम्भ से अब तक 44 कर्मचारियों की नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति की गयी है और ये सभी कर्मचारी जनपद चमोली के ही निवासी हैं ।

उपर्युक्त आंकड़ों से अनुपात स्वयं स्पष्ट है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ के यातायात निरीक्षक के पद

4---श्री मसरूर जाफरी---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश, राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ के अन्तर्गत यातायात निरीक्षक ग्रेड--2 के कुल कितने स्थान हैं जिसमें अभी कितने रिक्त हैं जो भरे जाने हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

आजमगढ़ क्षेत्र में यातायात निरीक्षक ग्रेड--2 के आठ पद स्वीकृत हैं और इस समय कोई पद रिक्त नहीं है । अतः पदों के भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय इन्टर कालेज बेदीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल के भवन एवं विज्ञान प्रयोगशाला को तूफान से क्षति

5---डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत माह की आंधी तूफान के कारण राजकीय इण्टर कालेज बेदीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल की इमारतें तथा विज्ञान विभाग की लेबोरेटरी की कितनी क्षति पहुंची है और शिक्षा सत्र आरम्भ (5 जुलाई, 80) होने से पूर्व इनकी मरम्मत के लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ? क्या वह इमारतें व विज्ञान की लेबोरेटरी ठीक कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

गत 3 जून, 1980 को तूफान के कारण राजकीय इन्टर कालेज बेदी खाल के मुख्य भवन तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं की छतों को क्षति हुई है और साथ ही अनुमानतः 4,200 रु0 की लागत की रसायन विज्ञान की सामग्री भी क्षतिग्रस्त हुई है। क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के कार्य केआंगणन बनवाये जा रहे हैं। आंगणनों के आधार पर भवनों की मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जावेगी।

गोरखपुर जिले में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किये गये ठेकेदार, श्री राम सिंह

6 ---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र तारीख 18 अप्रैल, 1980 संख्या सी0 आर0 -151/वि-4/80 द्वारा ठेकेदार श्री श्री राम सिंह, गोरखपुर को ब्लेक लिस्ट घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह ---

जी हां।

प्रश्नगत ठेकेदार ने निम्न श्रेणी की ईंटों की ढुलाई कर शासन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया था।

ब्लैक लिस्ट करने के आदेशों को उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक प्रमुख अभियन्ता द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

देवरिया जिले को कोइलसवा माइनर को सुमही बुजुर्ग-चकिया गूल का निर्माण

7---श्री हरिवंश सहाय---

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद के फाजिलनगर ब्लाक में कोइलसवा माइनर से ग्राम सुमती बुजुर्ग के पास से कोई गुल निकालकर ग्राम चकिया होते हुए जाने वाली है ? यदि हां, तो उसकी खुदाई कब से प्रारम्भ होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

देवरिया जिले के फाजिलनगर विकास खण्ड में कोइलसवा माइनर पर लगे कुलावा नं0 7 बायीं पटरी पर ग्राम सुमही बुजुर्ग (सुमती बुजुर्ग) से ग्राम चकिया तक एक गूल का निर्माण वर्ष 1974 में कराया गया था। अब और कोई कार्य कराये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जिला उन्नाव शारदा नहर के ठेकेदार श्री कालीशंकर पाल ठेकेदार का भुगतान

8---श्री राम आसरे वर्मा- --

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला उन्नाव खंड शारदा नहर, छठां उपखंड के श्री उदय बहादुर सिंह आदि कई ठेकेदारों के कार्य का सम्मिलित भुगतान श्री कालीशंकर पाल ठकेदार को जूनियर इंजीनियर, श्री गंगासेवक वर्मा द्वारा किस आधार पर कराया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सभी ठेकेदारों को उनका वास्तविक भुगतान करायेगी ? तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

श्री काली शंकर पाल, ठेकेदार को उनके द्वारा कार्यादेशों पर किये गये कार्य का ही भुगतान किया गया है । किसी अन्य ठेकेदार द्वारा किये गय कार्य का भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम नवतार, जिला देवरिया के निवासियों को ग्राम बोधी छापर में बसाने की व्यवस्था

9---श्री कुबेर ---

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1971 में बड़ी गण्डक की बाढ़ से कुप्रभावित ग्राम नवतार, तहसील हाटा, जिला देवरिया के ग्रामीणों को तत्कालीन शासन द्वारा बोधी छापर ग्राम, जिला देवरिया में बसाने की व्यवस्था की गयी थी तथा शासन की नयी व्यवस्था में बसे हुए ग्रामीणों को असामाजिक लोगों द्वारा उत्पीड़न करने की जानकारी वर्ष 1979-80 में शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उत्पीड़न से बचान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उन्नाव खंड, शारदा नहर के ठेकेदारों से कराया गया कार्य एवं भुगतान की गयी धनराशि

10 ---श्री राम आसरे वर्मा ---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उन्नाव, खण्ड शारदा नहर, छठां उपखड में कितने ठेकेदारों से वर्ष 1979-80 में कितना कार्य कराया गया ? क्या सभी को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

वर्ष 1979-80 में 63 ठेकेदारों से 14,94,811.00 रुपये का कार्य कराया गया । उपरोक्त कार्य हेतु वर्ष 1979-80 में 14,90,287.00 रुपये का भुगतान किया गया है । केवल 4,524.00 रुपये का भुगतान करना अवशेष है । ठेकेदारों को जो भुगतान किया गया है उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 92 पर)

सीतापुर जिले में परिवहन निगम के वर्कशाप का निर्माण

11---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में बन रहा परिवहन कर्मशाला कब तक बनकर तैयार हो जायगी तथा कर्मशाला कब तक चालू हो जायगी ? कब तक चालू हो जाना चाहिय था ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सीतापुर में बन रही नई डिपो कर्मशाला का निर्माण माह सितम्बर, 1976 में प्रारम्भ कराया गया था। बजट के अनुसार इस वर्कशाप का निर्माण कार्य लगभग दो वर्षों में पूरा कराये जाने का प्राविधान रखा गया था। मार्च, 80 तक इस वर्कशाप के आवश्यक निर्माण कार्य पूरे कराये जा चुके थे। विद्युत विभाग से बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है। इण्डियन आयल कारपोरेशन इस वर्कशाप में डीजल पंप लगाने का काम अभी पूरा नहीं कर सका है। इसी कारण इस वर्कशाप में काम चालू नहीं किया जा सका है। आशा है कि बिजली का कनेक्शन और डीजल पंप स्थापित होने का कार्य लगभग तीन माह में पूरा हो जायगा तथा वर्कशाप में इसके बाद काम करना प्रारम्भ हो जायेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के लिये प्रस्तावित सड़कें

12---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सा0 नि0 विभाग द्वारा कौन-कौन मोटर मार्ग निर्माणार्थ प्रस्तावित हैं ? उनमें से किस-किस मांग के आगणन शासन को प्राप्त हो चुके हैं और जिनके आगणन प्राप्त हो चुके हैं उनमें से किन-किन पर वर्ष 1980-81 में निर्माण कार्य आरम्भ होगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

छठी पंचवर्षीय योजना की रचना का कार्य अभी शुरू ही हुआ है। अतः उक्त योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली नयी सड़कों की सूची उपलब्ध कराने तथा आगणन स्वीकृत करने की स्थिति बताने का प्रश्न नहीं उठता।

13---डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

[4थें बुधवार के लिये स्थगित।]

14---श्री राम आसरे वर्मा---

[पुनरावृत्त के आधार पर निरस्त।]

उन्नाव जिले के विकास खंड सुमेरपुर व बीघापुर में निर्मित नलकूप

15---श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के बीघापुर और सुमेरपुर विकास खण्ड में वर्ष 1979-80 तक अलग-अलग कितने-कितने और किन-किन गांवों में नलकूप लगे हुए हैं ? इन नलकूपों में से कौन-कौन नलकूप ठीक चल रहे हैं और कौन-कौन से बिगड़े पड़े हैं ? क्या यह सही है कि सुमेरपुर ब्लाक के ताजकपुर तथा कीरतपुर ग्रामों में दो वर्ष पूर्व से नलकूप लगाने का जो कार्य प्रारम्भ किया गया था। वह आज तक नहीं हो पाया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्नाव जनपद के विकास खण्ड बीघापुर के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 तक निम्नलिखित नलकूप उनके सम्मुख लिखे गांवों में लग चुके थे :

क्रम सं0	कूप संख्या एवं ग्रुप	ग्राम का नाम
1	2	3
1	7 पुरवा	.. झगरपुर
2	8 पुरवा	.. बाराहहरदों
3	9 पुरवा	.. कुतुबद्दीनगढ़ेवा
4	10 पुरवा	.. पांडेपुर
5	13 पुरवा	.. राजापुर

विकास खण्ड सुमेरपुर के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 के पूर्व कोई नलकूप नहीं था । इस ब्लाक में निम्नलिखित नलकूपों का निर्माण हुआ है :

क्रम सं0	कूप एवं ग्रुप	ग्राम का नाम
1	2	3
1	14 पुरवा	.. कीरतपुर
2	15 पुरवा	.. ताजकपुर

इन नलकूपों में से कोई भी नलकूप बिगड़ा नहीं है । केवल विकास खण्ड बीघु पुर के गांव झगरपुर तथा कुतुबद्दीनगढ़ेवा में स्थित नलकूप संख्या 7 और 9 क्रमशः रेत दे रहे हैं एवं इनका निकास कम हो गया है जिस पर निकास बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है। नलकूप 13 पुरवा का छिद्रण नवम्बर, 1979 में हुआ है उस पर निर्माण कार्य चल रहा है । यह सही नहीं है कि सुमेरपुर ब्लाक के ताजकपुर तथा कीरतपुर ग्रामों में दो वर्ष पूर्व से नलकूप लगाने का जो कार्य प्रारम्भ किया गया था वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है इन ग्रामों में नलकूपों का छिद्रण नवम्बर, 1979 में किया गया था जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है।

16—श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर हटाया गया ।]

श्री ओम प्रकाश शर्मा, स्टेनोग्राफर नरोरा डिवीजन, लोअर गंगा कैनाल, अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

17—श्री शिवराज सिंह—

क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि 21 मार्च, 1978 में श्री ओम प्रकाश शर्मा, स्टेनोग्राफर, नरोरा डिवीजन, लोअर गंगा कैनाल अलीगढ़ के विरुद्ध श्री प्रदीप कुमार , गांव बरोठा (हरदुआगंज),जिला अलीगढ़ द्वारा एक शिकायत की गयी थी जिसमें श्री शर्मा पर कई आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित शिकायत पत्र में श्री शर्मा के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें जैसे कार्य न करना, फर्जी यात्रा भत्ता बनाना, अनाधिकृत रूप से अलीगढ़ में मकान बनवाना, आदि थी। विभाग से सम्बन्धित शिकायतें जांचोंपरान्त सही न पायी जाने के कारण शिकायती पत्र को निक्षेप कर दिया गया ।

18---श्री विद्यासागर नौटियाल---

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद मार्ग के रजपुरा ग्राम का बस स्टाप

19---श्री सत्यपाल सिंह---

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 23-9-76 या इसके आस-पास आर0 एम0 बरेली ने जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद मार्ग पर रजपुरा ग्राम में फेयर बस स्टाप प्रारम्भ करने की अनुमति दी थी ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त आदेश का पालन न होकर फेयर बस स्टाप प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार उपरोक्त आदेश को तत्काल कार्यान्वित करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

फेयर बस स्टाप से यह आदेश केवल मीरानपुर कटरा, बरेली से जलालाबाद, शाहजहांपुर से मीरानपुर कटरा वाया जलालाबाद की सेवाओं केलिये दिये गये थे। वैसे रजपुरा मुख्यतः 'प्रार्थना पर' बस स्टाप रहा ।

दिनांक 30-7-80 से रजपुरा फेयर बस स्टाप सभी बसों के लिये घोषित कर दिया गया है। वहां से 30-7-80 से टिकटों के बिक्री भी शुरू को गयीं है ।

कारागार विभाग के सम्परीक्षा संगठन में रिक्त पद

20---श्री बिहारीलाल तथा श्री गोपाल रामदास---

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में सम्परीक्षा हेतु शासन ने कोई योजना स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो कब ? वह योजना क्या थी और उससे क्या प्रगति हुई ? इस योजना के अन्तर्गत कितने पदों पर नियुक्ति की गयी है और कितने पद अभी रिक्त हैं ? और इस कार्य को पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

कारागार विभाग में विभागीय सम्परीक्षा हेतु कारागार महानिरीक्षक के अधीनस्थ एक सम्परीक्षा संगठन स्वीकृत हैं। यह संगठन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है जिसका उद्देश्य जेल मैनुअल के प्रस्तर 1382 के प्राविधान के अनुसार जेल, कारखानों तथा निर्माण कार्यों के लेखों का सम्परीक्षा करना है। तदनुसार सम्परीक्षा संगठन द्वारा सम्परीक्षा कार्य सम्पादित किया जाता है। इस संगठन के अन्तर्गत कुल 14 पद स्वीकृत हैं जिसमें से सम्प्रति वरिष्ठ सम्परीक्षक का एक तथा टंकक के दो पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जालौन जिले के राजकीय नलकूप

21—श्री शंकर सिंह –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में इस समय कितने सरकारी नलकूप ऐसे हैं जो मोटरें उपलब्ध न होने के कारण चालू नहीं हो पा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जालौन में ऐसा कोई राजकीय नलकूप नहीं है जो मोटर (पम्पसेट) उपलब्ध न होने के कारण चालू नहीं हो पा रहा हो ।

इलाहाबाद जिले में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नहरों का निर्माण

22—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बन रही नहरों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाना चाहिये था । यदि निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है, तो कारण क्या है तथा कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत मुख्यत: फूलपुर शाखा प्रणाली तथा नरायनपुर राजबाहा की नहरों का निर्माण किया जा रहा है जिसे जून, 1982 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

निर्माण-कार्य नियोजित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है तथा यदि भूमि अधिग्रहण में बाधा न हुई तब निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।

गोंडा जिले के विकास खंड करनैलगंज व परसपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना

23—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री दीप नारायण वन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के विकास क्षेत्र करनैलगंज व परसपुर, जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है इसके बाढ़ सुरक्षा हेतु कोई विशेष योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना का रूप सदन के पटल पर रखने की कृपा करें

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोंडा के करनैलगंज वपरसपुर विकास खंडों में बाढ़ सुरक्षा हेतु परसपुर धरौरा बांध निर्मित है । इन विकास खंडों में घाघरा नदी एवं परसपुर धरौरा बांध के बीच स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु कोई योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है। अत: इस क्षेत्र हेतु कोई अन्य बाढ़ सुरक्षा योजना विचाराधीन नहीं है ।

परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र में करटेलमेन्ट

24– श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में गत 1 जून से 7 जुलाई तक कुल कितन किलोमीटर का करटेंलमेंट हुआ है और करटेलमेन्ट होने का क्या कारण है और उससे कितने रुपये की हानि निगम को हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर क्षेत्र में 1 जून, 1980 से 7 जुलाई, 1980 तक कुल 5,47,195 कि0 मी0 का कटेंलमेन्ट घटित हुआ । यह कटेंलमेन्ट राष्ट्रीयकृत मार्गो पर प्राइवेट गाड़ियों के अनधिकृत परिचालन मार्ग में निगम की गाड़ियों में यांत्रिक दोष आने, बसों के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने तथा कारखानों में कार्याधिक्य के कारण समुचित रख-रखाव न हो सकने आदि के कारण हुआ ।

यदि यह कटेंलमेन्ट न होता तो निगम को 5,47,195 कि0 मी0 परसामान्यतः 205 पैसे प्रति कि0 मी0 की दर से कुल रुपया 11.21 लाख की आय प्राप्त होती ।

25--श्री बदन सिंह—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति

26—श्री राम सागर तथा श्री जमुना प्रसाद --

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1979 म अनुसूचित जाति के सात सहायक अभियन्ताओं के (सिविल) अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु चयन कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्तियां अब तक हो गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

27—श्री विद्यासागर नौटियाल—

[4थ बुधवार के लिये स्थगित ।

बस्ती जिले के ग्राम अकबरपुर, डेंगवा व वेतनार का घाघरा नदी से कटाव

28—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम तिघरा एवं अकबरपुर व एकड़गवा, व ग्राम वीरपुर एवं । वेतनार में राप्ती नदी सें जोरों की कटान शुरू हो रही है ? यदि हां, तो वेतनार एवं तिघरा के लिये अन्टी एरोजिन कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? क्या यह भी सत्य है कि पत्थर की ठोकर लगाने के बाद भी बीरपुर में कटान शुरू है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम अकबरपुर एवं डेंगवा एवं बेतनार में नदी से कटाव हो रहा है । ग्राम बीरपुर में कोई कटान नहीं है ।

ग्राम बेतनार पर कटाव निरोधक कार्य हेतु योजना स्वीकृत है । बोल्डर की आपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है और आपूर्ति पूर्ण होते ही ठोकर बना दिये जायेंगे । ग्राम तिघरा पर इरोजन कार्य की कोई योजना नहीं है । अतः अन्टी एरोजन कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[जी नहीं । पत्थर की ठोकर बनन के बाद बीरपुर में कटाव नहीं हो रहा है ।

टिहरी तथा उत्तरकाशी में कारागार निर्माण की मांग

29--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जिला कारागार की क्षमता तथा स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार टिहरी तथा उत्तरकाशी में कोई नये कारागृह बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

उत्तरकाशी में कारागार बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

शाजहांपुर जिले के खुदागंज रजबहा में पानी का अभाव

30--श्री जगदीश सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर की खुदागंज रजबहा में गत वर्ष से बिल्कुल पानी नहीं है और न ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और कब तक इसमें सुधार हो जाने की संभावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खुदागंज रजबहा में पानी उपलब्ध हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जिले के विकास खंड निगोही की नहरों में पानी की आपूर्ति

31--श्री जगदीश सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के विकास क्षेत्र निगोही के सभी नहरों को पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इन नहरों को कब तक पानी दे दिये जाने की संभवना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शाहजहांपुर जनपद के निगोही विकास क्षेत्र में सभी नहरों में पानी उपलब्ध हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में ग्राम माली मनहा तथा बीरपुर में नदी का कटाव

32--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत माली मनहा तथा बीरपुर तक नदी के कटान को रोकनेके लिये पत्थर के ठोकर तथा मिट्टी का कार्य हुआ था ? यदि हां, तो इसका आरम्भ किस वर्ष हुआ और प्रत्येक वर्ष कितना-कितना धन इस पर व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । कार्य हुआ था ।

माली मेनहा पर कार्य-वर्ष 1976-77 में प्रारम्भ किया गया तथा ग्राम वीरपुर पर कार्य वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ किया गया । इन कार्यों पर प्रत्येक वर्ष का व्यय निम्न प्रकार है :—

(व्यय रुपयों में)

वर्ष	माली मेनहा	वीरपुर
1976-77 ..	127292.52	..
1977-78 ..	397557.00	..
1978-79 ..	208878.40	..
1979-80 ..	534492.41	276849.00
1980-81 (माह जून तक) ..	530.00	..

33-34— श्री कृष्ण कुमार शुक्ला—

[4 थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

आगरा जिले की वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन के पुनरोद्धार की योजना

35— श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सन् 1978 में आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में अछनेरा ब्लाक को बाढ़ एवं गर्की से बचाने के लिये वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन के पुनरोद्धार के लिये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी स्वीकृति गंगा फ्लड कन्ट्रोल आयोग, पटना से मिली या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं, यह प्रोजेक्ट राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 61वीं बैठक में निरस्त कर दिया गया है । अतः इसको गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

36—श्री सूबेदार सिंह—

[4 थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

37-38—श्रीमती गौरी देवी —

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों की परीक्षा

39—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1976-77 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, गोरखपुर क्षेत्र में जो परिचालकों की लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हुआ था उसमें से कुल कितने परिचालक 33 प्रतिशत उत्तीर्ण नम्बरों से पास थे ? उसमें से कितने अभी तक परिचालक नियुक्त हुये हैं ? जो नियुक्त नहीं किये गये उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[समय 12 बजे से]

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुयीं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

महोदय, जनपद कानपुर के देहातों में और विशेषतया बिल्हौर तहसील के निवासियों को काफी समय से चीनी व सीमेंट नहीं मिल रही है । सीमेंट न मिलने के कारण ग्रामवासियों के निर्माणाधीन कार्य रुके हुये हैं, जिससे इस अनवरत वर्षा-काल में उनकी असह्य हानि की सम्भावना बनी हुयी है । इसी प्रकार कानपुर नगर में राशन कार्ड पर नागरिकों को शक्कर मिल रही है परन्तु देहातों में कार्डो की अव्यवस्था व्याप्त हैं। लगभग हर गांव में कुछ कार्ड बने हैं तो कुछ बिना कार्ड के ही हैं । कुछ ऐसे लोगों के कार्ड बने हुये हैं, जो उस गांव में ही नहीं रहते हैं । इस प्रकार की अव्यवस्था से ऐसा आभासित है कि मानों प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गयी है । बिना कार्ड वाले ग्रामीण शक्कर के लिये तो तरस ही रहे हैं साथ ही कार्ड वाले किसान भी महीनों से शक्कर नहीं पा रहे हैं । यही कारण है कि देहातों में और विशेषतया बिल्हौर क्षेत्र में क्षोभ व असंतोष की लहर व्याप्त है ।

अस्तु.....

श्री चन्दन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो अभी गवन के संबंध में प्रश्न हुआ तो मंत्री जो माननीय सदस्य को डांट रहे थे ?

श्री मोती लाल देहलवी—

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर अपेक्षित हूं कि सरकार किसानों को भी मनुष्य समझेगी और उपरोक्त अव्यवस्था को दूर करेगी तथा शहरियों की भांति ग्रामवासियों को भी शक्कर व सीमेंट सुलभ करायेगी ।

सीतापुर नगर में भीषण बाढ़ के कारण पक्के पुल के टूट जाने से कठिनाई के संबंध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सीतापुर नगर में अभी हाल में आई भीषण बाढ़ के कारण वहां के पक्के पुल का एक भाग टूट गया है । मान्यवर, नदी शहर के बीचों बीच बहती है। नया सीतापर तथा पुराना सीतापुर को जोड़ने के लिये सवारियों का मात्र यही एक पुल था । परिणामस्वरूप आवागमन के लिये भीषण संकट उत्पन्न हो गया है । मुख्य भाग नया सीतापुर की सवारियों को रेलवे स्टेशन जाने के लिये 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है । स्कूल, कालेज, दफ्तर, अस्पताल, मुख्य बाजार सभी नया सीतापुर में है । इसी प्रकार पुराना सीतापुर के लोगों को 3–4 किलोमीटर चक्कर लगाकर आना पड़ता है ।

अभी तक सरकार द्वारा उसकी मरम्मत न कराये जाने से जनता में भीषण असंतोष है अतएव मैं लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय की ओर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर आशा करता है कि तत्काल उसकी मरम्मत कराने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान एक लोक महत्व की घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । रुड़की नगर में स्थित कन्हैया लाल पालीटेक्निक में इस वर्ष 1980 में कानून की अव्यवस्था के कारण परीक्षा (वार्षिक) नहीं हो पायी जिससे लगभग 800 छात्रों का भाग्य अधेरे में लटका है । मैंने प्रयास किया कि छात्रों की परीक्षा पूरक परीक्षा के साथ हो जाये जिससे इन छात्रों के जीवन से खिलावड़ होने से बचाया जा सके और अभिभावकों के धन का भी दुरुपयोग न हो सके । विभाग द्वारा स्थलीय जांच हेतु एक समिति भेजी गयी परन्तु आज तक भी इस कमेटी की रिपोर्ट तथा शासन के निर्णय से किसी को भी अवगत नहीं कराया गया जिससे छात्रों, अभिभावकों और वहां की जनता में असन्तोष व्याप्त है ।

प्रश्न लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है क्योंकि पूरक परीक्षा बहुत शीघ्र होने वाली है और यदि कोई निर्णय इस विषय में न लिया गया तो छात्रों तथा अभिभावकों को काफी हानि होगी । अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं तथा मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब कार्यवाही की जाये ।

श्री पंचानन द्वारा दी गई नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान इस लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । [X X X X]

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है ? यह घटना अविलम्बनीय तात्कालिक महत्व की होनी चाहिये और उसकी ओर शासन का ध्यान तुरन्त आकर्षित करना जरूरी है । यह घटना ऐसी नहीं है । अब चूंकि आपने स्वीकार कर लिया है नियम 301 में, मुझे आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । पर आप इस पर विचार कर लें कि यह नियमों के अन्तर्गत स्वीकार करने योग्य है या नहीं . . . (व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायें, मैं इसे देख रहा हूं । यह नाम और आरोपात्मक शब्द जितने हैं, उन्हें आप न पढ़े, बाकी पढ़ दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:--[XXXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री पंचानन--- [× × ×]

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन--- [× × ×]

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

पंचानन राय जी अब आप रुक जायं । यह कार्यवाही में नहीं आयेगा ·····।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आपने कार्यवाही में से उस अंश को निकाल दिया है, जो माननीय सदस्य आपके रोकने के बाद बोलते रहे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, 301 के अन्तर्गत वही सूचनायें ग्राह्य की जायेंगी, मान्यवर, 11(1) को देखने का कष्ट करें । मान्यवर, इसमें लिखा है ·····।

श्री अध्यक्ष---

आपने तो कह दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, 11(1) में लिखा है---विषय-अविलम्बनीय लोक महत्व का हो और हाल में घटित हुआ हो । जिस विषय की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं वह इसमें नहीं आता है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन---

इससे ज्यादा और क्या अविलम्बनीय लोक महत्व का हो सकता है कि पूरा गाजीपुर बन्द होने जा रहा है ।

(व्यवधान)

यह अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है ।

श्री त्रिवेणी--- (व्यवधान)

[× × ×]

नोटः---(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री त्रिवेणी—

अगर सदन में कोई सदस्य ऐसे विषय को लाता है, तो उसके लिए, आधे घंटे की चर्चा एलाऊ कर दें। ऐसी परम्परा, प्रक्रिया नियमावली में रही है कि जब कभी ऐसे अहम मसले आये हैं, तो उस पर चर्चा हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 301 के अन्दर लोक महत्व का विषय होना चाहिये तथा हाल की घटना होनी चाहिये। जो अब मंत्री नहीं है और पहले किसी समय रहे हैं, तो क्या उस समय के संदर्भ को उठाने की आप अनुमति देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार जी, आप फिर से कहें, मैं आपकी बात को नहीं सुन सका हूं। आप कृपया फिर उसे दोहरा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने, मान्यवर, आपको पढ़कर सुनाया था कि घटना लोक महत्व की होनी चाहिये और हाल की ही होनी चाहिये। जो अब मंत्री नहीं है और पहले किसी समय रहे होंगे, उस समय के संदर्भ को उठाने की क्या अब आप उन्हें अनुमति देंगे ? मान्यवर, मैं केवल यही जानना चाहता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया मुझे भी अवसर दिया जाए। मान्यवर, एक मिनट के लिए मुझे भी सुना जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब आपको क्या सुन लें, आप कृपया बैठ जाए। जब श्री राजेन्द्र कुमार जी ने एक बात नियमों से संबंधित उठायी है, उस पर विचार होना है, इसलिए आप कृपया बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार जी आपने यही बात कहीं है न कि यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने केवल समय पर आपत्ति की है, यह प्रश्न हाल का नहीं है। इसलिए नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब तो यही हुआ न कि यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, जिस बात को आप कह रहे हैं, मैं भी उसी बात को सोच रहा हूं कि यह नियम 301 का जो प्रश्न आया था, वह वास्तव में अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। मैं स्पष्टतया इसको स्वीकार करता हूं कि यह मेरे देखने में भूल के कारण स्वीकार हो गया (शोर) अब इसके लिए अनुमति नहीं है।

श्री पंचानन—

मान्यवर, इसे अस्वीकार करने से पहले कृपया मेरे एक व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें।

मैंने अपने निर्णय के प्रति क्षोभ प्रकट किया है । इस बात पर अब आप क्या व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहते हैं ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन में यह परम्परा स्थापित हो गयी है कि भविष्य में किसी मंत्री के बारे में, जिसका कार्य-काल समाप्त हो गया हो, उसकी चर्चा अब सदन में नहीं की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह— [illegible]

हो सकती है, लेकिन.....

श्री लोकपति—

यह प्रश्न मैंने आपसे नहीं पूछा है, अध्यक्ष महोदय से पूछा है कि क्या यह भविष्य के लिए एक परम्परा सदन में कायम हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने रूलिंग नहीं दी है, बल्कि मैंने यह निर्णय दिया है कि नियम 301 के अन्तर्गत यह प्रश्न स्वीकार किया गया है, उस नियम के अन्तर्गत इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन— [illegible]

मान्यवर, मुझे भी एक निमट का समय दे दें, मेरे से संबंधित मामला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी भी एक बात कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप किस पर बोलना चाहते हैं ? जबकि निर्णय दिया जा चुका है ।

एक सदस्य—

आपके निर्णय पर आपत्ति करना चाहते हैं ।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि के संबंध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, कानपुर ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1980 के तार द्वारा यह सूचित किया है कि श्री भगवानदीन कुशवाहा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जारी की गयी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत 4 अगस्त, 1980 को अपरान्ह के 2.55 बजे कचेहरी, कानपुर में गिरफ्तार किया गया और उन्हें उन्नाव जेल लाया गया है । नगर मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने अपने 4 अगस्त, 1980 के पत्र, जो इस सचिवालय में 5 अगस्त, 1980 को प्राप्त, हुआ, में सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा कि विधान सभा के सदस्य, श्री सत्य पाल सिंह यादव तथा श्री नाजिर अली को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने के कारण बन्दी कर लिया जाय । तदनुसार श्री सत्यपाल सिंह, यादव तथा श्री नाजिर अली को दिनांक 4 अगस्त, 1980 को अपराह्न के 4 बजे बन्दी कर लिया गया और उन्हें हवालात में रखा गया ।

[श्री अध्यक्ष]

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, तिलहर (प्रथम) शाहजहांपुर ने अपने 4/5 अगस्त, 1980 के पत्र, जो इस सचिवालय में 5 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री नाजिर अली पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत उनके न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और 4/5 अगस्त, 1980 की रात को उन्हें धारा 188 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अपराधी पाया गया और उन्हें अदालत उठने तक की सजा का दंड दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने अपने वायरलैस मैसेज दिनांक 5-8-80, जो इस सचिवालय में उसी दिन प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री सत्य पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा तथा श्री नाजिर अली, सदस्य, विधान सभा को उक्त दंड भुगतने के पश्चात् रिहा कर दिया गया ।

चतुर्थ अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मुरादाबाद ने अपने पत्र दिनांक 1-8-80, जो इस सचिवालय में 5 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री रईसुद्दीन, सदस्य, विधान सभा की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत उनके न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। पांच दिन तक मुकदमा चलने के बाद दिनांक 1 अगस्त, 1980 को उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 188 का अपराधी पाया गया और 28 जुलाई, 1980 से 1 अगस्त, 1980 के साधारण कारावास का दंड दिया गया ।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती और पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने अपने पत्र दिनांक 5अगस्त, 1980 जो विधान सभा सचिवालय में आज प्राप्त हुआ,में सूचित किया है कि श्रीराम आसरे पासवान, सदस्य, विधान सभा की दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन के अपराध में भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत 5 अगस्त, 1980 को अपराह्न के 2 बजे खलीलाबाद में निरीक्षक कोतवाली द्वारा बन्दी बनाया गया। तदुपरान्त उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, बस्ती के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बस्ती कारागार में रखा गया है।

राजस्व मंत्री श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष :—

विशेषाधिकार की कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें मैंने जो निर्णय दिया आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

(मा0 सदस्य श्री राम हर्ष राय ने मा0 राजस्व मंत्री, श्री यशपाल सिंह के विरुद्ध दिनांक 4 अगस्त, 1980 को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। मा0 श्री राय का कहना है कि मा0 राजस्व मंत्री, श्री यशपाल सिंह ने जिलाधिकारी के सभाकक्ष में जन-प्रतिनिधियों से मुलाकात के समय सीतापुर के विधायक श्री वीरेन्द्र कुमार के प्रति अभद्र व्यवहार कर सदन के सदस्य के कर्तव्य पालन में अनुचित हस्तक्षेप किया है और सार्वजनिक रूप से माननीय सदस्य को अपमानित किया है। मा0 सदस्य श्री राय की यह शिकायत नहीं है कि मा0 राजस्व मंत्री ने मा0 श्री बीरेन्द्र कुमार को सदन के सदस्य की हैसियत से सदन या उसकी समिति के किसी कार्य के लिये प्रताड़ित किया हो माननीय सदस्य श्री राय ने अपनी जानकारी का आधार भी नहीं बताया है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी का आधार क्या है किन्तु उन्होंने "अमृत प्रभात" समाचार पत्र की 31 जुलाई, 1980 की एक कतरन अपनी सूचना के साथ संलग्न की है। माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार इस सदन के सदस्य हैं और यदि उनकी किसी अवसर पर विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तो वह स्वयं इस प्रश्न को उठा सकते थे। दिनांक 18 मार्च, 1959 को इसी सदन में दिये गये निर्णय के अनुसार समाचार-पत्र की किसी सूचना के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपर्युक्त कारणों से मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

कृषि मंत्री, श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष --

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री फखरे आलम ने माननीय श्री बलराम सिंह यादव, कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है माननीय कृषि मंत्री ने 3 अगस्त, 1980 को पत्रकारों को बुलाकर फसल बीमा से संबधित सरकार की नीति की घोषणा की है, जो 4 अगस्त, 1980 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है ।

मा0 कृषि मंत्री इस सदन के सदस्य है और विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 64 के अनुसार किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत होने की दशा में इस प्रकार की सूचना दो प्रतियों में भेजी जानी चाहिये ताकि उसकी एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को भेजी जा सके । मा0 सदस्य श्री फखरे आलम ने अपनी सूचना केवल एक प्रति में ही भेजी है । इसके अतिरिक्त मा0 सदस्य की सूचना का आधार समाचार-पत्र है किन्तु उन्होंने उक्त नियम 64 की अपेक्षानुसार उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न नहीं की है ।

इस प्रकार उक्त सूचना नियमानुसार नहीं है । साथ ही इस प्रकार के निर्णय कई बार हो चुके हैं कि सदन के चलते समय इस प्रकार की नीति की घोषणा सदन में पहले न करना औचित्य के विपरीत हो सकता है किन्तु विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं होता, अतएव मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

विधान सभा की समितियों तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष --

विधान सभा के वर्तमान अधिवेशन के कार्य-क्रम में परिवर्तन होने के कारण वर्ष 1980-81 के लिये लोक लेखा समिति के लिये 21 सदस्यों, प्राक्कलन समिति के लिये 25 सदस्यों, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिये 25 सदस्यों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के लिये 21 सदस्यों, मंत्रियों को परामर्श देने वाली 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्यों तथा राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिये 3 सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला होंगी, के निर्वाचन के लिये जो कार्यक्रम पहले निर्धारित किया गया था उसे परिवर्तित किया गया है । इसलिये इन समितियों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा ।

1 · नाम निर्देश पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त, 1980 को अपराह्न 4 बजे तक ।
2 · नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त, 1980 को अपराह्न 3 बजे, (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।
3 --नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1980 अपरह्न 5 बजे तक ।
4 --निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो -(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिये मतदान ।	गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

[श्री अध्यक्ष]

तथा (ख) 29 स्वामी समितियों के लिये मतदान शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, विधान मण्डल पुस्तकालय विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

अर्ध-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं तथा बागपत काण्ड से सम्बन्धित सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मद 7 -कार्य स्थान प्रस्ताव की 4 सूचनायें प्राप्त हुई थीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है । एक मिनट सुन लें । मैं अनुमति मांग रहा हूं । यह आम परम्परा हो गई है कि कोई समाज सेवी व्यक्ति अपने जनसंत्र के अधिकारों के अधीन कार्य करना चाहे तो.....

(व्यवधान)

वह सरकार उसको कुचल देती है । श्री स्वामी के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा, उनको लाठियों से रौंद दिया गया, इसको आप जरूर स्वीकार कर लें यह मेरी प्रार्थना है । गाजियाबाद में, अल्मोड़ा मे.... (शोर)

श्री अध्यक्ष---

मैं खड़ा हूं, आप सुनें ।

श्री मोहन सिंह---

सभी विरोधी दलों के नेताओं के उस पर हस्ताक्षर है, आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष --

मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप सुनना नहीं चाहते । 4 सूचनायें प्राप्त हुई थीं सभी अस्वीकार हुई । शांत सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री भीखा लाल, श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री रियासत हुसैन की सूचना थी । श्री प्रदीप कुमार यादव की जिला बलिया, देवरिया, जौनपुर, फैजाबाद, सीतापुर, बिजनौर में दवाओं के अभाव के संबंध में थी ।

(शोर)

बागपत काण्ड पर चर्चा भी स्वीकार हो चुकी है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

जो हमारा प्रस्ताव है वह.....

श्री अध्यक्ष---

जो निर्णय मैं दे चुका हूं, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं ? मैं यह परम्परा नहीं चलने देना चाहता कि मेरे निर्णय के बाद उस पर आप चर्चा शुरू कर दें ।

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप मेरी बिना आज्ञा बोल रहे हैं माननीय सदस्य आप बैठ जायं, पहले ।

श्री मोहन सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

पहले आप बैठ जाय ।

श्री मोहन सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

श्री मोहन सिंह जी बोल रहे हैं, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

माननीय नेता विरोधी दल आप जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन मैं चाहूंगा कि बिल्कुल संक्षेप में कहें । रोज बागपत काण्ड पर भाषण सदन में होता है । मुझको यह प्रतीत होता है कि माननीय नेता विरोधी दल तथा और नेताओं के पास बागपत काण्ड से ज्यादा और कोई आवश्यक काण्ड नहीं रह गया है सदन के सामने लाने के लिए . . . .

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

काण्ड नहीं सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज है ।

(शोर)

मान्यवर, बागपत काण्ड हुआ था जून में हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है अब । इसको स्वीकार करिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हमारा कर्त्तव्य है कि आपका निर्णय शिरोधार्य करें और करना भी चाहिये लेकिन कभी-कभी जो कर्त्तव्य हमारे कन्धों पर डाला गया है उसका निर्वहन करने के लिये हमें कहना जरूरी हो जाता है । हमें इस बात की तकलीफ है कि पीठ से इस तरह का रिमार्क आया कि हम बागपत काण्ड को सबसे सर्वोपरि समझ रहे हैं जो आपके माध्यम से नहीं आना चाहिये था । हमें दुख है । हमने बागपत काण्ड को उठाया यह सही है । अभी हमने परसों भी कहा कि 28 तारीख को एक घटना घटी । 28 तारीख को सत्याग्रहियों पर बुरी तरह से मार-पीट हुई । एक आदमी की पसली टूट गयी । किसी मंत्री का बयान नहीं आया, मुख्य मंत्री का बयान नहीं आया । हमारे पास कोई जरिया नहीं है सिवाय आपके माध्यम से कुछ कहने के । शासन पक्ष से कोई जबाब नहीं आया, हमारे सामने क्या रास्ता है ? मुख्य मंत्री चुप हैं । मंत्रि मण्डल चुप है । स्वामी इन्द्रदेव लोक सभा के सदस्य हैं, नरेन्द्र सिंह, एम 0 एल 0 ए 0 इस विधान सभा के सदस्य हैं यह लोग जूलूस निकाल रहे थे पुलिस ने आकर रोका । दफा 144 लगा है । दफा 144 को सत्याग्रही तोड़ सकते हैं, शान्तिपूर्ण ढंग से तोड़ते हैं । सरकार को अधिकार है अरेस्ट करने का । 20-25 हजार अरेस्ट किये जा चुके हैं । कभी मना नहीं किया । बड़ी शर्मनाक घटना है । श्रीमती

नोट--(×××)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इन्द्र कुमारी, एम0 पी0 को पकड़ कर किस तरह से घुमाया गया, बहुत बुजुर्ग हैं, मान्यवर, रात भर पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, केश चलाया गया। आज तक नहीं कहा। हमें दया नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिये। सदन के माध्यम से अपने अधिकार और कर्त्तव्य बता देना चाहता हूं और यही हमारा कर्त्तव्य है। 28 तारीख को जुलूस बागपत पर लाठी चार्ज किया गया। एक आदमी की हड्डी टूटी कई घायल हो गये। पुलिस ने टियर गैस छोड़ा। 100 आदमियों को चोटें आई। क्या हो रहा है प्रदेश में, मान्यवर। अगर यही होगा पुलिस के जुर्म बढ़ते चले जायेंगे तो कैसे होगा, मान्यवर। मैं पुनः कहुंगा पुलिस के जुर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस ने चुनाव के दौरान जो कुछ इनकी मदद की उसका वह इनाम मांगती चली जातीहै और यह देते चले जाते हैं। इससे वे निरकुश होते चले जा रहे हैं श्रीमन्, माफ करेंगे, मुझे यह कहना पड़ रहा है। इलाहाबाद की घटना कब आई। एक एस0 ओ0, एस0 एस0 पी0 की मौजूदगी मे अभियुक्त पुलिस की कास्टडी से भाग गया। श्रीमन्, हो क्या रहा है, आज? खैर यह तो इनकी बात है। हमारे साथ क्या हो रहा है ? शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर अमानुषिक लाठी चार्ज इतिहास में नहीं हुआ, जो ये करते चले जा रहे हैं। यह लोमहर्षक प्रश्न सदन की कार्यवाही में नहीं आयेगा, इस प्रश्न को न उठाने दें, यह कैसे हो सकता है ? यह आवश्यक हो गया है। आपने इजाजत दे रखी है ढ़ाई घंटे की बहस की। लेकिन वह लिमिटेड बागपत कांड पर यह दूसरी चीज है। आखिर इस तरह लाठी चार्ज को जनता कब तक बर्दाश्त करेगी इस प्रदेश में कब तक इस तरह अत्याचार होते रहेंगे।

श्री त्रिवेनी–

मान्यवर व्यवस्था का सवाल है।

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था मांग रहा हूं कि बागपत कांड समाप्त हो गया और अगर उसको फिर से चालू किया जायेगा तो अलीगढ़ कांड और चौधरी चरण सिंह के जमाने में औरई कांड हुआ था, उस पर भी मैं चर्चा की मांग करता हूं और उस पर भी बहस चालू हो।

(शोर)

*श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, संविधान के अन्तर्गत किसी घटना के विरोध में अहिंसक सत्याग्रहियों को प्रदर्शन करने की इजाजत है––कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर इजाजत है। इसी के तहत शासन को नोटिस देकर तमाम विरोधी दलों के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन उन शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर बार-बार कातिलाना हमले हुये हैं जिसमें तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता पीटे गये हैं। यह एक विचित्र घटना है। ऐसी घटना पर यह सदन अपने विचार व्यक्त करने से बंचित कर दिया जाय, यह अच्छा नहीं है। इसलिये सदन की कार्यवाही को स्थगित करके बागपत में जो लाठी चार्ज हुआ है, अलीगढ़ और वाराणसी जेल में जो हुआ है वाराणसी अंदोलन पर सत्याग्रह अंदोलन के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा होनी चाहिये। जो चर्चा ढाई घंटे स्वीकार की है, वह बागपत की लोगहर्षक घटना के संबंध में है और जो आन्दोलन चल रहा है और शासन का जो रवैया है, जेलों में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वह दूसरी बात है हमारे सत्याग्रहियों को जेलों के अन्दर जिन्दगी से हांथ धोना पड़ा है और उसके परिवार के पुनर्वासन के बारे मे कोई व्यवस्था तक नहीं हुयी। मान्यवर इन सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिये, और आप इसकी इजाजत दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, घटना की मेरिट पर नहीं, ग्राह्यता पर कहना चाहता हूं। मान्यवर, अपनी उदारता का परिचय देते हुये अवश्व इसको ग्राह्य करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हम कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सूचना देते हैं तो उसके नियम हैं जिनके अन्दर देते हैं नियमों से हम बंधे हुये हैं हम कोई भी काम नहीं करते जो नियमों में न हो। मान्यवर, नियम 56 कार्य–स्थगन का है और नियम 58 में इसके बारे में शर्तें दी गई हैं। लिखा हुआ है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे और जहां एक से ही प्रस्ताव हैं वहां एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी।

इसके साथ-साथ, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा।

प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुन: चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। इस घटना पर सदन में इसके पूर्व कोई चर्चा नहीं हुई है। गाजियाबाद में लाठीचार्ज के संबंध में चर्चा हुई हैं। आज पुलिस बिल्कुल निर्द्वन्द होती जा रही है। उरई में पुलिस के लोग मजिस्ट्रेट के कोर्ट से अभियुक्त को घसीट ले गये और दंडाधिकारी चिल्लाते रह गये। पुलिस ने उसको इतना मारा कि उसको 40 चोटें आई हैं। इस परिस्थिति में मैंने यह प्रश्न उठाया है। अगर हमने इस पर चर्चा नहीं की तो आप समझ लें कि ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी कि हम और आप कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिये मैं अपनी इस बात पर बल प्रदान करता हूं कि सभी ग्राह्यता की शर्तें पूरी होती हैं इसलिये इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें और चर्चा करने का मौका दें।

*श्री भीखालाल--

अध्यक्ष जी, बागपत की घटना, जिस पर आपने चर्चा स्वीकार की वह 18 जून की चर्चा को हम कल ही समाप्त करना चाहते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज के लिये बढ़ाया तो आपको यह आरोप हम पर नहीं होना चाहिए, मुख्य मंत्री पर होना चाहिये। हमने कुछ प्रश्न उनसे पूछे थे जिसका कोई उत्तर उनके पास नहीं था, आज वह होम सेक्रेट्री और चीफ सेक्रेट्री से पूछकर उन प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इसलिये आपका यह आरोप कि हम दूसरी चीजों को महत्व नहीं देते हैं और बागपत को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, यह आपके आसन से आना उचित नहीं है। यह आरोप मुख्य मंत्री पर लगना चाहिये। बागपत की घटना को लेकर यह सरकार पुलिस को इस बेशरमी के साथ बचाने पर तुली है आज प्रदेश की पुलिस बिलकुल निरंकुश हो गई है। कल जिस तरह से सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज निर्मम तरीके से हुआ उसकी कोई मिसाल नहीं है। जब राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किये जाते हैं तो राजनीतिक बन्दियों को हथकड़ियां नहीं लगायी जातीं। 4 तारीख को उन्नाव में लोकदल के लोगों ने सत्याग्रह किया तो राजनीतिक बन्दियों को हथ कड़ियां लगाकर जेल भेजा गया है। इसलिये मैं मजबूर हूं कि उन चीजों को सदन के माध्यम से सरकार और जनता के सामने रखूं ताकि यह सरकार जो कर रही है उसके लिये हमें आपको तरफ से न्याय मिल सके। इसलिये मेरा आग्रह है कि आप कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके इस पर बहस करावें।

*श्री रियासत हुसैन--

बड़े खेद की बात है कि यह कल की घटना, जिसके ऊपर सारे विरोधी दलों के नेताओं के दस्तखत हैं, नियम 56 में आपके सामने कार्यस्थगन में प्रस्तुत की गई थी। आपने कह दिया कि सारे नेता बागपत की घटना से दिलचस्पी रखते हैं लेकिन बागपत की घटना अलग है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

यह अलग है। आज अगर मुख्य मंत्री यह डिक्लेयर कर दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अन्दर पुलिस एस्टेट है तो हमें इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अन्दर हमें जनता ने चुनकर यहां भेजा है हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि अगर इस प्रदेश के अन्दर इस किस्म की बाते होंतीं हैं तो हम उनको सदन के अन्दर रखें और उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके यह यहां रखा गया है। कल बागपत के अन्दर एम0 पी0, एम0एल0ए0 और पब्लिक के लोगों पर जो सत्याग्रह कर रहे थे वह कोई रेवोल्यूशन करने नहीं जा रहे थे, वह लोग कहीं आग लगाने नहीं जा रहे थे, वह लोग केवल सत्याग्रह कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करना, उनकी हड्डी पसली तोड़ना, हथकड़ी लगाकर ले जाना उचित नहीं है। क्या सत्याग्रह की डिफनीशन कुछ और हो गयी है। अगर कोई और तरीका मुख्य मंत्री ने कर दिया है तो बड़ी खुशी है लेकिन मुख्य मंत्री जी यहां पर घोषणा करें कि सत्याग्रह करने का वह पुराने जमाने का तरीका नहीं रहा जो गांधी जी और नेहरू जी के जमाने में था। मुख्य मंत्री जी बतायें कि सत्याग्रह ट्रीट करने का तरीका माडीफाइड करके यह हो गया है। अगर यह डिक्लेयर कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और फिर इस बहस की जरूरत नहीं होगी फिर वाकई पुलिस स्टेट हो जायगी, प्रजातंत्र का क्या दृश्य होगा यह भविष्य में देखा जायगा। हम यह आग्रह करते हैं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके सारे कामों को रोक करके केवल 2–3 घंटे नहीं बल्कि पूरे दिन इस पर बहस हो।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

यह बड़े अफसोस की बात है। बजट पर जनरल डिस्कशन हो रहा है पुलिस पर कमेंट हो रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस को इस तरह की छूट दी जा रही है।

(श्री मुहम्मद आजम खां को पुकारे जाने पर।)

श्री धर्म सिंह––

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

मैंने श्री आजम खां को बुला लिया है।

श्री मुहम्मद आजम खां––

अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जिस शख्स ने हमें अहिंसा का तरीका सिखाया उनकी तस्वीर हमारे तो सामने है लेकिन आपके पीछे है। मैं अर्ज करूंगा कि किसी भी तानाशाह ने तानाशाही का रास्ता अख्तियार करने से पहले अपने आपको सबसे बड़ा जम्हूरियत का अलमबर्दार कहा है। इस तारीखी हकीकत को न मैं न आप और न मुख्य मंत्री नजरअन्दाज कर सकते हैं। 76 फीसदी अकसोरियत से हिटलर ने अपने सदन में यहूदियों का कत्ले आम करने का रेंज्योल्यूशन पास किया। लेकिन तारीख में, इसे आजतक किसी ने अच्छा नहीं कहा।

एक सदस्य––

यह कैसा फसाना सुना रहे हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां––

लिहाजा हमारे समाज में या हमारे इस जम्हूरी निजाम में अगर कोई तरीका गांधी जी ने अपनाया जिसके जरिये हम अपना इजहारे ख्याल करें तो हमारे हाथ तोड़ दिये जायं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाठियां चलायी जायं और हमारे रुलिंग बेंचेज के लोग गैर-जम्हूरी और गैर-अखलाकी तरीके से बात करने से रोके तो यह तरीका अच्छा नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर पहले अपना निर्णय दे दिया है और निर्णय देने के बाद क्या उस पर बहस चल सकती है और जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर अपना निर्णय दे दिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि निर्णय देने के पहले उनको सुनना चाहिये था। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर मैं निर्णय स्वत: दे सकता हूं। मैं चाहूं तो निर्णय देने के पहले सूनूं और चाहूं तो न सूनूं। निर्णय देने के बाद भी मैं सूनना चाहता हूं तो सून सकता हूं। मैने निर्णय बिना सुने हुये दिया था। इसके बाद चूंकि माननीय सदस्यों ने चाहा था कि मैं उनको सूनूं तो मेरा जो सुनने का अधिकार है उसके अनुसार, जैसा कि मैंने पहले कहा, निर्णय देने के बाद भी सुन सकता हूं, तो उनको सुन रहा हूं।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। श्री मुहम्मद आजम खां बोल रहे थे तो श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैंने उस व्यवस्था के संबंध में उत्तर देकर बैठा ही था कि श्री मुहम्मद आजम खां खड़े हुये थे, तो इस बीच में कोई व्वयस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मैं आपकी व्यवस्था के सन्दर्भ में ही निवेदन करना चाहता था। कामरोको प्रस्ताव आया और आपने अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार करने के बाद फिर सुनने का क्या औचित्य है। फैसला देने के बाद क्या अब सुनने के बाद आप अपनी व्यवस्था को बदलेंगे। आपको नियमत: निर्णय देने के पहले सुन लेना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई निर्णय देने के पहले का कामरोको प्रस्ताव पर निर्णय देने के पहले मुझको सुन लेना चाहिये, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मै पुन: इस बात को कह रहा हूं कि इस सदन में आपको सलाह देना कि सुन लेना चाहिये, शायद मैं समझूंगा कि आप योग्य माननीय सदस्य हैं, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बाद में सुनने का प्रश्न है तो न वह भी सुन सकता हूं और सुनने के बाद मैं अपनी व्वयस्था बदल सकता हूं। यदि बदलने की आवश्यकता नहीं समझता हूं तो वही पुरानी व्यवस्था रहेगी। सुनने के पश्चात् यदि गंभीरता का अहसास होता है तो मैं अनेकों प्रकार से और नियमों में अधिकार हैं उनका प्रयोग कर सकता हूं। मुझको अनेकों अधिकार प्राप्त हैं।

(व्यवधान)

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

मान्यवर, फैसला देने के बाद ऐसा नहीं हुआ है ।

व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हमारे जमहुरी निजाम में अगर सत्याग्रह जैसी चीज की जम्हूरियत में चलने की बात नहीं होगी तो चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों या रूलिंग्स बेंचेज के हों वह गलत बात होगी लिहाजा उसको गलत मानना चाहिये । बागपत में सत्याग्रहियों ने जुलूस निकाला लेकिन उसके बिना कुछ किये उनके हाथ पैर तोड़ देना क्या ठीक है । इसको कौन ठीक कहेगा । यह करने वाले वही लोग हैं जो इस देश में जम्हूरियत को फलते-फूलते नहीं देखना चाहते हैं । इस प्रदेश में पुलिस का इंतजाम ऐसा है कि वह न वकीलों को देख रहे हैं और न किसी और को । खुद मेरे क्षेत्र रामपुर में पुलिस ने वकीलों तक को मारा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । आप ग्राहयता पर नहीं बोल रहे हैं ।

श्री धर्म सिंह--

कामरोको प्रस्ताव के विषय में आपने जो निर्णय दिया है वह शिरोधार्य है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समक्ष कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, कन्टेन्ट्स देखे हैं, जो कुछ उसमें लिखा है उसे पूरी तरीके से देखा है और देखने के बाद बड़े क्लीयर तरीके से, संतुष्ट होने के बाद, आपने उस पर निर्णय दे दिया । उस पर पुन: विचार जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं हो सकता । आपके सामने जो कुछ लिखा गया है, जो माननीय सदस्यों ने आपके सामने भाषण किया, दो चार शब्दों से उसका सारांश समझ लेंगे । लेकिन जो कुछ भी निर्णय आपने दिया है वह सोच-समझ कर दे दिया है । ऐसा नहीं होता है कि उसके बाद दूसरे लोगों को बोलने की आज्ञा प्रदान कर दें और उसमें एक लम्बी-चौड़ी बात चलती रहे और उस पर पुन: विचार हो यह आपका अधिकार है मैं मानता हूं...

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष जी, यह आप को ढंग बता रहे हैं...

श्री धर्म सिंह--

मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता...(व्यवधान) ने कोई बात कह दी लेकिन बार-बार उन बातों पर बहस करना इसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं । इस पर इस तरह के नियम और परम्परा नहीं रही है । आपको सब अधिकार तमाम चीजों के है लेकिन जो कुछ तथ्य सामने लाये गये हैं उनमें कोई बात नहीं की गयी है । पूरी तरीके से आपने निर्णय दे दिया है । यहीं इसे समाप्त कर देना चाहिए ।

*श्री फखरे आलम--

मैं यह देख रहा हूं मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि किसी विषय पर हम बोलना चाह रहे हैं, किसी चीज की इजाजत चाह रहे हैं लेकिन हमें रोकने की कोशिश की जा रही है । मान्यवर, पुलिस ने उन आदमियों पर जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जलस निकाल रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, लाठीचार्ज किया, हम उस के बारे में कोई बात कहना चाहते हैं। मान्यवर, आपके अख्तियारात का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप उन अख्तियारात का प्रयोग करें जो आपको सदन में हासिल हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इस बात की इजाजत दें, पुलिस ने जो ज्यादतियां की हैं उन पर डिसकशन हो। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं थोड़ी सी साइकलोजी मैंने पढ़ी है वह चाहते हैं कि इस पर डिसकशन हो और मान्यवर, आप भी चाहते हैं कि इस पर डिसकशन हो...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें...

श्री फखरे आलम--

मेरी दरखास्त है कि इस बात की इजाजत दीजिए हम लोगों को कि इस पर चर्चा कर सकें।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं... (व्यवधान) मेरे खड़े होकर बोलने पर भी आप बोल रहे हैं। आप बैठें...

एक सदस्य--

कभी मुझे भी मौका दीजिए...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें... (व्यवधान) कृपया बैठ जायं ..(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)... (व्यवधान)

श्री मित्र सेन--

दूसरी बात कहना चाहता हूं। वही बात कहना चाहता हूं जो आपने मन में है...

श्री अध्यक्ष--

बड़े अफसोस की बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप एक दल के नेता है और इसके बावजूद मेरे बार-बार कहने पर आप नहीं बैठे रहे हैं...

मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर अपना निर्णय दे दिया उसके पश्चात् सभी दल के नेता जिसमें नेता विरोधी दल भी हैं, वे भी खड़े हुए इस बात को लेकर कि यह जो निर्णय दिया है उस पर उन्हें फिर से सुन लिया जाय और पुनर्विचार कर लिया जाय। मैंने उसके बाद यह निवेदन किया कि ठीक है आप जो कहते हैं मैं फिर सुन लूंगा। लेकिन बागपत कांड ने हमारा बहुत समय ले लिया है और मेरे यह कहने के उपरांत कुछ माननीय सदस्यों तालियां भी बजायीं और मेंजें भी थपथपायी तथा कुछ माननीय सदस्यों ने शेम-शेम भी कहा कि इस तरह से होना नहीं चाहिए, नारे भी उन्होंने लगाये। उसके बाद मैं बैठ गया। तब कुछ नेताओं ने और नेता विरोधी दल ने इस सम्बन्ध में अपनी बातें भी कहीं और कहा कि इस स्पिरिट से नहीं कहा जाना चाहिए। तत्पश्चात् हमरे शासक दल के सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की कि निर्णय देने के उपरांत मैं कैसे चर्चा चला रहा हूं और कैसे सुना रहा हूं। उसके बाद फिर कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने यह भी बताने का प्रयास किया कि सबको पहले सुन लेना चाहिए निर्णय देने के बाद फिर नहीं सुनना चाहिए, जो कुछ निर्णय कर लेना चाहिए उस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए वह बदल नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं है।

[श्री अध्यक्ष —]

मैं कहना चाहता हूं कि मेरे तुच्छ बुद्धि में जो आता है वह यह है कि इस सदन के हित में, लोक हित में, प्रजातन्त्र के हित में उसको चलाने के लिये एक मात्र लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो उसमें बाधक हो और जिसको बदला न जा सके या जो स्थायी हो। लोकतंत्र की परम्परा में कोई ऐसा नियम नहीं है।

अब मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो यह कहा गया कि ये जो सत्याग्रही हैं, ये बागपत कांड से सम्बन्धित हैं। यह आपकी सूचना में दिया हुआ है। बागपत कांड से सम्बधित चर्चा वहां पर चल रही है। बागपत कांड ऐसा शब्द है जिसमें जुर्म भी आता है, अन्याय भी आता है, न्याय भी आता है, इन्क्वायरी भी आती है, सब चीज उसके अन्तर्गत आ जाती है। यह सत्याग्रह भी उसी से सम्बधित है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे आप ऐसा कहें। आप माननीय सदस्य हैं, आपको कहने का अधिकार है। जो सूचना आपने दी है, उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"कल दिनांक 5 अगस्त, 1980 को मेरठ जिले के बागपत कस्बें में पुलिस जुर्म के विरुद्ध लोकदल के हजारों सत्याग्रही शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे। पुलिस ने उनके ऊपर निर्मम लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़े जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 सत्याग्रही बुरी तरह से घायल हो गये और एक दर्जन की हालत चिन्ताजनक है।

यह गंभीर घटना है। संपूर्ण प्रदेश में पुलिस राज कायम है। पुलिस जुर्म के विरोध में लोक दल की ओर से राज्यव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है और सभी जगह पुलिस बरबरता का व्यवहार कर रही है। अतः आपसे आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर, चर्चा की जाय।

आपकी सूचना से ही स्पष्ट है कि प्रदेश भर में विशेष कर उस स्थान में सत्याग्रह चल रहा है। जहां सत्याग्रह चल रहा है वहां कायदे कानून जो हैं उनको तोड़कर कर रहे हैं। कानून के विरोध में आप जो वहां ज्यादतियां हुई हैं सत्यागृह कर रहे हैं। तो जो कानून है उसके प्रति सत्याग्रह जानबूझ कर कर रहे हैं। उस सत्याग्रह में कुछ घटनायें हुई हैं आये दिन यहां बागपत कांड की चर्चा चल रही है। आप इस पर अलग से चाहते हैं तो इस पर मैं वक्तव्य मंगा लूंगा मुख्य मंत्री जी से कि जो अरोप लगायें हैं कि शांति भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया, हजारों सत्यागहियों पर जिसमें 100 आदमियों को चोटें आई हैं। मैं इस पर मुख्य मंत्री जी को निर्देश देता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दे दें शेष जो निर्णय है वह ज्यों के त्यों लागू है। अब मैं मद 8 लेता हूं।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ऊदल—

आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप मिला दीजिये दूध और पानी को एक में।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे बोलने के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। अब आय-व्ययक पर चर्चा होगी।

1980-81 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत) †

(समय 1 बजकर 7 मिनट अपराह्न से)

श्री जटाशंकर सिंह---

मान्यवर, यह बजट जो सदन के पटल पर रखा गया है इसकी प्रशंसा में सत्ता पक्ष के बंधुओं की ओर से बड़े बड़े पुल बांधे जा रहे हैं। मन में अगर कमियां भी समझते होंगे तो विवश हैं प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि उन्हें सत्ता पक्ष में बैठना है। अगर प्रशंसा नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे तो संभवत: उन पर ह्विप लागू होगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। यह किसान विरोधी और प्रवंचनापूर्ण बजट है जिसमें स्पष्टरूप से प्रदेश की जनता को प्रवंचना दी गई है। इस बजट में यह कहा गया है कि कोई नये कर नहीं लगाये जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी वाकचातुर्य में प्रवीण हैं और हमारे साथी ऊदल जी बता रहे हैं कि कवि भी हैं। यह बजट काव्यात्मक है, पूर्ण काल्पनिक है। इसमें यह कहना कोई कर नहीं लगाया जा रहा है जनता को प्रवंचना देना है। प्रदेश की जनता के लिये बजट प्रस्तुत होने के बाद बिजली की दरों में वृद्धि की गई। मान्यवर, जो कमी इस बजट में दिखाई गई है उसकी पूर्ति करने के लिये जो श्रोत बताये जा रहे हैं उनके बावजूद भी कमी बनी रहेगी।

हम इसी सदन में बैठे हुए देखेंगे कि टैक्सेशन के नये नये प्रस्ताव, अपरोक्ष प्रस्ताव यह लाकर उसे पूरा करने का यह प्रयत्न करेंगे। पता नहीं यह मुख्य मंत्री करेंगे या दूसरे कोई आने वाले करेंगे, लेकिन यह करेंगे अवश्य। आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान-विरोधी बजट में इसको क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि खाद का दाम बढ़ाया गया है, उत्पादन हेतु जो भी सामान किसान प्रयोग करते हैं-खेतों में खाद डालते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं, बीज का प्रयोग करते हैं उन सबके दाम बढ़ाये गये हैं। अगर उस पर दाम बढ़ता है तो यह बजट अवश्य ही किसान विरोधी है। यह सरकार राहत दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है, किन्तु वह घोषणा भी इस सरकार के द्वारा नहीं की गई है।

मान्यवर, मैं आगे कहना चाहता हूं मैं बहराइच जनपद के सबसे पिछड़े क्षेत्र नानपारा से चुनकर आया हूं, वहां के विषय में मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ज्ञान में लाना चाहता हूं। वह सारा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है, जिसका दो-तिहाई भाग जंगल है और एक तिहाई बीच की पट्टी है। वही कृषि योग्य थी, किन्तु उसके बीचो बीच शारदा सहायक के अन्तर्गत नहर निकल रही है। जो नहर निकल रही है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन उस नहर के निकलने से, वहां पर चकबन्दी हो चुकी है, एक बहुत बड़ा भाग मिट्टी के खोदने के कारण एवं नहर सम्बन्धी सड़कों के बनाने के कारण किसान से छीना जा रहा है। उससे छोटा किसान भूमिहीन हुआ जा रहा है, वह कल की भुखमरी के कगार पर खड़ा होने जा रहा है, उसके बच्चे कल रोटी के लिए तरसने वाले हैं, वह मृत्यु की गोद में जाने वाला है। इस लिए उसको काम देने के लिए, सारे क्षेत्र को मुआवजा देने के लिए आप गम्भीरता से विचार करें। लेकिन उस मुआवजे से वह कुछ कर नहीं सकेगा, इसलिए मेरा साथ ही यह भी निवेदन है कि उस जंगल से घिरे क्षेत्र में एक कागज का कारखाना भी लगाया जाए और चीनी का कारखाना भी खोला जाए। वहां लकड़ी की बहुतायत है, इसलिए वहां पर प्लाइउड का भी कारखाना खोला जाए। वह क्षेत्र नहर के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहा है। इसलिए वहां पर चीनी, कागज या प्लाईउड का कारखाना अवश्य देने की आप घोषणा करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

---

†दिनांक 5 अगस्त, 1980 की कार्यवाही से

[श्री जटा शंकर सिंह]

सड़कों के बारे में इसमें बातें कही गई हैं, वह हर सरकार बनवाती है, यह भी बनवाने की बात कह रही है, और बनेंगी। इसमें मुझे किसी प्रकार की आशंका नहीं हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में गिरिजापुरी से लेकर सुजौली तक का 8 किलोमीटर का जो मार्ग है, वह 8 वर्षों से निर्माणाधीन है और अब भी निर्माणाधीन है। एक किलोमीटर बन जाती है, उस पर डामर पड़ जाता है और अगला किलोमीटर बनने के पहले ही वह पहले वाला डामर उखड़ जाता है। यह स्थिति मैं 8 वर्षों से देख रहा हूं। इसी प्रकार से यदि सड़कों के बनने की प्रक्रिया रही तो आज घोषित की गई सड़कों की भी स्थिति बिगड़ती चली जाएगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप बजट दे देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है लेकिन वह पैसा उनकी अकर्मण्यता के कारण पड़ा रहता है। मार्च के महीने में जब वर्ष का अन्त होता है तब आप किसी भी कार्यालय में जाइये आपको भीड़ ही भीड़ नजर आयेगी और विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग में। इन दिनों में नगर के पास की पुलियां गलत ढंग से तुड़वाकर बनवाया जाता है और रुपये को बरबाद किया जाता है।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत स्कूलों का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्राइमरी शिक्षा हमारे प्रदेश में बंगाल के दोहरे शासन प्रबन्ध की तरह से बन गयी है। एक ओर जिला परिषदों को भवनों के निर्माण के अधिकार दिए गए हैं और दूसरी ओर वेतन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद् को अधिकार दिए गये हैं। मेरे क्षेत्र की स्थिति यह है कि वहां पर अनेक स्कूल ऐसे हैं जिनमें छत तक नहीं है। बच्चे धूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं आज और कल तो और ही दुर्दशा है क्योंकि वर्षा होने पर वे कहीं बैठ कर पढ़ ही नहीं सकते हैं। मैं ऐसे कुछ स्कूलों के नाम गिनाये देता हूं जो मेरे क्षेत्र में मौरा पिपरा, नौनिहा, गूढ़ और मन गौढ़िया आदि में हैं। जिन स्थानों पर भवन हैं उनमें छतें नहीं हैं। मैं इस बजट में देखता हूं कि इसके लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जिन स्कूलों में छतें हैं, उनमें बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं हैं। अगर किसी स्कूल में सारी आर्हतायें हैं तो वहां पर अध्यापक नहीं हैं और जहां पर हैं भी, वहां पर ये स्कूल इसलिए बन्द रहते हैं कि अध्यापकगण ही अनुपस्थित रहते हैं। हमारे इलाके में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो लगातार बन्द चले आ रहे हैं।अध्यापक लोग वहां पर एक दिन भी नहीं आते हैं जैसे भरथापुर, महाजसिंह नगर एवं कोड़री आदि।

मेरे इलाके में अस्पतालों की भी स्थिति यह है कि जिला चिकित्सालय, बहराइच में सामान्य दवाइयों की तो क्या बात कही जाय, वहां पर बैन्डेज और बेहोश करने के लिए जो ईश्वर की आवश्यकता होती है वह भी उपलब्ध नहीं है।

जहां तक अन्त्योदय और विकास योजनाओं का सम्बन्ध है डी0 डी0 ओ0 एवं बी0 डी0 ओ0 आदि के पीछे लोग दौड़े ही रहते हैं और ये तमाम योजनायें आपके पैसा देने के बावजूद भी उक्त अधिकारियों की लालच के कारण ज्यों की त्यों पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। इस समय 115 सी0 के अन्तर्गत जुर्माने की वसूली चल रही है। एक एक भूमिहीन किसान से या जो 1 या 1 1।2 एकड़ के किसान हैं उनसे 25 हजार, 30 हजार और 40 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल हो रहा है। इस सूखे और विकट बाढ़ की परिस्थिति में वे किसी भी प्रकार से 25–30 हजार रुपया नहीं दे सकेंगे। अतः मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पुनरीक्षण कराके इस जुर्माने को माफ कराने के आदेश करेंगे या जितना मुनासिब हो उतना उनसे लिया जा सके ताकि वे गरीब लोग उसे दे सकें।

एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे हुजूरपुर क्षेत्र में सिरौली गांव में सवर्णों द्वारा दिन दहाड़े बैकवर्ड, हरिजनों को पीटा गया, उन्हें लूटा गया, उनकी महिलाओं के गुप्तांग में लाठियां तक डाल दी गयीं । यह घटना 25 जुलाई की है । वहां से जो विधायक चुन कर आये हैं यह सब करने वाले उनके संबंधी लोग बताये जाते हैं । उसकी रिपोर्ट भी दर्ज है। पुलिस अभी तक मौन है । इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे इस चर्चा में बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । हमारे मुख्य मंत्री जी ने सदन के पटल पर जो बजट रखा है उसमें गरीब जनता की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, उनकी हर समस्या को समझते हुए, उनको पूर्ण राहत देने का प्रयास किया है । यह बजट कर से मुक्त है और प्रदेश की जनता ने इसका हार्दिक स्वागत किया है और कर रही है ।

मान्यवर, बजट में 1981 के अन्त तक हर 20 हजार की आबादी पर एक बैंक शाखा खोलने की बात कही गयी है । बैंक की शाखा खोलने का लाइसेन्स रिजर्व बैंक देता है और बैंक खोलने के लिये कुछ अवश्यक शर्तें होती हैं—जैसे वहां पर पोस्ट आफिस का होना, पुलिस स्टेशन का होना तथा यातायात की सुविधा आदि । मेरा निवेदन यह है कि जहां जहां बैंक खोले जायें वहां इन चीजों की व्यवस्था भी की जाय । वहां पर डाकघर हो, पुलिस स्टेशन हो तथा यातायात की व्यवस्था हो, सड़कें आदि बनें । बैंक की शाखा जितनी जल्दी खुलेगी उतना ही जल्दी प्रदेश का विकास होगा ।

(इस समय 1 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए) ।

गरीब जनता की भलाई के लिये प्रदेशीय सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं, लेकिन कुछ कानूनी फार्मेलीटीज पूरी न कर पाने के कारण गरीब जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता । बैंकों से सुविधा नहीं मिल पाती । अतः मुख्य मंत्री जी आदेश जारी करके कानूनी अड़चनों को दूर करायें तभी गरीबों को लाभ उन योजनाओं का पहुंच सकेगा । यहां पर हमारे जितने भी बैंक हैं, उनकी जो डिपाजिट्स हैं, उनकी जो जमा राशि है वह काफी है लेकिन उसको देखते हुए, उनका इन्वेस्टमेंट जो हमारे प्रदेश में उन्होंने किया है वह कम है । हमारे यहां की जनता का पैसा जो बैंकों में जमा होता है, उसे राष्ट्रीयकृत बैंक और कार्मशियल बैंक में अगर यहीं पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और यहीं पर, यहां के लोगों को ज्यादा ऋण उपलब्ध करायें, तो हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर तेजी में आगे बढ़ेगा । विश्व बैंक द्वारा दिया गया ग्रामीण गोदामों के लिये जो एक बहुत बड़ी रकम यहां पर हमारे प्रदेश को मिली है, उसके अन्तर्गत मैं यह कहना चाहूंगा कि 2918 गोदाम, 1980 में स्वीकृत किये गये थे और अभी तक 170 गोदाम का निर्माण हुआ है । यह जो पैसा विश्व बैंक से हमें प्राप्त हुआ है, मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उस पैसे को ग्रामीण गोदामों को बनाने में लगायें और उसको जो रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके अन्तर्गत इस ग्रामीण गोदामों का कार्य दें जिससे कि शीघ्र ये गोदाम बनें और जो हमारे गरीब कृषक लोग हैं, उन्हें इस से फायदा पहुंच सके । विद्युत उत्पादन के लिए भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी योजनायें हमारी दिल्ली सरकार को पेश की हैं और मुझे विश्वास है कि अगर यह सारी योजनायें हमारी मंजूर हो जायेंगी, तो प्रदेश के अन्दर 10 वर्षों में विद्युत की समस्या समाप्त हो जायगी । लघु उद्योग के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटे-छोटे जितने हमारे उद्योग हैं, इनको बिजली उपलब्ध कराना आवश्यक है क्योंकि बड़े-बड़े जो उद्योग हैं वह तो जनरेटर इत्यादि खरीद सकते हैं लेकिन जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनको अगर बिजली नहीं मिल सकेगी तो उनका उत्पादन नहीं हो सकेगा, उसका असर गरीब जनता पर पड़ेगा और जो छो -छोटे इन्टरप्रिन्योर अपने उद्योग चला रहे हैं उनको

[श्री सुनील शास्त्री]

भी कठिनाई हो रही है । ग्राम्य विकास के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि खाद्यान्न योजना के संबंध में जो कार्य लिंक रोड का दिया गया है, मेरा निवेदन है कि उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कर दिया जाय क्योंकि फूड फार वर्क जो है वहां पूरी तरह से कार्य नहीं हो रहा है । अभी कई जगह मैंने देखा कि लिंक रोड पूरी नहीं हो सकी है । फूड फार वर्क के अन्तर्गत छोटी-छोटी जो सड़कें हों, गांवों में, जैसे नाले हों उन सब में उन सबको लगाया जाय जिससे लोगों को काम मिले और उन्हें मजदूरी मिल सके । गोरखपुर में जहां से मैं चुन कर आया हूं वहां के जनपद में अध्यापकों के ऊपर सी0 पी0 टैक्स लगाया जा रहा है, मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह से आजमगढ़, देवरिया और अनेक जिलों के अध्यापकों के ऊपर से सी0 पी0 टैक्स हटाया गया है, गोरखपुर में जो सी0 पी0 टैक्स लगाया जा रहा है उसे वहां से हटाया जाय । क्रीड़ा के क्षेत्र में मैं भी कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश बहुत पीछे है । इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश में कोई भी शायद भारत में कहीं भी, हम क्रीड़ा के क्षेत्र में स्थान नहीं स्थापित किये हैं । क्रीड़ा के क्षेत्र में मेरा निवेदन है कि हमारे प्रदेश में कई स्थानों पर स्पोर्ट्स कालेज खोले जायं और वहां पर क्रीड़ा की ट्रेनिंग दी जाय, जिससे कि हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको उत्साह मिले और वह दिल से ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) में भाग लें और हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करें । अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के लिये हाल ही में प्लानिंग कमीशन से, दिल्ली की केन्द्रीय सरकार से कुछ अधिक धन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है । मुझे विश्वास है कि यह जो अधिक धन है, उससे हमारे प्रदेश को प्रगति पर ले जाने के लिये काफी मदद मिलेगी और इससे हर क्षेत्र प्रगति प्राप्त करेगा और मैं आपका फिर से आभारी हूं कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव रखने का अवसर प्रदान किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अस्वस्थ होने के कारण मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि आप मुझे बैठकर बोलने की अनुमति दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ कर बोल सकते हैं ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह जो बजट पेश किया गया है, यह बजट जनता के लिये कम पेश किया गया है । श्रीमती इन्दिरा गांधी और स्व0 संजय गांधी के लिये ज्यादा पेश किया गया है । इसको चाहे जिस रूप में आप ले लें, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी और स्व0 संजय गांधी के नामों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा केवल यही एक निचोड़ पूरे बजट में मिलेगा ।

श्री मोहन सिंह--

(हंसकर) जी हां; यह उन लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इस बजट के आंकड़ों के बारे में अगर हम ध्यान दें तो कोई भी भरोसे के लायक आंकड़े इसमें नहीं हैं । मैं मान्यवर, आपके सामने इन आंकड़ों को उदाहरण स्वरूप पेश करूंगा । जब कभी भी बजट अनुमान लगाये जाते हैं और उसके दो साल बाद जो आंकड़े तैयार किये जाते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है । उदाहरण के लिये सन्

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1977–78 के आंकड़े उठाकर आप देख लें। अनुमान था 1272.41 करोड़ रु0 का और वास्तविक रूप में 1361.81 करोड़ रु0 का खर्च था। ऋणों की प्राप्ति के बारे में अनुमान किया जाता है 1028.88 करोड़ रु0 का और वास्तविक 1503.48 करोड़ का था। अंतिम शेष (–) 79.38 था परन्तु वास्तविक (+) 145.84 करोड़ रु0 का। प्रारम्भिक शेष था (–) 112.67 करोड़ का और वास्तविक (–) 175.14 करोड़ रु0 का हुआ। योग प्राप्तियां रुपये 2332.26 करोड़ रु0 की थी और वास्तविक हुयी रु0 2883.28 करोड़ की थी तथा अन्य में अनुमान था रु0 2373.30 करोड़ रु0 का परन्तु वास्तविक रु0 2708.71 करोड़ का निकला।

इसी प्रकार मान्यवर, 1980–81 के बजट में प्रारम्भिक शेष 131.15 करोड़ रु0 का था, लेकिन अंतिम शेष 13.16 करोड़ का दिखाया गया है। यह कोई नहीं जानता कि वास्तविक राशियां कितनी होंगी। ऐसा लगता है कि जानबूझ कर आय और व्यय कम करके दिखलाया जाता है। घाटे की रकम मान्यवर, आमतौर से बढ़ जाती है तथा उसे पूरा करने के लिये वर्ष भर कर लगते रहते हैं या सरकारी खर्च विशेषकर क सामाजिक कल्याण के कार्यों के मदों में घटाकर पूरा किया जाता है, तथा उनकी रकमें लैप्स होने दी जाती है। योजनाओं का काम खटाई में पड़ता रहता है और बाद में यह घाटा दिखा दिया जाया करता है। इस काम को करने का एक और तरीका है। पहले लिये हुए जो कर्जे हैं उनकी अदायगी को रोक दिया जाता है। लगातार इस तरह की नीति के फलस्वरूप राज्य अधिक से अधिक ऋणग्रस्त होता जा रहा है। 31 मार्च, 79 को राज्य की ऋण स्थिति 3604.07 करोड़ की थी और 2935.80 करोड़ का ऋण बाजार से भारत सरकार से या अन्य संस्थाओं से लिया जायगा। 31 मार्च, 1972 को यह रकम 998.30 करोड़ थी और 10 साल के बाद यह रकम तिगुनी हो गयी। 1978–79–80 तथा 1979–80–81 की जो अनुमानित रकम है इन तीनों को रोक लिया जाय तो प्रति व्यक्ति ऋण भार हमारे प्रदेश की जनता पर 357 रु0 होता है और अगर घाटे को ले लें तो 80–81 में 117.99 करोड़ का घाटा दिखाया गया है, यह बढ़ भी सकता है लेकिन बजट के आंकड़ों से पता चलता है कि जानबूझ कर कम दिखाने के लिये ऋणों की किस्तों की अदायगी को रोक दिया गया जिसके फलस्वरूप कर घाटे की रकम आगे आने वाले वर्षों में जनता पर भार अधिक पड़ेगा। 80–81 के बजट में ऋण अदायगी की मद में केवल 168.11 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गयी है। 72–73 से अदा की जाने वाली रकमें सबसे कम हैं।

एक तरफ ऋणग्रस्तता बढ़ रही है और दूसरी तरफ ऋण अदायगी में कमी की जा रही है। 78–79 में इस मद में 918.36 करोड़ की रकम खर्च हुई। यदि इतनी ही रकम इस वर्ष अदा की जाती तो घाटा लगभग 1 हजार करोड़ का हो जाता। बजट में नये कर नहीं लगाये गये हैं यह बात सही है लेकिन घाटा पूरा करने के लिये नये कर लगाये जाने की गुंजायश पूरी छोड़ रखी है। कब किस समय किस तरह का टैक्स लगा दिया जायगा कोई नहीं जानता। यह निश्चित है कि ये कर लगने भी शुरू हो गये हैं। आप देखें कि बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया और दो करोड़ का नया भार डाला गया है। इससे पहले केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों की कीमत बढ़ा दी, डीजल का मूल्य बढ़ा दिया, कृषि यंत्रों का मूल्य बढ़ा दिया। मूल्य बढ़ा दिये लेकिन कहने के लिये कहा यह जा रहा है कि हमने कोई टैक्स लगाने की बात नहीं की। हमें तो विश्वास है कि ये टैक्स आगे और लगेंगे। दिखाने के लिये हैं कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। आप देखें कि 71–72 में राज्य सरकार ने कुल कर की रकम 155.65 करोड़ की थी और इस बीच में वह बढ़ कर 504.99 करोड़ हो गयी, लगभग साढ़े तीन गुना। प्रति व्यक्ति इन करों का भार उत्तर प्रदेश में 1971–72 के पहले केवल 17.46 रुपया था जो 1980–81 के बजट में 54.7 रुपया हो गया है यानी तीन गुने से ज्यादा हो गया है। 1980–81 में राज्य की जनता पर केन्द्र तथा राज्य के कुल करों की प्रति व्यक्ति दर 135 रुपया है, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक ऋण 354.37 रुपया है जोड़ने पर 492

[श्री राम आसरे वर्मा]
रुपया प्रति व्यक्ति हो जाता है। 492 का कर्जदार उत्तर प्रदेश है इस समय जो कीमतों के आय से आधे से अधिक है। सरकार को प्राप्त रकम विभिन्न करों से बढ़ती जा रही है। जैसे 1971–72 और 1980–81 में....

श्री सूबेदार सिंह––

सदन का कोरम पूरा नहीं है अतः मीटिंग स्थगित कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता––

वर्मा जी, आप जारी रखें। देखा जा रहा है कि कोरम है या नहीं।

(कोरम पूरा पाया गया)

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, मैं आपको अनुमति से सन् 71–72 में हमारे प्रदेश में विभिन्न मदों से जो कर वसूल किया जाता है उस समय क्या स्थिति थी और आज 80–81 के बजट के आधार पर जो कर वसूल किया जायेगा उसकी क्या स्थिति है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या हमारे साथी श्री राम आसरे वर्मा जी अस्वस्थ हैं ?

श्री अधिष्ठाता––

वह मेरे अनुमति से बैठकर बोल रहे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी ––

तो धन्यवाद श्रीमन्, धन्यवाद।

श्री राम आसरे वर्मा––

जब हमारे भाई बाजपेयी जी अस्वस्थ होंगे तो वह लेट कर भी बोलेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। मान्यवर, 1971–72में भू-राजस्व 6 करोड़ था, 80–81 के बजट के आधार पर 28.30 करोड़ बैठ रहा है। इसी तरह स्टाम्प कर में 17.89 करोड़ था, अब 57.29 करोड़ हो गया है। बिक्री कर 58.42 से 276.83 करोड़, हो गया, विद्युत कर 4.44 करोड़ से 6.38 करोड़, मनोरंजन कर 8.70 से 28.09 करोड़ सिंचाई कर 16.23 करोड़ अब 42.65 करोड़ है। मान्यवर, 71–72 से 80–81 में कितनी रकम बढ़ी है। इन्हीं का शासन मान्यवर, उस समय सम्भवतः था और आज भी इन्हीं का है। कर बोझ कितना गुना जनता पर बढ़ रहा है। यह मेरे चार्ट से स्पष्ट हो जाता है।

मान्यवर, पुलिस प्रशासन, कारागार, न्याय और तमाम इस विभिन्न विभागों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, 1971–72 और 80–81 के आधार पर 2–3 बातें बताना चाहूंगा। पुलिस के ऊपर 71–72 में 27.90 करोड़, अब उसमें 107.76 करोड़ रुपया, कारागार पर 3.32 करोड़ इस समय 9.19 करोड़ न्याय प्रशासन पर 4.35 इस समय 12.32, सामान्य प्रशासन पर इस समय 18.59 करोड़ हो गया है। मान्यवर, पुलिस पर बजट बढ़े लेकिन बजट बढ़ने से अगर पुलिस के लोगों की हालत बदली होती, उनकी जिन्दगी बदली होती तो मुझे अच्छा लगता। उनकी जिन्दगी की हालत तो बदली नहीं बल्कि जनता के ऊपर डण्डा चलाने के लिये एक और मजबूत डण्डा दे दिया गया। रोज चर्चा मान्यवर, सदन में हो रही है। कभी बाराबंकी की, कभी, उन्नाव की कभी बागपत का। अगर यह बजट पूरा होता पुलिस की स्थिति को बदलने के लिये, उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये तो मैं भी उसका स्वागत करता।

योजना के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत हमारा उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना मे पीछे रहा। जब से स्वतंत्रता मिली है उस समय से कोई भी मुख्य मंत्री हो, सम्पूर्णानन्द जी थे, उनके जमाने से लेकर आज तक हर मुख्य मंत्री हाथ फैलाता है योजना के आगे और आज जब मुख्य मंत्री कह र हैं कि हम घाटे में जा रहे है तो नजर लगाये बैठे हैं केन्द्र से कि उनको कुछ मिलेगा और उस पर नक्शा बना रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का। 79–80 की तुलना में 80–81 में योजना पर 40 करोड़ रुपये अधिक खर्च होने का अर्थ है मौलिक खर्च और कम होंगे। 25 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई। योजना व्यय में 5 प्रतिशत की वृद्धि का मतलब है योजना की गति धीमी होना। गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 1979--80 में योजनागत राजस्व व्यय 372.80 करोड़ था यह कुल राजस्व व्यय का चौथाई था। बजट अनुमानों के अनुसार दसवां भाग था। यदि पुलिस प्रशासन पर होने वाले योजनेत्तर खर्चों के कारण कुछ राशि घट गयी और चौथाई से दसवां हो गया तो समाज कल्याण के जितने भी कार्य थे उन पर पैसा कम होगा। 1979--80 में 53.32 करोड़ के खर्च का अनुमान था वह 80--81 में घट कर 51.80 की योजना हो गयी।

किसानों से, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में जो रहते हैं, जिनकी फसलें गत वर्षों में कभी सूखे से और कहीं बाढ़ से नष्ट हो गयी। और देखें, बाढ़ के साथ पूरे प्रदेश में इसको नजरंदाज किया जाता है, प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से भराव पीड़ित है। बाढ़ आती है, चली जाती है लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहता है लगातार कितने दिन तक, कुछ बच ही नहीं पाता। हमने आज तक नहीं देखा कि जहां फसल नष्ट हो जाती है, उन लोगों को कभी राहत दी गयी हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों को राहत मिलनी चाहिये और सड़क निर्माण का काम जो अनाज के बदले में होता है, उसको सिकोड़ा जा रहा है। उस पर भी ध्यान दें। यह पुरानी घिसी-पिटी योजना का द्योतक है। यह विकासोन्मुख न होकर जो नौकर शाही ने बना कर भेज दिया है, वही है। पुलिस के डण्डात्मक यंत्र मजबूत किये जा रहे हैं। मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। राज्य अधिक ऋण ग्रस्त हो गया। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री कैलाश टण्डन--

माननवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया यह बजट हमारे सूबे में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का एक नया संदेश लेकर आया है। कुछ माननीय सदस्यों ने बजट की काफी आलोचना की और कहा कि मूल्य वृद्धि, पुलिस प्रशासन में गड़बड़ी आदि अनेक चीजें इस बजट के द्वारा आयी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती ईमानदारी की बात लोग इस सदन में क्यों नहीं करते ? मैं मानता हूं कि चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, किसकी वजह है बढ़ रहे हैं। यह तीन चार साल का पाप अब उजागर हो चुका है।

एक सदस्य--

बिजली के दाम.....

श्री कैलाश टण्डन --

बिजली को ही लीजिए। बिजली से ही शुरू कर देता हूं। मैं जानता था मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा। बाबू मोहन सिंह जी हंस कर टालेंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश टण्डन]

100 मेगावाट बिजली बनी । रिहन्द में माताटीला में पानी नहीं आया । 1800 मेगा वाट बिजली बनी थी । 1400 मेगावाट खर्च होती है । 400 मेगावाट खुले रूप में खर्च हो जाती है । इससे पहले बिजली की कमी नहीं हुई । बिजली नहीं होगी उत्पादन कैसे होगा ? सीमेन्ट कैसे बनेगी, साबुन कैसे बनेगा, कोई भी सामान हो, जूते में लगने वाली कीलें कैसे बनेगी ? उत्पादन पर ध्यान दिया नहीं । आप करते क्या थे, इन्दिरा गांधी का नाम लेते थे, संजय गांधी का नाम लेते थे । नं0 1 कहे, नं0 2 से कि तुम बेईमान हो और नं0 2 कहे नं0 1 से कि तुम बेईमान हो । बनारस से आता हूं । संपूर्णानन्द जी के भाई थे अन्नपूर्णानन्द । तीन किताबें हैं अकबरी लोट, महाबीर लोट, राम भरोसे । हास्य और व्यंग है इनमें बहुत अच्छा । एक कहानी याद आती है मान्यवर, राम भरोसे हास्य और व्यंग की बड़ी अच्छी कृति है । गांव में कुछ लड़के थे । पेड़ के नीचे एक गधा बंधा था.....

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय 10 मिनट है ।

श्री कैलाश टण्डन--

यह भाषण का अंग है । लड़के गांव में गधे को पकड़ कर घुमाने लगे । पटेल जी ने कहा कि जल्दी से जाकर कपड़े धो लो । उनसे कहा गया उसमें आपका भी लड़का राम भरोस था । पटेल जी ने कहा सब लड़कों से राम भरोस गदहा छुए नहीं दोष । क्रान्ति देसाई काण्ड था । चौधरी चरण सिंह के बच्चे, दामाद, पत्नी का काण्ड था, उस पर नहीं कहा । जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं । अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, मुख्य मंत्री जी भी बैठे थे, यह उत्तर प्रदेश में क्या चलेगे ? मैं सूबे की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी रहेंगे इस प्रकार का गलत प्रचार करके भ्रम पैदा करना चाहते हैं और वह जो खुशहाली का बजट आया है, उसकी आलोचना करके, झूठे आंकड़े देकर सूबे के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं ।

एक सदस्य--लेकिन इस खुशहाल के बजट कर को लाने वाले आपके मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे अब ।

श्री कैलाश टण्डन--

मुख्य मंत्री जी भी रहेंगे और हम भी रहेंगे । अब आपको मौका नहीं मिलने वाला । मान्यवर, चीनी के बारे में इन लोगों ने काफी जिक्र किया । मुझे याद है इसी लखनऊ में इन्दिरा गांधी आयी हुई थीं । बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे । काफी ठंड थी पानी हल्का फुल्का बरस रहा था । इन्दिरा गांधी जी ने ऐलान किया कि सूबे के किसानों के लिये क्या उपहार देती हूं ? गन्ने की कीमत 14 रुपये कुछ पैसे निर्धारित करती हूं मान्यवर, मैं तो शहर का रहने वाला हूं । शहरी एरिया के अन्दर, लखनऊ या बनारस हो, या कानपुर हो, जहां जलाने की लकड़ी 14 रुपये मन बिकती हो और जिस गन्नेसे चीनी निकलती हो, वह चार रुपये क्विंटल नहीं बेचने दिया किसानों को, इन लोगों ने अपने शासन काल में और सूबे के नेताओं के पास गये, तो कहा कि इतना गन्ना क्यों बो दिया, आयेगा कहां से ? मान्यवर, संजय सिंह ने कहा कि 8,000 मैट्रिक टन उत्पादन रह गया है चीनी का । अब उत्पादन नहीं हुआ तो चीनी रही नहीं । सूखा पड़ गया । तेलहन नहीं पैदा हुआ क्योंकि आपने सिंचाई की व्यवस्था नहीं की । किसानों को आपने खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो कैसे होगा ?

मान्यवर, मैं अपने साथियों और अपने सूबे की जनता का ध्यान माननीय इन्दिरा गांधी, जो देश की महान नेता हैं, के भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने मन्त्रि-मंडल में हिस्सा लिया तो राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया उनकी बात दोहराना चाहता हूं उन्होंने मुल्क के लोगों के नाम दावतनामा दिया था । उन्होंने कहा कि जनता पार्टी हुकूमत के कारण जो मुल्क की हालत बिगड़ रही है, आर्थिक, वैदेशिक और सामाजिक हालत बिगड़ रही है, इस मुल्क के लोग आयें और इसमें हिस्सा लेकर इस मुल्क को बढ़ाने के लिये मेरे हाथ मजबूत करें । आज हालत काफी बिगड़ चुकी है । ये लाख कहें, लेकिन उनको जनता ने निकाल दिया । मैंने तो उस वक्त भी कहा था ।

मान्यवर, 1903 में जब पुना में प्लेग फैला था तो हिन्दुस्तान के लोगों ने क्या किया ? आसाम से बिहार तक फैला था प्लेग । तो कुछ लोगों से पूछा गया कि आपने इसके लिये क्या किया ? तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने चूहे मारे, किसी ने कहा कि मैंने इतने मच्छर मारे । तो, मान्यवर, ये लोग भी अपने शासनकाल में जातिवाद और साम्प्रदायवाद के कीड़े फैलाते रहे या यों कहिये कि केवल चूहे और मच्छर मारते रहे । अब इनकी बात को जनता सुनने को तैयार नहीं है । ये बागपत की बात कहें या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात उठायें जनता में किसी भी प्रकार भ्रम पैदा करना चाहते हैं । लेकिन जनता इनकी बात सुनने वाली नहीं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं । ये लोग काफी होशियार थे । इन्होंने, जब ये शासन में आये, तो क्या किया ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने शासन में ऊंचे पदों पर अपने आदमियों को बिठाया । लोकदल ने अपने आदमियों को बिठाया । अन्य राजनैतिक दलों ने अपने आदमियों को बिठाया । आज स्थिति यह है कि इन्होंने तय कर रखा है कि शासन में सब मेरे अधिकारी बैठे हैं और हम सदन में बैठे हैं । सदन में चिल्ला कर बात कहेंगे गलत आंकड़े देंगे और भ्रम फैला करके सूबे के और देश के लोगों को गुमराह करते रहेंगे और शासन को अव्यवस्थित और पंगु बनाने के लिये हम लोग भीतर से तुम्हारी मदद करते रहेंगे । तो मैं एक बात कहना चाहता हूं अधिकारियों से कि वह भूल जायं यह जनता पार्टी की हुकूमत नहीं, यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस की हुकूमत है । जिसका नाम सुनकर मैंने अपनी आंखों से देखा है किइन्दिरा गांधी की हुकूमत का नाम सुनकर सर्दियों के दिनों में जिन अधिकारियों के माथों पर पसीना चुहचुहा आता था, उन्हीं अधिकारियों को अब पुनः अपना रवैया बदलना पड़ेगा और ऐसे अधिकारियों का तबादला करना पड़ेगा । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं बनारस से रवाना हुआ तो काशी हिन्दू विद्यापीठ एक संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, मैं वहां से जा रहा था तो काफी लड़कों की भीड़ लगी थी । मैंने पूछा कि क्या मामला है तो पता चला कि कुलपति जी नहीं मिलते हैं । जनता पार्टी की हुकूमत में रखे गये थे । डेढ़ बजे का समय था । मैं उनके पास गया तो वह दारू के नशे में पड़े थे । मैंने कहा जुलाई, अगस्त का महीना है, यह लड़के एडमीशन और हास्टल के मामले में चिल्ला रहे हैं । इस प्रकार शिक्षा जगत प्रशासन जगत पुलिस जगत में जितने महत्वपूर्ण स्थान थे वहां पर इनके बैठाये हुए आदमी बैठे हैं और हमें उन्हीं से काम लेना है । अगर वे नहीं मानेंगे तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से विद्युत परिषद् के मथुरा राय हटाये गये हैं, हर ऐसे अधिकारी को हटा दिया जायगा ।

मैं आखिरी बात अपने शहर वाराणसी के बारे में कहना चाहता हूं । हमारा शहर बड़ा कमासुत नगर है जो सरकार को ज्यादा प्यारा होना चाहिए । हमारे यहां से डालर पैदा होता है । भदोही, ज्ञानपुर और गोपीगंज के बारे में हमारे साथी ने काफी बातें कहीं । काशी शिक्षा की नगरी है, चिन्तन की नगरी है, आज वहां के घाटों की बड़ी दुर्दशा है । अगर उनका सुधार नहीं किया गया, पुराने राजा महाराजाओं के महल जो काशी के गौरव हैं, अगर उन पर

[श्री कैलाश टण्डन]

तुरन्त एक योजना नहीं रखी इस सरकार ने, अगर वहां की सीवर व्यवस्था को सुधारने के वास्ते काम नहीं शुरू किया तो शायद यह काशी की गरिमा नहीं रह पायेगी । मैं शासन से चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बजट का स्वागत करता हूं और अपने साथियों को इस मंत्रिमण्डल की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बजट आपकी खुशहाली के लिए है ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह बजट संकीर्ण सामन्ती दिमाग की उपज है । इससे विस्तारवादी अर्थ-व्यवस्था की कल्पना हम कर ही नहीं सकते । उत्तर प्रदेश तरक्की की रफ्तार में निरन्तर पीछे होता जा रहा है और आज हम हिन्दुस्तान में बिहार के बाद दूसरे सबसे पिछड़े हुए सूबे में गिने जाते हैं । हमारी आमदनी निरन्तर ज्यादा से ज्यादा पीछे होती जा रही है । केन्द्र सरकार ने हमको वांछित सहायता तरक्की के लिये नहीं दी । आमदनी के सारे स्रोत दिल्ली की सरकार के काबू में है और हमको उससे बहुत ही कम पैसा मिलता है । मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । योजनाओं के सिलसिले में हमको जो सहायता मिली, वह 240 रु0 फीक्स आन्ध्र प्रदेश को, 202 रु0 फीक्स तमिलनाडु को, 221 रु0 फीक्स पश्चिम बंगाल को और उत्तर प्रदेश को मात्र 75 रु0 फीक्स की सहायता योजना के लिये हमको केन्द्र सरकार ने दी है । जो हमारी केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें हैं, उसके भी हिसाब से हम देखें तो इतने बड़े राज्य को द्वितीय संस्थाओं के माध्यम से फीक्स जो सहायता मिलतीहै, वह भी सर्वाधिक कम है और इसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं क्योंकि शास्त्री जी ने इसकी चर्चा उठायी थी ।

मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में प्रति व्यक्ति 317 रुपये वित्तीय संस्थाओं से मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मात्र 75 रुपये इन वित्तीय संस्थाओं से उद्योग धंधों को खोलने के लिये मिले हैं । हमारा जो डिपाजिट है उसके अगेंस्ट हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह बहुत सीमित है और कम है और इसके बारे में राज्य सरकार को संघर्ष करना पड़ा । हमारे नियोजन मंत्री बड़े जोर से हल्ला कर रहे हैं कि 83 करोड़ रुपया इस योजना में अधिक मिला है । लेकिन गत वर्ष की तुलना में जो दाम बढ़े हैं विद्युत के, खाद के और पेट्रोलियम पदार्थों के उसको देखते हुए यह राशि बहुत कम है । दाम बढ़ने के अनुपात में यह राशि कम है । दिल्ली की सरकार जहां हमारे साथ अन्याय करती है वहां इस सूबे की सरकार भी इस तरह की मनोवृत्ति के साथ बजट का बितरण करती है ।

सड़कों के बारे में, 1980-81 का बजट प्रस्तुत हुआ है । पेज 161 पर आप देखें, रायबरेली और सुल्तानपुर में सारी सड़कों का पैसा खर्च किया जा रहा है जैसे और कोई जिला प्रदेश में पिछड़ा ही नहीं है । यह जिला प्रधान मंत्री का है, यह जिला प्रधान मंत्री के बेटे का है इसका ध्यान रखा है, कम से कम मुख्य मंत्री जी ने अपने जिले इलाहाबाद, मांडा को इसमें जोड़ लिया होता लेकिन सड़कों पर केवल एक दो जिलों में इस तरह से पैसा खर्च करना अन्याय है । शिक्षा की मद में जो खर्च दिखाया गया, ये कहते हैं कि शिक्षा की हालत गिर रही है, प्राथमिक पाठशालायें जो गांवों में हैं उनके ऊपर छत नहीं हैं और कहा यह जा रहा है कि इस वर्ष लाखों रुपये खर्च करके एक खूबसूरत विद्यालय बनाया जायगा जिसमें प्रदेश के मेधावी छात्र पढ़ेंगे । वहां पर बड़े अफसरों और मंत्रियों के बच्चे दाखिल हो सकेंगे । इस खूबसूरत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्ष ण नहीं किया ।

विद्यालय में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और साधारण लोगों के बच्चों के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। इसलिये मैं इसको संकीर्ण और सामन्तशाही मनोवृत्ति की उपज का एक बजट कहना चाहता हूं ।

मद्यनिषेध के बारे में कहना चाहता हूं, बिहार की सरकार ने मद्य निषेध समाप्त कर दिया है ।आज लखनऊ में मद्य निषेध है, किसके ऊपर रोक है, साधारण छोटे कर्मचारी, मजदूरों के ऊपर रोक है । इस प्रदेश के सचिवालय में जो जितना बड़ा पियक्कड़ है वह उतने बड़े विभाग का सचिव बनाया ज़ाता है ।मेरा इल्जाम है कि इस मंत्रि मण्डल में बहुत से सदस्य शराबखोरी करते हैं और मद्य निषेध के नियमों की अवज्ञा करते हैं । मद्य निषेध से 84 करोड़ रुपये का डिफिसिट आया है लेकिन इससे एक नये किस्म का भ्रष्टाचार पैदा हुआ है । 4 मई को इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था । नियोजन मंत्री ब्रह्मदत्त जी नहीं हैं ब्रह्मदत्त जी मंसूरी निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं । सीधे दरवाजे से नहीं आते थे, पहली बार सीधे दरवाजे से आने के लिये पैसों की जरूरत थी । जब चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि खत्म हो गयी, अंतिम तिथि खत्म होने के बाद, सिंबल एलाट होने के बाद मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, में, केवल 3 जगहों में मद्य निषेध को समाप्त किया गया । लाखों रुपयों की रिश्वत बड़े होटल मालिकों ने इस तरह से नेताओं को दिया और मद्य निषेध को खोलने का काम किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के साथ ऐसी धोखा धड़ी क्यों करते हैं ? आप साफ-साफ बजट में कहें मद्य निषेध को समाप्त करें । आप कहते हैं कि हम नये कर इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि मितव्ययिता से इसको पूरा करेंगे । 60-65 करोड़ रुपये के अपने संसाधन बढ़ायें यह केन्द्र सरकार कहती है। तो आप अपने संसाधन किस तरह से बढ़ायेंगे इसके लिये कहते हैं कि हम मितव्ययिता करेंगे । मेरा आरोप है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री सबसे खर्चीले मुख्य मंत्री हैं क्योंकि इनके स्टाफ में तीन आई0 ए0 एस0 अधिकारी नियुक्त हैं जबकि आज तक मुख्य मंत्री के स्टाफ में तीन आई0 ए0 एस0 अधिकारी नियुक्त नहीं हुए है । सचिव नं0 1, सचिव नं0 2 और डिप्टी सेक्रेटरी भी आई0 ए0 एस0 हैं । यह सब मुख्य मंत्री के पर्सनल स्टाफ में हैं ।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) --

श्री मोहन सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथप्रताप सिंह सबसे खर्चीले मुख्य मंत्री हैं तो वह जानते हैं, मैं उनके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं,कि उनके पास एक विभाग नहीं है बल्कि बहुत से विभाग हैं । उन विभागों को देखते हुए सचिवों की तादाद बहुत कम है ।

श्री मोहन सिंह --

उनको मंत्री बढ़ाने से रोका किसने है ? आप समझते हैं कि मंत्री बढ़ा देंगे तो हम नहीं रहेंगे । जितने विभागों को वह देखते हैं तो क्या उनके सचिवों को हटा दिया गया है ? हिन्दुस्तान को प्रधान मंत्री के पास सुरक्षा, उद्योग तथा अन्य विभाग तक रहे हैं लेकिन उनके भी पर्सनल स्टाफ में केवल एक आई0 ए0 एस0 आफिसर हैं । मुझको अफसोस है कि आप इस तरह का डिफेन्स प्रस्तुत करते हैं । इतिहास में पहली बार एक उद्योगपति को यहां मंत्रि मण्डल में स्थान मिला जिसके पास मारुति लिमिटेड के सर्वाधिक शेयर थे और आज भी बिक्री कर, विद्युत विभाग तथा अन्य तमाम वित्तीय संस्थाओं का लाखों रुपये उन पर बकाया है । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर यदि 4 महीने का बकाया हो जाय तो उसको जेल हो जाती है और कुर्की तक करा ली जाती है । तो इस तरह के लोग मंत्रि परिषद् में बैठे हैं जो करवंचना और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं । इस लिये कहना चाहता हूं कि टैक्स चोरों और भूमि चोरों की जो सरकार है उससे इस बजट के अलावा दूसरे बजट की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं ।

[श्री मोहन सिंह]

मान्यवर, समय कम होने के कारण मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं बजट में संचित निधि के अतिरिक्त आकस्मिक निधि का प्राविजन कई वर्षों से चला आ रहा है। मेरी राय में यह आकस्मिक निधि भ्रष्टाचार की जननी है। संचित निधि के साथ यह धोखाधड़ी है। सिंचाई विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, जल निगम, पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियरिंग विभाग आपके आकस्मिक निधि का बहुत दुरुपयोग करते हैं। प्लानिंग एण्ड डिजाइन विभाग जो बजट और इस्टीमेट तैयार करते हैं। यह विभाग जब देखते हैं कि इस्टीमेट से ज्यादा खर्चा है तो वह सारा पैसा आकस्मिकता निधि से खर्च करते हैं चूंकि ज्यादा पैसा वित्त विभाग से मिलता नहीं है। सबसे रद्दी विभाग प्लानिंग एण्ड डिजाइन विभाग सिंचाई और पी0डब्लू0डी0 का होता है, इसलिये इसमें कोई भी इंजीनियर नहीं रहना चाहता है। अतः इस विभाग को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिये आकस्मिकता निधि का प्राविजन बजट से समाप्त करने की जरूरत है लेकिन यदि इस्टीमेट से ज्यादा धन की जरूरत है तो पूरक अनुदान (सप्लीमेन्ट्री) बजट पेश कर सकते हैं और इसलिये आकस्मिकता निधि का इस तरह से दुरुपयोग न करें। मान्यवर, मेरा समय समाप्त हो गया इसलिये मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह बजट प्रदेश के हित में नहीं है और इस बजट में संपूर्ण प्रदेश के हित की झलक नहीं मिलती है।

श्री जंगबहादुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप ने बजट में जिसे हमारे मुख्य मंत्री जो ने प्रस्तुत किया है, बोलने के लिये मुझे अवसर दिया है। आज जो यह बजट आया हुआ है इस के बारे में हमें विचार करना है लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे भाई जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, पिछले संसद और विधान सभाओं के चुनावों के कारण जिन की दयनीय स्थिति हुई है, आज उन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। विरोधी दल का कार्य सरकार के अच्छे कामों में सहयोग देना है जैसे देश की गरीबी, देश की महंगाई, बेकारी, जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है यह जानते हुए भी उन्होंने एक ऐसा रास्ता अख्तयार कर रखा है कि वह चाहते हैं कि देश की जनता के सामने प्रदेश की जनता के सामने, इस प्रकार का शोरगुल करें जिससे जनता का आकर्षण उन के साथ हो। इनके तीन साल की सत्ता में केवल चरित्र हनन का प्रयास किया गया जिस में प्रधान मंत्री के करेक्टर के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर, परिवार के ऊपर, कई आरोप लगाये गये, कमीशन बैठाया गया। जनता के दुःख की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उसी का परिणाम यह था कि आप को उस स्थान से हटना पड़ा। आप का रास्ता यह है कि आप जुलूस निकालते हैं, संसद के सामने सत्याग्रह करते हैं, विधान सभा के सामने नारे लगाते है। इसका विश्वास करें कि इससे जनता का समर्थन आप को मिलने वाला नहीं है। मैंने तो यहां तक देखा कि आप लोग इस अवसर की तलाश में थे कि कांग्रेस में फूट का अवसर मिले। जब संजय गांधी का नाम मुख्य मंत्री पद के लिए आया था आप लोगों ने सोचा कि यही अवसर है कि कुछ पुराने लोग हैं कुछ युवा लोग हैं आपस में झगड़ा होगा और झगड़ा होगा तो आप को अवसर मिलेगा। लेकिन हमारे देश की प्रधान मंत्री का वक्तव्य आया और उन्होंने कहा कि संजय गांधी को कोई स्थान नहीं दिया जायगा और आप लोग अपना सा मुंह ले कर रह गये। आप लोग फिर सोच में हैं कि अब फूट पड़ेगी। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस में इस प्रकार की कोई शंका नहीं है। मुख्य मंत्री रहें या न रहें, यह दल की बात है, लेकिन कांग्रेस सरकार रहेगी। इसकी जड़ें केवल सतह पर ही नहीं हैं, पाताल तक हैं। इस प्रकार की सेवा कर के और कहना चाहिये अच्छी सेवा करने पर ही जनता फिर आप को अवसर देगी लेकिन इस प्रकार के विचार को कि कांग्रेस के अन्दर फूट पड़गी, आप छोड़ दें।

अब आप के सामने इस बजट के बारे में थोड़े से अपने विचार रखूंगा। यह हमारा उत्तर प्रदेश, देश का सब से बड़ा प्रदेश है.....

एक सदस्य---

अभी तक क्या कर रहे थे ?

श्री जंग बहादुर---

अभी तक तो आप लोगों की तारीफ कर रहा था। आप यह आशा ले कर के बैठे हैं कि आप को अवसर मिले। मैं आप से निवेदन कर रहा था कि हमारा उत्तर प्रदेश हमारे देश का सब से बड़ा प्रदेश है। इस की आबादी करीब 12 करोड़ है और देश का छठवां हिस्सा है। (व्यवधान) सही बता दीजिये अपने भाषण में। कम से कम बात तो सुनें। शांत रहिये। जो कुछ पूछना है माननीय अधिष्ठाता जी से आज्ञा लें और तभी अपनी बात कहें.....

श्री अधिष्ठाता---

आप भी अपनी बात कहें। उन से बातचीत न करें।

श्री जंग बहादुर---

हमारा इतना बड़ा प्रदेश है जिस में कई जाने माने, महापुरुष, राम, कृष्ण ने जन्म लिया और इसी प्रदेश के अन्दर हमारे तीन प्रधान मंत्री हुए और चौथे प्रधान मंत्री को केयर टेकर प्रधान मंत्री बनने का भी एक अवसर मिला लेकिन इतने प्रधान मंत्री होने के बावजूद भी हमारा उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। इस प्रदेश की उन्नति जितनी मात्रा में होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पायी है। प्रदेश में बेकारी की समस्या जटिल होती जा रही है। अमीरी और गरीबी की खायी दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है और मैं समझता हूं कि यह अन्तर एक और एक हजार हो गया है। हमारे प्रदेश के अन्दर और जगहों की अपेक्षा कल-कारखाने बहुत कम हैं। जीवन स्तर लोगों का दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। गरीबों के बच्चों को सूखी रोटी भी नहीं मिल पा रही है और जो चन्द मुठ्ठी भर पूंजीपति हैं उनके हाथ में देश की सारी सम्पत्ति इकट्ठा होती जा रही है। इसलिये इस सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रदेश की इस अमीरी और गरीबी की खायी को पाटने का प्रयास करे। आप को भी उसमें सरकार को सहयोग देना चाहिये। मैं जौनपुर जनपद के खुटहन क्षेत्र से आया हूं। उस क्षेत्र से 18 वर्ष से हमारे कैबिनेट रैंक के मंत्री रहे हैं लेकिन उसके एक ब्लाक बदलापुर के अन्दर आज तक एक भी ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है और वहां पानी नहीं पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बात को नोट करें और वहां के किसानों को राहत देने के लिये उनके लिये ट्यूबवेल और सिंचाई की व्यवस्था करें।

दूसरी चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में बेकारी की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। 1975 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी की गई थी और बाद में सरकार के सामने समस्या आई और उसके फलस्वरूप उनके लिये नियमावली बनी और शासनादेश हुए कि 3 वर्ष के अन्दर उनकी खपत अन्य विभागों में कर ली जायगी। मान्यवर, पिछली 7 जुलाई को वह अवधि समाप्त हो गई है। इनकी संख्या लगभग 6000 है, उनकी शैक्षिक योग्यता की कमी पड़ रही है उनको अभी तक कहीं नहीं लगाया गया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उनको खपाने का प्रयास करे और उन्हें नौकरी दें। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया है। हजारों लोग इस तरह से भूखों मर रहे हैं। इसलिये उनके खाने की समस्या हल की जाय।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि सामान्य बजट की चर्चा में आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । मान्यवर, मैंने बजट भाषण को पढ़ा और कुछ समझने की कोशिश की लेकिन उसमें कुछ नहीं था ।

मान्यवर, जब कोई बजट तैयार किया जाता है तो उसके पीछे एक आर्थिक नीति होती है, दार्शनिकता होती है । बिना किसी पोलिटिकल फिलासफी के जो बजट तैयार किया जाता है उसका क्या हस्र होता है वह सभी जानते हैं वह सिद्धांतहीन होता है, दिशा-विहीन होता है वही हाल इस बजट का है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा बजट है--सोसलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी का बजट है, एक वेलफेयर स्टेट का बजट है, पुलिस राज का बजट है या इमरजेन्सी में हुई तानाशाही का बजट है--किसका बजट है ? मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि यह गरीब जनता का बजट नहीं है और नहीं हो सकता है । एक शब्द भी मुख्य मंत्री जी इसमें उनके लिये दिखा दें तो मैं निश्चित रूप से बैठ जाऊंगा । मान्यवर, आज गरीब जनता को चाहिये रोटी, उसको चाहिये मकान, उसको चाहिये रोजगार । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूर और खेतों में काम करने वाले किसानों के लिये इस बजट में क्या प्राविधान किया है ? जब से यह सरकार आयी है चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है । जिसको आप कंज्यूमर गुड्स कहते हैं उसमें कोई ऐसा सामान नहीं है जिसकी कीमत न बढ़ी हो खाद जो 75 रु0 में बिकती थी आज वह चार सौ में बिक रही है यह उन किसानों की बात है जिसके बोटों से यहां यह सरकार आई है । जिस दिन चीनी के दाम बढ़े उस दिन बड़े-बड़े जो स्टाकिस्ट थे उनकी तिजोरियों में एक करोड़ रुपया एक रात में चला गया । आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार की गंगा नये सिरे से न बह रही हो (व्यवधान) जनता पार्टी की सरकार ने गलती की घर-घर तक सड़कें बनवायी, जनता पार्टी की सरकार ने गलती की आजादी का नया माहौल सामने लाई, जनता पार्टी ने गलती की मूल हकूक वापस किये, जनता पार्टी ने गलती की आजादी के 30 साल तक जिसने कुछ देखा नहीं था उसे अन्त्योदय के नाम पर रहने का अधिकार दिया । मजदूरों का जो बोनस खतम हो गया था उसको रिस्टोर किया । यही जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती है कि आपको जमहूरी हक दिलाया जिसकी वजह से आपको यहां बैठने का मौका मिला । (व्यवधान) आप भ्रम में न रहिये आपको जो वोट मिला है वह केवल 33.8 प्रतिशत है ज्यादा नहीं मिला है बूथ कैपचरिंग कराई होगी लेकिन उसके बावजूद 33.8 प्रतिशत वोट पर बहुमत मिला और यह रावणी सेना यहां आई है । आप का भी वही हस्र होगा जो आज इधर बैठे हुए लोगों का हुआ ।

बजट के सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं उम्मीद करता था यह नौजवान जो शक्ल सूरत से सीधे सादे लगते हैं कुछ ऐसी चीज लायेंगे जिससे प्रदेश की स्थिति नहीं तो कम से कम उनकी स्थिति तो मजबूत होगी लेकिन कुछ नहीं हुआ । यहां एक शैडो गवर्नमेन्ट चल रही है । मैंने पढ़ा है इंगलैण्ड में शैडो गवर्नमेन्ट होती है । आज मुख्य मंत्री जी का एक आदेश होता है तो दूसरे राजकुमार मंत्रियों का दूसरा आदेश होता है । कब टकराव हो जाय कह नहीं सकते हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा और उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिये कि राजनीतिक प्रतिशोध से दूर होकर प्रदेश के लिये कुछ किया जाय यही आकांक्षा जनता की है । (व्यवधान) जो जनता पार्टी की सरकार ने 22 महीने में किया है अगर उसको भी आप कायम रखें तो काफी है । जो गांव-गांव तक सड़कें बनवाई हैं उनमें ईटा डलवा दीजिये । यह कितने शर्म की बात है कि अपने को किसानों की सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहने वाली यह सरकार उसके गन्ने से जो चीनी बनती है उसे 8 रु0 किलो बिकवा रही है। यह सरकार दिशा शून्य है। यह सरकार जो आपस में लड़ रही है केन्द्र को यह संस्तुति नहीं भेज पाई कि गन्ने की कीमत किसान को क्या मिलनी चाहिये। यह पहला अवसर है 30 सालों में कि प्रदेश सरकार जो संस्तुति भेजती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राईस क्या होनी चाहिये नहीं दे पायी है। जो चीनी जनता सरकार के समय 2.10 पैसे में बिक रही थी आज वह 8 रु0 किलो मिल रही है आप भी उसे महसूस करते हैं। बेशर्मी की कोई हद होती है आप हंस रहे हैं आपको भी यह लगता होगा। तो आज कज्यूमर प्राईस बढ़ता जा रहा है।

इसी तरह एक बोरा सीमेन्ट लेने के लिये किसान को 30 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है तहसील पर और कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार उन्मूलन में लगे हुए हैं। ब्लाकों में वही एजेंसी है, न्याय पंचायतों में वही एजेंसी है, लेकिन सारी वितरण व्यवस्था को सेन्ट्रलाइज्ड करने और अधिकारियों के हाथ में करने की बात की जा रही है। कौन सा तर्क है कि शहर में रहने वाले को 24 घंटे बिजली, कस्बे और नोटिफाइड एरिया में रहने वाले को 16 घंटे बिजली मिलेगी और देहात के किसानों को केवल 5/6 घंटे बिजली मिलेगी। किसान को 22 घंटे और शहर के रहने वाले को 6 घंटे बिजली मिले, यह चुनौती है गरीब किसानों की, क्या आप इसकी स्वीकार करेंगे ? (व्यवधान) जनता शासन में 18 घंटे बिजली शहर को मिली थी तो क्या 17 घंटे देहात को नहीं मिली थी.....(व्यवधान) मैंने जो किया वह हमने भोग लिया, अब आप भी क्या उसका अनुसरण करके भोगेंगे ? हमारी गलतियों से भी यदि आप कुछ सीख सकेंगे तो हमें खुशी होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो भी इच्छा काम जनता सरकार ने शुरू किया, उसको आप अवश्य एहसास करेंगे, यहां नहीं तो अपने-अपने घरों में जाकर करेंगे---उन सड़कों पर ईट डलवाने का काम आप करें।

एक दूसरी बात कहना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी ने सतर्कता आयोग बिठा दिया, साढ़े चार करोड़ का भ्रष्टाचार मिला है। हमारे यहां साढ़े दस लाख की खरीद ऐसी फार्म से हुई है जो है ही नहीं। एक मलिक ड्रग कम्पनी कोई है, वह दवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्मगलर है, किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि उनको अपने सभी भ्रष्टाचार के कामों और गैर कानूनी कामों के लिये राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है अब वह चाहे जिस पार्टी का हो। करोड़ों रुपये की दवाओं के नाम पर कैप्सूल में बालू भरकर और इंजेक्शन में लाल पानी भरकर उसके द्वारा सारे प्रदेश में सप्लाई किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि इसकी खुली जांच की जानी चाहिये और इस फर्म पर यदि आज छापा मारा जाय घरों पर और कारखाने पर यदि छापा मारा जाए, तो ऐसे तमाम मैटेरियल मिलेंगे जो हमारे आरोपों की सच्चाई सिद्ध करेंगे।

(व्यवधान)

अब मैं यहां पर शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज प्रदेश में तीन-चौथाई ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जो बिना छत के हैं और जहां लड़कों के बैठने के लिये टाट-पट्टी तक नहीं है। मानता हूं कि छठीं पंचवर्षीय योजना में आप भवन बनवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पहले पुराने भवनों को आप बनवायें। शिक्षा जगत में जो छोटे-छोटे बच्चे के, यह उनके साथ नाइंसाफी चल रही है कि आज दो प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा चल रही है। इसे मैं देश के लिए बहुत ही बुरा समझता हूं और मैंने इसके विरोध में अपनी पार्टी के अन्दर विद्रोह किया था। जब तक देश और प्रदेश में इस तरह की शिक्षा प्रणाली चलेगी कि एक उसमें पढ़ेगा जहां 15 रुपया फीस पड़ेगी और एक बच्चा ऐसी जगह पढ़ेगा, जहां उसके खाने के लिए चबैना भी नहीं है।

मान्यवर, मेरी मांग है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रदेश में समाप्त की जाय।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

माननीय अधिष्ठाता महोदय' मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र कपिल]

सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि जो बजट सदन के अन्दर रखा गया है, उससे अच्छा बजट इस समय के अनुसार हो ही नहीं सकता था। उसका कारण यह है कि 3 साल कलयुगी शासन के बाद जो सरकार आज उत्तर प्रदेश में आयी है, उसकी जो विरासत में मिला है, उसको भी हमें देखना होगा। हमारे साथ जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, वे सिर्फ उसका एक पक्ष ही देख रहे हैं कि इस बुकलेट के अन्दर जिसके अन्दर बजट छपा है, उसमें किस मद में कितनी धनराशि खर्च की जायगी ? इसके अलावा उन्हें यह भी पढ़ना चाहिए कि इस सरकार की वर्तमान काल में इसकी बपौती में क्या कुछ दिया है? वह सब कुछ हमारे और आप के सामने है। वर्ष 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में भरपूर अनाज का भंडार दिया था आज उसको किस स्थिति में पहुंचाकर, किस प्रकार से उसे खाली करके आप लोगों ने इस सरकार के हाथ में सौंपा है। बड़ा आश्चर्य होता है उन साथियों पर और रहम भी आता है उन विचारों पर जब वे कहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है। उस समय जब कि अनाज को काम के बदले दिया जा रहा था तो वह सेठों के पेटों में पहुंचाया जा रहा था जब ये ही जिम्मेदार बने बैठे थे और बड़े गर्व के साथ ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठे थे तब इन्हें इन्क्वायरी करने की कहां पर फुरसत थी, गाड़ियों में झण्डे लगाकर घूमते रहते थे। यहां पर कुछ साथियों ने यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार से जो पैसा मिला वह बहुत ही कम मिला है। लेकिन मैं उसके बारे में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इन लोगों को इसके बारे में इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम आश्वस्त हैं कि केन्द्रीय सरकार से जो हमने पैसा मांगा है वह हमको अवश्य मिलेगा, वह सहायता हमारे प्रदेश को अवश्य मिलेगी जिसकी हमने मांग की है। उसका कारण यह है कि जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में बैठी है, यहां पर भी उसी पार्टी की सरकार है, यह पंचमेल की सरकार नहीं है। वहां पर वित्त मंत्री किसी और पाटका नहीं है। यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लोक दल की सरकार हो और केन्द्र में वित्त मंत्री किसी दूसरी पार्टी का बैठा हुआ हो जो उत्तर प्रदेश को पूरा पैसा नहीं देगा। हमने जो केन्द्रीय सरकार से अपनी योजनाओं के लिए पैसा मांगा है, उसमें हमें पूर्णतया सहायता मिलेगी और अच्छी तरह से सहायता मिलेगी जिससे हम प्रदेश को विकास की ओर ले जा सकेंगे।

आज हमारे साथी गरीबों के प्रति इतनी हमदर्दी दिखाते हैं जैसे अगर हिन्दुस्तान के अन्दर उनका कोई मसीहा पैदा हुआ है तो वे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया ? जहां इस बजट में गरीबों की चर्चा नहीं की गयी है वहीं पर इसमें यह भी नहीं लिखा है कि यह पैसा ऐसी मदों पर खर्च किया जायगा जो केवल अमीरों के लिए ही होगा। अगर परिवहन में पैसा खर्च होगा तो उसके आगे कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह अमीरों पर ही खर्च होगा या गरीबों पर ही होगा। इसी प्रकार चिकित्सा की मद में यह नहीं लिखा है कि वह पैसा अमीरों पर ही खर्च होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही सन्तुलित बजट है और इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। इससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी। मेरे मित्र जो यहां गरीबी की बात करते हैं वे गरीबों की बात नहीं सुनना चाहते वे यहां सदन में मौजूद भी नहीं है। गरीबी आदि जो चीजें आपसे हमें मिली हैं, जिस तरह से आपने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, उसे भुगतना इस सरकार को पड़ रहा है। आपसे बपौती में जो कुछ हमें मिला उसको देखते हुए यह बजट बहुत ही संतुलित और सुन्दर बजट कहा जा सकता है। विरोध पक्ष का तो आज कर्तव्य केवल विरोध करना ही रह गया है जो एक गलत परम्परा है। आपको देखना यह चाहिये कि जो पैसा बजट में रखा गया है वह सही तरह से खर्च हो, इस पर आपको नजर रखना चाहिये और अपने सुझाव देना चाहिये।

हमारे एक साथी ने कहा कि प्रधान मंत्री का जिला बन गया और एक उनके पुत्र का। उन्होंने राय बरेली और सुल्तानपुर का जिक्र किया, मैं उसको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री ने कहा मेंडक में, कि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनका क्षेत्र है, उनका जिला है, चप्पा-चप्पा उनका क्षेत्र है, और उसका उन्हें विकास करना है। आपके मष्तिष्क में ऐसी संकीर्णता जैसी बातें नहीं आना चाहिये। विरोध पक्ष की बातों में कोई तर्क नहीं है।

अन्त्योदय कार्यक्रम का जिक्र हुआ, कहा गया कि जो सड़कें बनी हैं उनको पक्का करा दिया जाय। आपके मय में सड़कें कागज पर तो बनी हैं, जमीन पर नहीं बनी हैं। जो सड़कें कागज पर बनी हैं, उन पर कागज में ही यह सरकार ईटा नहीं बिछा सकती। अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने क्या किया ? एक भैंस खरीदने के लिय 5 हजार रुपये अगर किसी को मिला तो उसमें 100 रुपये डाक्टर ने लियें और भैंस का सार्टिफिकेट दिया कुछ एड0डी0 ओ0 नें खाये इस तरह से 5 हजार की जगह 2,500 रु0 ही उसे मिले और भैंस वह खरीदी गयी जो 250 रुपये में काटने के लिए बिकने आई थी। लेने वाले से शेष रुपया और कामों में खर्च कर दिया। यह सब हुआ आपके समय में। जिसे भैंस के कभी बच्चा नहीं हुआ वह भैंस खरीदवा दी गयी। लालच भी किसको दी गयी, उन आदमियों को जो सिर्फ लोक दल के और जनता पार्टी के समर्थक थे। रिकार्ड देख लीजिए कि किसी गरीब आदमी को पैसा दिया गया हो। ढाई सौ रुपये की भैंस खरीद कर बाकी रुपये वह ले जा कर अपनी लड़की की शादी करे या कच्ची शराब के ठेकों पर जाकर कच्ची शराब पिये। इसके लियें सरकारी पैसों का अपव्यय हुआ है। मैं इस चीज के लिए इन लोगों को चुनौती देना हूं कि ये क्षेत्र में जाकर देखें कि इनके अन्त्योदय कार्य में कितने लोगों का भला हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। यह गरीबों के उत्थान का बजट है और इससे अच्छा और बजट हो नहीं सकता।

श्री सूबेदार सिंह ———

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं, आपने जो मुझे अवसर दिया। मान्यवर, मैंने बजट को देखा, इधर के और उधर के साथियों को सुना। ऐसा मालूम होता है कि दिशाविहीन सरकार का दिशाविहीन बजट है। आज जो समाज में स्थिति व्याप्त है उससे तो कभी-कभी शंका यह होने लगती है, क्या सरकार वास्तव में इग्जिस्ट कर रही है अथवा नहीं। मान्यवर, आप देखें कि समाज में अराजकता, कानून और व्यवस्था की स्थिति को आप देखें। कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी गिर गयी है, जिसका कोई इतिहास में जवाब नहीं है और इससे गिरा हुआ बजट कभी हो नहीं सकता। इससे निकम्मा बजट कभी हो नहीं सकता। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप लोग जरा आखें खोल कर देखें और दिमाग खोल कर विचार करें, चापलूसी से काम चलने वाला नहीं हैं। जो पुलिस की स्थिति है, जस्टिस मुल्ला ने जो विचार दिया था। जस्टिस मुल्ला ने प्रदेश की पुलिस के संबंध में कहा था "इट इज गैंग आफ क्रिमिनल्स"। आज वह जस्टिस मुल्ला का कथन पूरी तरह से अपनी जगह पर सही साबित हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को बजट बनाने से पूर्व यह सोचना चाहिए था कि उसको इस पुलिस की व्यवस्था में पूर्णतया परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। पुलिस को अंग्रेजों ने कायम किया था इस राज्य में अपने को मजबूत रखने के लिए। आज पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राज कुमार राय--

जस्टिस मुल्ला की वर्डिक्ट माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम होगा आनरेबुल सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त हो गयी है । उसे कृपया आप करेक्ट कर लें ।

श्री सूबेदार सिंह--

जस्टिस मुल्ला का रिमार्क भले ही इक्सपंज हो गया हो लेकिन वह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मान्यवर मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। सरकार को पुलिस की जगह पर लोक सेवक दल स्थापित करना चाहिए । उनके प्रशिक्षण में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए । मैं एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे रहा हूं । अगर उनके अन्दर विचार करने का समय हो तो विचार कर लें । कार्यपालिका की स्थिति और भी बिगड़ी हुई है । मान्यवर, देश में आज न्याय इतना महंगा है कि गरीब आदमी को मिलता नहीं है । जस्टिस भगवती का कल अखबार में आया था । आवश्यकता इस बात की थी कि इस तरह की व्यवस्था हमारी यह सरकार करती कि लोगों को अदालतों के पास न जाना पड़ता । बल्कि अदालतें स्वयं लोगों के पास जातीं और लोगों को न्याय देती । तब मालूम होता कि आज जनतांत्रिक प्रणाली में वास्तव में विश्वास करते हैं । और उसके अनुरूप ही चल रहे हैं । आप कहते हैं कि बजट अच्छा है और मैं कहता हूं कि ज्यों-ज्यों दवा दी त्यों-त्यों दर्द बढ़ता गया । जिस बजट को आप लायें वह भले ही नये करों का संकेत नहीं देता है, लेकिन जब से यह बजट पेश हुआ है निरन्तर-निरन्तर कीमतें बढ़ती जा रही है । जो आवश्यकता की चीजें हैं वह उपलब्ध नहीं है । सीमेन्ट की हालत देख लीजिए, चीनी की हालत देखिए । आज जो सबके लिए आवश्यक है, कपड़ा जो हर आदमी के जरूरत की चीज है । इन सारी चीजों के कारण आम आदमी का जीवन बिल्कुल ऐसा हो गया है जो जीने के काबिल नहीं रहा । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब से आप शासन में आएं हैं । कीमतें तो लगातार अनाप-शनाप बढ़ ही रही हैं और प्रदेश की कानून और व्यवस्था भी बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गयी है । कीमतें बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है, वह यह कि आपने पूंजीपतियों से पैसा लिया, और उसी पैसे की वजह से आप उन्हें राहत दे रहे हैं और गरीब जनता के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं । इस पर भी यदि जो हम लोग एडवाइस दे रहे हैं, उनको नहीं माना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इस प्रकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकते । आपकी वही हालत है, जो एक जिद्दी औरत की होती है, जो अपनी पति का कहना नहीं मानती थी । तब उसके पति ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि तुम गंगा नहाने मत जाना । तो उस औरत ने कहा कि मैं जाऊंगी । तब पति ने कहा कि अच्छा चक्की वगैरह बांध कर मत जाना, तो उसने कहा कि मैं चक्की ही बांध कर जाऊंगी । फिर उसके पति ने कहा कि अच्छा गहरे में मत जाना, तब उसने कहा कि मैं गहरे में ही जाऊंगी और वह गहरे में नहाने गयी और डूब गयी । जब उसका पति उसे ढूंढ़ने केलिए गया तो प्रवाह के दूसरी ओर गया, तो लोगों ने उससे पूछा कि वह इधर डूबी थी इधर ढूंढ़ रहे हो तो उसने कहा कि नहीं वह नदी के उल्टे प्रवाह में ही डूबी होगी क्योंकि जो मैं उससे कहता था, उसका उल्टा ही करती थी । (शोर)

एक सदस्या--

आप महिलाओं पर आक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

श्री सूबेदार सिंह--

माता जी, आपके लिए नहीं सरकार के लिए कह रहा हूं । यह सरकार इसी प्रकार की है, जो कहा जाए उसका उल्टा सोचती और करती है ।

मान्यवर, बजट में देखा जाए तो केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी के 20-सूत्रीय कार्यक्रमों का अनुपालन ही यह सरकार करना चाहती है। लकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतने सदस्य यहां बैठे हैं हमारे शासक दल के। इनमें से 5 प्रतिशत भी यह 20-सूत्रीय कार्यक्रम गिन नहीं सकते कि कौन-कौन से 20-सूत्रीय कार्यक्रम है। इधर के बैठे हुए माननीय सदस्य, जिन्होंने अभी तक भाषण दिये, उसमें से किसी ने भी अपने भाषण में एक भी सूत्र को नहीं गिनाया।

अब आपको सोचना पड़ेगा 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? कहीं 18 ही न रह जायं (व्यवधान)

श्री बृज किशोर---

20-सूत्री कार्यक्रम अगर आपने अपनाया होता तो आज आपकी यह दुर्गति न होती।

श्री सूबेदार सिंह---

संजय गांधी के कार्यक्रमों को पूरा करने की बात बजट भाषण में कही गयी लेकिन एक भी कार्यक्रम को पूरा करने का संकेत बजट में नहीं है। संजय गांधी ने दहेज प्रथा का प्रश्न उठाया था। खेद है कि आज भी सैकड़ों महिलायें दहेज प्रथा पर अपने जीवन की आहुति दे रही हैं। आपने रोकने की क्या व्यवस्था की? (व्यवधान) पिथौरागढ़ में जाकर देखिए जंगल काटे गये। भूकम्प आया, हजारों आदमी बेघरबार हो गये। आपने वृक्ष कटवाये लेकिन वृक्षारोपण नहीं किया (व्यवधान)

श्री सैय्यद जकीउद्दीन---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो बजट आय व्यय 1980-81 का पेश किया गया है उससे हम सन्तुष्ट हैं उसकी सराहना करते हैं क्योंकि उसमें गरीबों का तथा किसानों का, हर वर्ग का खयाल रखा गया है। (व्यवधान) जहां तक ला एण्ड आर्डर का सवाल है मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सामने बैठने वाले साथियों ने ला एण्ड आर्डर सिचुएशन को इतना ज्यादा खराब किया कि हम उसे रफ्ता-रफ्ता ही ठीक कर सकेंगे (व्यवधान) बागपत में जो कुछ हुआ उस पर शाम को चर्चा होगी लेकिन हमारे साथी महिलाओं के बारे में बहुत चिन्तित दिखाई देते हैं। खेद है कि सामने की बेंचेज पर चार महिला भी चुनकर नहीं आई (व्यवधान) शायद एक-दो चुन कर आ गई हों।

20 सूत्री कार्यक्रम जो बजट में दर्शाया गया है अगर हमारे साथी उस कार्यक्रम पर चलते तो आज उनको अध्यक्ष के बायीं तरफ न बैठना पड़ता। मैं कहता हूं कि यह बजट बहुत अच्छा है उसके अन्दर हर वर्ग का खयाल रखा गया है। मेरा यह भी सुझाव है कि न्यायपालिका में थोड़ा सुधार हमको लाना होगा। न्यायपालिका का जो तरीका है उससे सही मुलजिम को सजा नहीं मिलती। मेरी गुजारिश है कि उसमें थोड़ी तब्दीली की जाय, ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे इन्साफ जल्दी मिल सके। इसके अतिरिक्त जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं, मुंसिफ हैं और जो जज हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाये ताकि उनके अन्दर का भ्रष्टाचार खत्म हो। इसके अतिरिक्त मैं खाद के बावत कहूंगा। बजट के अन्दर खाद की जो कीमत बढ़ी है मैं सुझाव दूंगा सरकार को खाद के दाम बढ़े है सरकार को चाहिये कि वह हमारे गन्ना और गेहूं का भाव कुछ ज्यादा कर दें ताकि किसानों को उसका दाम अधिक मिल सके। मैं सीमेन्ट के बारे में कहूंगा जिसके बारे में मोहन सिंह जी चिन्तित हैं।

(समय 3 बजे अपरान्ह)

मान्यवर, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सीमेन्ट पर से कंट्रोल हटा दें तो जो लोग लाइन में लगे रहते हैं वह न लगे। जो लोग लाइन में लगे रहते हैं उनको सीमेन्ट की आवश्यकता नहीं होती है वह इकट्ठा करने के लिये लगे रहते हैं। वन के लिये जो व्यवस्था रखी गई

[श्री सैय्यद जकीउद्दीन]

है, मैं कहना चाहूंगा मैंने सुना कि वन विभाग से हमको काफी आय है। इन वनों में जो शिकार के ब्लाक्स होते हैं सरकार उनको बन्द करने जा रही है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि इन रिजर्व ब्लाक्स को बन्द न किया जाय क्योंकि विदेशों से जो लोग शिकार के लिये आते हैं उनसे भी काफी आय मिलती है। इसके अतिरिक्त काम के बदले अनाज की जो स्कीम है उसके अन्दर हमारे अपोजीशन के साथी काफी चर्चा करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने कागज पर सड़कें बनाई हैं जमीन पर नहीं। जमीन पर सड़के बनी ही नहीं हैं हम कहां ईंटें फैला दें। मेरा जिले और तहसील का तर्जुबा है मै सबूत मुहय्या कर सकता हूं कि हमारे कुछ जगहों पर मौके पर सड़कें नहीं है। इसके अतिरिक्त चीनी के लिये कहना है। सरकार जितनी भी चीनी मिले पिछले साल बन्द रहीं उन सब चीनी मिलों को इस साल चलाये चीनी की सख्त जरूरत है। हमारे यहां सकौती चीनी मिल है। मैं माननीय मंत्री जी मा0 मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि उसको इस साल चलायें। मैं ज्यादा न कह कर जो बजट पेश किया गया है, सही है इसमें गरीब अमीर और सभी को इस बजट से फायदा है। इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सामान्य बजट भाषण पर बोलने का हमको मौका दिया। मैं कल-परसों से जब से चर्चा चल रही है बड़े ध्यान से बातें सुन रहा था। यह मैं नहीं कहता कि सारी योग्यतायें हम में हैं या सारी कमियां जो इस मुल्क की हमने पूरी करदी हैं। हम यह भी नहीं कहते कि हमारे बजट में यह सारी बातें जो हमारे देश की आवश्यकता की है या हमने उनको पूरा कर दिया है। लेकिन निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि हमने इस देश को 30 सालों के पहले जो स्थिति थी और आज जो है अगर ध्यान से देखा जाय तो इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क 30 साल पहले जहां था उसके बहुत आगे जा चुका है। यह बात सही है कि कुछ आरोप हैं हमें उन सारे आरोपों को स्वीकार करना चाहिए लेकिन आरोपों को स्वीकार करने से पहले यह देखें कि आरोप कौन लगा रहा है? उधर के 30-32 सालों से विरोधी बेंच पर बैठने वाले लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने बड़े-बड़े वादे किये कि अगर हमारे हाथ में मुल्क की सत्ता आई तो मुल्क को नई दिशा देंगे मुल्क का नक्शा बदल देंगे। लेकिन 3 साल के अन्दर जब इस देश की बागडोर बड़े बहुमत के साथ जनता ने शासन उन्हें सौंपा उस तीन साल के समय में 30 साल की मेहमत पर पानी फेर दिया। देश 30 साल पीछे चला गया। महंगाई की बात करते हैं। लेकिन यह सब अभिशाप में हमें विरासत में मिली है। जिन दिन इंदिरा गांधी ने जनता के फैसले को मानते हुए देश की बागडोर को सौंपा था उस समय शकर 2.15 रु0 थी और जब पुनः हमारे हाथ में सत्ता आई उस समय 6-1/2 रु0 किलो चीनी बिक रही थी। इससे आप इंकार नहीं कर सकते। जब हमारे हाथ में बागडोर थी उस समय नमक 1 रु0 किलो था और 3 साल के अन्दर 2 रु0 किलो तक बिकवा दिया था आपने। आज वही अभिशाप के रूप में हम महंगाई को देख रहे हैं।

आज अन्त्योदय की बात करते हैं, गल्ले के बदले काम की बात करते हैं, जो सड़कें बनवायी हैं और जिस गल्ले को बांटा उसके एक-एक दाने पर इंदिरा गांधी का नाम लिखा है। 2 करोड़ टन गल्ला इस देश के गोदामों में इंदिरा गांधी ने रखा था। अगर न रखा होता तो देश का बच्चा-बच्चा भूखों मर गया होता। जिस दिन देश की जनता के फैसले को मानकर सत्ता सौंपी थी उस दिन क्या था? देश के अन्दर 4 हजार करोड़ विदेशी मुद्रा थी और जिस दिन इंदिरा गांधी ने सत्ता आपके हाथ में दी उस दिन 18 सौ करोड़ का रिजर्व बैंक में सोना था और जनता के फैसले पर जब पुनः सत्ता संभाली तो केवल 6 सौ करोड़ का सोना रह गया था। यही कारण है कि इस देश की बढ़ती हुई महंगाई का। मैं कहना चाहता

हूं कि यह बजट इस प्रदेश के सारे कामों को पूरा करने नहीं जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से इसने जितनी भी बातें कही हैं चाहे बुनकरों के लिए हों, हरिजनों के लिए, किसानों के लिए, देहात, शहरों के लिए हों, उनको एक नई दिशा दी है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इंदिरा गांधी की नुमाइन्दगी में यह प्रदेश और देश आगे जायेगा। मैं सब माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इन 3 सालों में क्या-क्या हुआ जरा गौर करें और सोचें।

आज वही राज नारायण जी जो कहते थे कि मैं हनुमान हूं और चौधरी साहब राम हैं, आपने राम और रावण की लड़ाई तो पढ़ी होगी लेकिन हनुमान और राम की लड़ाई नहीं पढ़ी होगी। आप आज इस कलियुग में राम और रावण का युद्ध पढ़ रहे हैं। हनुमान कहते हैं कि राम चोर है और राम कहते हैं कि हनुमान चोर हैं। यह हालत है इस देश की। (व्यवधान) बैठिये और सुनिये। अगर हिम्मत नहीं है तो बाहर जाइये। अब हमारी बारी है, कलेजा थाम के बैठें। (शोर) मैं फैजाबाद की बात कहता हूं। वहां जनता राज में लड़कों ने नारे लगाये, जनता पार्टी जिन्दाबाद, बिला टिकट फैजाबाद। मैंने एक बार पुलिस कप्तान से पूछा कि तुम वर्दी में खड़े थे और देख रहे थे। लड़के वाइस चांसलर पर हमला कर रहे थे, फर्नीचर तोड़ रहे थे और तुम देखते रहे। उसने कहा कि कम से कम मेरी वर्दी तो बची है। जय प्रकाश जिन्दाबाद, लोक नायक जिन्दाबाद का नारा लगाने वाले लड़कों पर क्या करते ? ऐसे लड़के पर जो वाइस चांसलर पर हमला कर रहे हैं, फर्नीचर तोड़ रहे हैं, अगर हम उन पर लाठियां चलायें तो हमारी वर्दी उतर जाती। यह था आपका कृत्य। विश्वविद्यालयों में इम्तिहान नहीं हुए। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, परीक्षाएं नहीं हुई। हमने समय से इम्तिहान करा दिये, सत्र नियमित कर दिये। आपका फर्ज है आपका कर्तव्य है आप हमें टोका करें, सत्तारूढ़ दल को टोंका करें। हम सुनना चाहते हैं लेकिन किसकी सुनें जिसका दामन खुद दागदार है जिसके कारनामें खुद काले हैं। पापी से हम धर्म की भिक्षा लेंगे, पापी से हम कर्त्तव्य का पाठ लेंगा। आपने तीन सालों में देश को क्या दिया इसका सबूत यह इलेक्शन था। जिस जनता ने 30–32 साल की कांग्रेस हुकूमत को एक मिनट में उखाड़ कर फेंक दिया उसी ने पूरे बहुमत के साथ दिल्ली के तख्त पर फिर हमको बैठा दिया। ओझा जी कह रहे थे कि जनता पार्टी ने क्या-क्या दिया देश को, बड़ी तारीफ कर रहे थे। नेता विरोधी दल कह रहे थे यह सरकार किसान विरोधी है जनता पार्टी ने खाद के दाम गिराये हैं। हम तस्लीम करते हैं। जनता पार्टी की सरकार अगर किसानों की हिमायती थी तो किसानों की हिमायती सरकार को तोड़ने के जिम्मेदार कौन हैं ? आपने तोड़ा। इसकी जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए आप से बड़ा किसान विरोधी कौन है ?

आज यह बजट हमारे सामने है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह प्रदेश को नई दिशा देगा। इन शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

श्री अधिष्ठाता—

एक बात मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। जितने पुराने सदस्य हैं वह जानते है, नये सदस्य शायद न जानते हों कि जो कुछ आप भाषण देते हैं वह चेयर को सम्बोधित करके देते हैं। जब कोई ऐसी बात कहें कि आपका दामन काला है, आपने ऐसा किया, वैसा किया तो उसको स्पष्ट जरूर करें। अगर कोई बात कहें तो पार्टी को या विरोधी पक्ष को सम्बोधित कर के कहें। चेयर को सम्बोधित करके न कहें।

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने दो दिन से मुतवातिर जो बजट पर चर्चा हो रही है, सुना। माननीय ओझा जी की एक बात सुनी, मान्यवर, दल के दलदल में फंसकर लोगों की आंखों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार]

चश्मा पड़ जाता है । अभी उन्होंने कहा इसमें गरीबों के लिए कोई शब्द नहीं कहा गया । मान्यवर, मेरी बात सही होगी, आप भी इसे सही मानेंगे कि इसमें गरीबों के लिए,दबे हुए लोगों के लिए, हरिजनों के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से तमाम व्यवस्थायें हैं । मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को जो वित्त मंत्री भी हैं ऐसे बजट के लिए । पहले ही पैरा में देखें उन्होंने इस ओर स्पष्ट इशारा किया है । इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, दबे बसे लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, निर्बल वर्ग का उत्थान होगा, अल्प संख्यकों की उनके हितों की रक्षा होगी, कानून व्यवस्था को ठीक किया जायेगा । कोई पेज नहीं है जिसमें गरीबों की बात न की गयी हो ।

मान्यवर, आपने देखा होगा---इसी में के उद्धरण हैं । मुख्य मंत्री जी को इस बजट भाषण को पढ़ने में तीन घंटे लगे थे और अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो 4 घंटे लग जायेंगे । इसमें लिखा है---

"प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति तथा विमुक्ति जाति के लोगों को समुचित शैक्षिक आर्थिक एवं आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना भी शासन अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता है । शासन ने इन जातियों के छात्रों को प्राइमरी स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक शैक्षिक सुविधा देने का प्राविधान किया है । यह सुविधा छात्रवृत्ति, छात्रावास, पुस्तकीय सहायता बुक बैंक आदि के रूप में दी जा रही है ।"

तो मान्यवर, इसके पहले आपने देखा और हमने भी देखा कि इतना क्लासीफाइड सब कुछ दिया है पृष्ठ 50 पर । हर चीज अलग-अलग दर्शाया है । इतना लम्बा-चौड़ा भाषण किसी वित्त मंत्री ने नहीं दिया होगा । बड़ी खूबसूरती से साफ-साफ सब बातें स्पष्ट रूप से की गयी हैं ।

मान्यवर, मैं दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि खाली किताबों में लिखा देने से कोई चीज नहीं हो जाती । इन बातों पर अमल करना पड़ेगा । मान्यवर, आजहम देख रहे हैं कि प्रदेश की हालत बहुत बिगड़ गयी है । चारों तरफ यही स्थिति है । एक तरफ अगर महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ दूसरी गड़बड़ी है । अब वह चाहे लोकदल के शासन से हो चाहे कांग्रेस के दो महीने के शासन से हो---यह मैं नहीं जानता । लेकिन आज जो स्थिति है महंगाई की और दूसरे ला एण्ड आर्डर की पिछले 3 सालों में जो स्थिति रही है वह आज भी जारी है । चाहे बनारस हो,चाहे कानपुर हो, चाहे स्वदेशी काटन मिल का झमेला हो, चाहे लखनऊ का सिया-सुन्नी का मामला हो, चाहे सम्भल का झगड़ा हो, या चाहे पन्तनगर के मजदूरों का झगड़ा हो, चाहे औरतों की इज्जत का प्रश्न हो, रेप का मामला हो या चाहे जंजीर छीनने चोरी-डकैती और कत्ल की बात हो सभी मामलों में स्थिति गम्भीर चल रही है । अब इसके लिये कौन दोषी है मैं नहीं कह सकता । मैं तो कहूंगा कि लोकदल वाले भी और कांग्रेस वाले भी निरीक्षण करें कि यह जो हालत हो गयी है वह क्यों है ? आज इस तरह की हर तरफ महंगाई बढ़ रही है कि इसके लिये कारगर कदम उठाना पड़ेगा ।

मान्यवर, आपने देखा कि आज महंगाई की हालत क्या है ? चीनी के दाम मार्केट में 250 प्रतिशत बढ़े हैं । मान्यवर, सब्जियों में जो आलू के दाम हैं इसी रेशियो में बढ़ें हैं । गुड़ के दाम 112 प्रतिशत देहात में बढ़ गये हैं । पहनने के कपड़े जनानी धोतिया, नमक मिट्टी का तेल सभी के रेट बढ़े हैं । सीमेन्ट जो 18/19 रु0 बोरी मिलती थी 76/77 रुपये में और जो दावा करते थे कि हमारे जमाने में मिल रही थी आज 40/45 रुपये बोरी है । तो यह आवश्यक चीज है । मिट्टी का तेल किसानों के लिये डीजल की बात है । तो इन सारी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं अनापसनाप तरीके से । मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी हो राजनैतिक दल हो या राजनैतिक कार्यकर्ता हों सबको इसके बारे में सोचना चाहिये

और जो लोग संजय गांधी की दोहाई देते हैं वे भी आज सड़कों पर गांवों में और जिला लेविल पर कोई भी किसी किस्म का जुलूस या सपोर्ट नहीं करने नहीं जा रहे हैं। लगता है कि उनका संगठन समाप्त हो गया है।

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि खाली किताब में कह देने से यहां काम नहीं चलने वाला है ।आज जरुरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। माननीय मंत्रीगण और सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको इस तरफ भी देखना है। मान्यवर, कुछ लोगों ने कहा कि यह सर्वमुखी बजट है। कुछ लोगों ने कहा कि यह घाटे का बजट है। तो मैं कहना चाहता हूं कि घाटे का बजट अच्छा होता है। इसका मतलब है कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है। आपके राजस्व में नहीं है आप की पूंजी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा काम करने की है। इसमें इसलिये घाटा है, इसके लिये भी आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन करमुक्त की बात जो है आप दूसरी जगहों पर देखें, हमारे पास एक किताब है मैंने उसमें देखा तो इसमें है कि प्रति व्यक्ति राज्य शुल्क तथा कर का भार विहार के बाद हमारे प्रदेश में सबसे कम है। मान्यवर, इस प्रदेश के उत्थान की जिम्मेदारी सरकार पर है और इनको यह बात समझनी चाहिए। हमने पर कैपिटा उत्तर प्रदेश में जो शुल्क और कर भार लगाया है वह 45 रु0 है। मान्यवर, तमिलनाडु में यह 90.53 रु0, महाराष्ट्र में 146.85 रु0 कर्नाटक में 103.05 रु0 हरियाणा में 149.96 रु0 और गुजरात में 117.82 रु0 है। हमसे अगर कहीं कम है तो बिहार में है 32 रु0।

मान्यवर, इस सरकार को केवल कुर्सी से मुहब्बत है प्रदेश का उत्थान नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो इनको तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात से सबक लेना चाहिए ।आज कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु हमसे बहुत आगे पहुंच गये हैं। उसकी वजह है कि उन्होंने वहां टैक्सेशन किया है, आप उससे डरते हैं। जब सरकार की आमदनी नहीं होगी तो आप उद्योग धन्धे कैसे लगायेंगे ? मेरे कहने का मतलब है कि आप हिचकिचायें नहीं। इस सरकार को चाहिए कि दूसरे प्रदेशों से सबक ले और अपने उत्तर प्रदेश को जो आपने बिहार के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है, उसको आप आगे बढ़ायें और हरियाना तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब की तरह आगे ले जायें। यह तभी हो सकता है जब आप अपनी आमदनी बढ़ायें। टैक्स का मतलब यह नहीं है कि आप किसी गरीब आदमी पर टैक्स लगा दें। बहुत से पूंजीपति हैं, बिरला हैं, डालमियां हैं, उन पर आप टैक्स लगा सकते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में पर कैपिटा इनकम पिछले सालों से घटी है। आप उत्तर प्रदेश में देखें तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 815 रुपये है। आप दूसरे स्टेट्स में जायें तो इससे ज्यादा मिलेगी। पंजाब में 1,812 रु0 है 1977–78 में 1,991 रु0 है, तमिलनाडु में 1,031 रु0 है, पश्चिम बंगाल में 1,305 रु0 है, आन्ध्र प्रदेश में 1,002 रु0 है, हिमाचल प्रदेश में 1,154 रु0 है, महाराष्ट्र में 1,628 रु0 है। हमारे प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है और जो पिछले सालों से निरन्तर घट रही है, इसके लिये कौन दोषी है ? इसके लिये यह सरकार दोषी है। मान्यवर, यह भी देखना पड़ेगा कि जब तक आदमी की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकता।

मैं एक बात कहकर खत्म करना चाहता हूं। मितव्ययिता की यह बहुत दुहाई देते हैं कि हम मितव्ययी है। शासन में चारों तरफ फालतू खर्च हो रहा है। हम लोग 'ए' ब्लाक और 'सी' ब्लाक में रहा करते थे, ओल्ड रेजिडेन्स में रहा करते थे साधारण से छोटे से कमरे थे, आज आपने पार्क रोड पर बड़ी-बड़ी कोठियां खड़ी कर दी है और उनमें डनलप पिलो के गद्दे लगा दिये हैं। इसमें लाखों रुपया खर्च हो रहा है। आज किसी

[श्री चेतराम गंगवार]

अफसर के घर में चले जायं, कारपेट, कालीन 20–20, 50–50 हजार के पड़े हुए हैं। हजारों रुपयों के कालीन बिछे हैं। हर 6 महीने बाद परदे बदल दिये जाते हैं मंत्री आते हैं लाखों रुपयों की नयी गाड़ियां आती हैं और आप बातें मितव्ययिता लाने की करते हैं, केवल कागज पर मितव्ययिता की बात करते हैं। एम0 एल0 ए0 साहबान जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गांवों से आते हैं क्या बात है कि चारपाई पर न सो सकें। बान की चारपाई न सही निवाड़ की चारपाई पर सोइये। तो मैं कहना चाहता हूं कि मितव्ययिता लाइये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय दिया।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझको बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। 1980–81 के बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है। मैं सुन रहा हूं, बहुत देर से। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बजट पर विरोधी दल के और हमारे दल के लोगों ने चुनाव भाषण देना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि सब लोग पहली बार आये हैं, मैं तो पहली बार आया हूं, जहां से पंडित जी चुनकर आते थे वहीं से आया हूं। मैं कहना चाहता हूं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बात साफ है कि किसी देश के बिकास के लिये या उत्पादन बढ़ाने के लिये पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। पानी कब कब इस प्रदेश को नहीं मिला। एक बार इस प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर अलग हुए सन् 69 में और इस प्रदेश में सरकार बनी। उस वक्त भी इसी तरह का सूखा और इसी तरह की मुसीबत आयी थी। दस साल बाद फिर अवसर मिला उनको इस देश का प्रधान मंत्री बनने का और ज्योंही प्रधान-मंत्री बन गये त्योंही फिर 69 वाला हाल हुआ और सूखा आया। इस बार तो इतना जबरदस्त सूखा पड़ा कि जो चिल्ला रहे हैं कि बिजली नहीं है, चीनी नहीं है तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जब पानी नहीं होगा तो निश्चय ही गन्ना नहीं होगा। पानी नहीं होगा तो बिजली कम बनेगी। बिजली कम बनेगी तो उत्पादन घटेगा और जब उत्पादन घटेगा तो निश्चय ही महंगाई आयेगी इसको कोई रोक नहीं सकता। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जिस चीज की कमी होती है वह चीज महंगी जरूर होती है। माननीय चौधरी चरण सिंह जब जब इस देश और प्रदेश के मालिक हुए हैं तब तब ऐसी आफत आयी है। पहले तो बी0 के0 डी0 के नाम से उसके बाद जनता पार्टी के नाम से सरकार बनी थी फिर अलग होकर लोकदल की सरकार बनायी तो फिर आफत आयी। (व्यवधान) तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बजट जो मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह 850 करोड़ रुपये का है और हम समझते हैं कि इस प्रदेश की आबादी लगभग 10 करोड़ की है। तो इसके माने आप देखें कि एक आदमी पर एक सौ रुपया का हिसाब भी नहीं आ रहा है इसलिये हमारे मुख्य मंत्री जी की योजना आयोग से जो 126 करोड़ रुपये की मांग है उसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

मान्यवर, मैं बजट के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि कृषि, सिंचाई, सहकारिता उद्योग यह सब ऐसे विषय हैं जो इस प्रदेश की 2/3 जनता के विकास से संबंधित हैं क्योंकि इस प्रदेश की 2/3 जनता गांव में बसती है और कृषि गांव में होती है। बिजली अधिकतर गांव को दी जानी चाहिये। सिंचाई की गांवों में जरूरत होती है। सहकारिता गांवों में तेजी से चलाना चाहिये और वहां सहयोग की भावना को आगे बढ़ाना चाहिये। इसलिये यदि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाय तो स्पष्ट है कि बजट से करीब 2/3 धनराशि इस प्रदेश की गरीब जनता के माफिक है। इसलिये यह बजट गरीब जनता के हित में है। क्योंकि अधिकतर पैसा उन्हीं गरीबों के ऊपर खर्च करने की बात है।

मान्यवर इस प्रदेश में गरीबों का जहां तक सवाल है तो हरिजन, आदिवासी, जनजाति, विमुक्त जाति के लोगों के ऊपर कुल 116 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गयी है। लेकिन यह कुछ कम है क्योंकि इससे उनका पूरा विकास नहीं हो सकता है। इसलिये इससे अधिक होना चाहिये। लेकिन और विभाग भी हैं जिनमें इन लोगों को सुविधायें देने की बात कही गयी है। इसलिये सबको जोड़ा जाय तो यह सहायता संतोषजनक जरूर है। हरिजनों के बारे में यह बजट लाभ प्रद है। इसी के साथ साथ मान्यवर, हरिजनों को कुयें और मकान बनाने के मामले में, छात्रवृत्ति के मामले में इस बजट का पैसा खर्च किया जायेगा लेकिन जहां तक हरिजनों और गरीबों को नौकरी देने का सवाल है तो इस सम्बन्ध में बजट में कोई ऐसा संकेत नहीं है कि उनके बारे में हम क्या व्यवस्था करेंगे जिससे गरीबों को रोजी रोटी मिल सके। इसलिय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार करें।

मान्यवर, जहां तक हरिजनों के कल्याण का सवाल है जिस पर विरोध पक्ष के साथी बहुत ही हल्ला कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि एक तरफ सत्तापक्ष है और दूसरी तरफ विरोध पक्ष है तो चाहे जितना अच्छा काम करें लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का काम तो विरोध करना है इसलिये सत्ता पक्ष के जितने अच्छे काम हैं बढ़िया काम ह उसका विरोध ही करते हैं क्योंकि उनका विरोध करना है, विरोध करेंगे। तो देखने से लगता है कि विरोध ही विरोध है। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी क शासन में अन्त्योदय कार्यक्रम हरिजनों के उत्थान के लिए चलाया गया था जिस में पचास प्रतिशत की छूट की बात कही गयी थी वह पचास प्रतिशत की छूट जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने अधिकारियों से मिल कर ले ली और बकिया जितने कर्ज रहे वह गरीब लोगों के माथ ल जा कर थोप दिया गया जिस के आज हरिजन भुक्त भोगी हैं। जो विरोध आप बार बार कर रहे हैं वह आपके ही कारनामे रहे हैं। हम तो हरिजनों को देना चाहते हैं दे देंगे लेकिन आप देने की बात कर के उन से लेगें।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, दो मिनट और समय दे दें। नया नया आया हूं, बोलना सीखने दीजिए। दो मिनट श्रीमन्। मैं आप से कह रहा हूं कि जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है कानून व्यवस्था के विषय पर आप बोल रहे हैं आप पार्टी कानूनी और व्यवस्था चला चुके हैं। जैसी बदतर हालत जनता पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था की हुई वैसी कभी न हुई और न होगी। आप सुन लीजिये। यह सारी की सारी देन आप की है, और हम उस को भुगत रहे हैं। हमें संभलना पड़ रहा है, हम प्रयत्न करेंगे कि व्यवस्था ठीक रहे। आप तो सत्याग्रह सःयाग्रह की बात करते हैं बड़े जोर शोर से और बागपत काण्ड को ले कर आप ने इसे शुरू किया है आप कानून और व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। केवल यही मुद्दा आपके लिए रह गया है। इस के अलावा आप के पास कुछ नहीं है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमें तो अभी एक डेढ़ महीना ही हुआ है आप तीन साल में कुछ नहीं कर पाये कम से कम छः महीने तक बीतने दीजिए आप लोग चैन की नींद सोयेंगे सारी की सारी व्यवस्था दुरुस्त मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि समय नहीं है अपनी बात समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी–

यह वर्तमान बजट और बजट भाषण शब्द जाल का आडम्बर है। शब्द जाल के आडम्बर के ऊपर बनी हुई सरकार और शब्द जाल के आडम्बर पर टिकी हुई सरकार का यह बजट शब्द जाल का आडम्बर मात्र है और इस के सिवाय इस बजट में कुछ है ही नहीं।

मान्यवर, बजट भाषण पर और उस के समर्थन में अभी तक जितने कांग्रेसी विधायक लोग बोले केवल एक बात उन्हें याद है कि इन्दिरा जी की नीतियां बहुत अच्छी हैं हम उनकी नीतियों के अनुसार चल रहे हैं और इस के सिवाय दूसरी बात यह कही कि उनको जनता

[श्री मोतीलाल देहलवी]

पार्टी और लोक दल की सरकार से जो कुछ विरासत में दिया है उसी की वजह से कानून व्यवस्था खराब है उसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। मैं तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं यह कांग्रेसी एक तरह से अंग्रेजी सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि यदि उनकी इस दलील को मान लिया जाय कि आज जो महंगाई है वह लोक दल की और जनतापार्टी की सरकार से विरासत में मिली तो यह गलत धारणा है। महंगाई अचानक तो इतनी चरम सीमा पर हो नहीं गई। अंग्रेज जब से गये भारत छोड़कर शनैः शनैः महंगाई बढ़ती चली गई। । क्या इनकी दलील के अनुसार यह समझा जाय कि अंग्रेज जो इस देश के अन्दर पूंजी छोड़ गये थे आपने खा पीकर उसको बराबर कर दिया और इसलिये महंगाई हो गई ..... (व्यवधान)। तसल्ली के साथ सुनिये। मान्यवर, यह केवल इन्दिरा जी का नारा लगाते हैं और उनकी दुहाई देते हैं। मैं सोचता था कि नये-नये सदस्य आये हैं नौजवान लोग आये हैं कुछ सीखेंगे, कुछ सिखायेंगे अपनी बुद्धि और स्वविवेक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस सदन में उनके भाषण और तौर तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन्जेक्शन लगा दिया जाता है शरीर के किसी पार्ट को शून्य करने के लिये उसी तरह से इन्दिरा गांधी ने इन लोगों को इन्जेक्शन लगा दिया है और उनकी बुद्धि विवेक को शून्य कर दिया है। उससे इनकी बुद्धि और विवेक शून्य हो गयी है .... (व्यवधान)।

एक सदस्य--

माननीय सदस्य को बड़ी पहचान है। अपना नम्बर बता दें।

श्री मोती लाल देहलवी--

कोई बजट जनमुखी है या जनमुख विरोधी है इसकी पहचान यह होती है क्योंकि इसे हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं कि इस देश या प्रदेश की जनता गांवों में रहती है। गांव में या शहरों में ज्यादा रहती है आपने जो बजट दिया है उसका ज्यादा प्रतिशत गांवों में खर्च होगा या शहरों पर खर्च होगा गांवों के लोगों के विकास पर खर्च होगा या शहरों के लोगों की विशेष सुख-सुविधा बढ़ाने पर खर्च होगा। अभी मोहन सिंह जी ने बताया था कि आप शिक्षा में एक बहुत बड़ा फर्क करने जा रहे हैं। इतने स्कूलों से काम नहीं चला तो विशेष लोगों के लिये काफी धन खर्च करके शहरों में विशेष स्कूल लाखों के खर्च वाला खोलने जा रहे हैं। बजट की अच्छाई या बुराई की पहचान तो यह है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने पर आप कितना धन खर्च करने जा रहे हैं। किसानों को अच्छा बीज देने में, सस्ता बीज देने में खाद देने में बिजली देने में आप कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। उनके खेतों की सिचाई और सड़कों के लिये कितना धन व्यय करने जा रहे हैं। इससे अच्छे और बुरे बजट की पहचान होती है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस प्रदेश में केवल 3 साल को छोड़कर शेष सारी अवधि तक यहां पर कांग्रेस ही सत्ता में रही है और मेरा ख्याल है कि इस देश में 12/13 साल से श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी प्रधान मंत्री हैं। वह एक महिला हैं अगर उन्होंने गांवों की महिलाओं पर ध्यान दिया होता तो आज जो गांवों में महिलाओं के लिए घनघोर कष्ट बना हुआ है टट्टी पाखाने का वह न होता। (व्यवधान) महिलाओं के लिए कोई प्राविधान किया होता तो समझ में आता कि इन्दिरा जी की नीतियों में अच्छाई आई है। लेकिन वही पुरानी शराब नयी बोतल में रख दी है। आप यह देखें कि लोकदल जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का संकल्प लिया था एलान था कि हम 5 साल के अन्दर हर जिले के गांव गांव को सड़क से जोड़ देंगे लिंक रोड बन जायेगी। आज गांवों में जो सड़कें बनी हुई हैं जिन पर मिट्टी पड़ी हुई है जिसके लिये मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि जो प्रथम चरण में बनी हैं आप अगर देहातों के हितैषी हैं तो उसमें खड़ंजा

लगवा दें। जहां जहां मिट्टी पड़ी है उसे पक्का करवा दें। बरसात आ गई है आज हालत यह है कि वह सब बह रही है और जनता का धन बेकार जा रहा है। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे 5 मिनट और दे दें। अगर इस सरकार का ध्यान किसानों की तरफ होता तो अपने बजट भाषण में वायदा किया होता कि जो लोक दल और जनता पार्टी की सरकार ने जनहित के काम किये हैं उन अधूरे कामों को पूरा किया जायेगा।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं क्या वह अपने कार्यों को दोहरा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता --

आप शासक दल के हैं व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न पैदा करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, त्रिवेनी राय बहुत पुराने सदस्य हैं। और यह विवेक विरोधी हैं। जो जनता पार्टी के और लोकदल के जमाने के कार्य हैं जो अधूरे हैं या विकृत हो गये हैं उनको बनाने-पूरा करने का संकल्प बजट में लिया होता।

आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि न लोग अपने को बस में सुरक्षित समझ रहे हैं और न रेल में सुरक्षित समझ रहे हैं और न पैदल सुरक्षित समझ रहे हैं और न घरों में। आज हालत यह है कि लोगों को बस में चलने में डर लगा रहता है कि पता नहीं कि बस कहां रोक दी जाय और लूटली जाय रेल में चलने में डर बना हुआ है जनसाधारण को और खास-तौर से प्रथम श्रेणी में चलने वालों को कि पता नहीं कहां लूट लिये जायेंगे .. डकैतियां, चोरियां, कत्ल मान्यवर, बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। एक बात इन्होंने कही कि लोकदल, जनता पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग अपने अफसर बिठा गये इसलिये चोरी डकैती और बलात्कार बढ़ रहे हैं। किन्तु आप यह कहकर जनता को धोखा नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, लोकदल और जनता पार्टी की सरकार ने कौन से नये आई० ए० एस० अफसर कलक्टर व एस० पी० बना दिये जिनको जिम्मेदारी की जगह दी गई। आज जो अधिकारी या जिलाधिकारी या एस० पी०, आई० ए० एस० अधिकारी हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं यह वही पुराने इमरजेंसी वाले जिनसे इन्होंने गलत काम कराये थे। (लाल बत्ती होने पर) मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ..... (व्यवधान) (श्री देहलवी तथा राज कुमार राय साथ साथ बोलने लगे)।

*श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सामान्य बजट की चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। यह बजट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज सदन के समक्ष पेश किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। यह बहुत ही प्रगति शील और विकासशील बजट है ..... (व्यवधान) ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में पर्वतीय विकास के बारे में और विभिन्न विकास कार्यों के लिये जो कुछ रखा है निश्चित रूप से वह सराहनीय है। उसमें बहुत अच्छी बातें आई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि के विकास के लिये व्यापक संसाधन जुटाने के लिये ..... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सन्त बक्श रावत--

मैं व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य यहां अपना लिखा भाषण पढ़ सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप पढ़ नहीं रहे हैं प्वाइन्ट्स देख रहे हैं ।

एक सदस्य--

यह कहीं से लिखवाकर लाए हैं ।

श्री राजकुमार राय--

कृषि के विकास के लिए उन्होंने जिन जिन बातों की तरफ इशारा किया है उनसे इस प्रदेश का बड़ा भला होने वाला है । इन तमाम बातों के लिए मैं मुख्य मंत्री जी क बजट का स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें कुछ बातें और लानी आवश्यक है ।

आज यह महसूस किया जा रहा है हम यह कहने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं कि हमारे देश में एक प्रवृत्ति चली आ रही है हम गांवों से शहरों की ओर जा रह हैं । उसक लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बजट का ज्यादा हिस्सा अपने ग्रामीण अंचल पर खर्च करें । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बजट का ज्यादा अंश अब एलाट करने लगे तो ग्रामीण अंचलों की ओर ध्यान दें । मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि बजट इसलिए भी सहारनीय है कि जो अबतक योजना आयोग से 810 करोड़ रुपया मिला था उसे अबकी अपनी वकालत से और उनको समझा बुझाकर 832 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने पा लिया है । हम उनकी इस बात के लिए सराहना करते है इसके साथ हमारी कुछ समस्याएं जिन पर मुख्य मंत्री और नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इसे जोड़ा जाना चाहिए । हमारे क्षेत्र में एक बाढ़ की भीषण समस्या है । वहां बाढ़ हर साल आती है लेकिन उसका उपाय तब होता है जब बाढ़ अपने सर पर चढ़ जाती है । वैसे ही वहां कटाव की समस्या है । हम जिस जिले से आते है उसमें बाढ़ की समस्या हर साल की बनी हुई है । हमारा आजमगढ़ नगर है जिसके चारों ओर बांध है उसमें जल निकासी के लिए दो पम्प है । पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक भी पम्प काम नहीं कर रहा था । वैसे हमारे बहुत से गांव हैं । जब उनके कटाव की स्थिति आती है तब कुछ उपाय किये जाते हैं । जिन गांवों में लोग कटाव की विभीषिका से त्राण पा चुके हैं सितम्बर के बीतते ही फिर वहां पर कटाव आरम्भ हो जायगा । अत: मैं अपने सिंचाई मंत्री एवं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समय रहते बल्कि उससे पहले ही युद्ध स्तर पर जो बोल्डर्स इकट्ठे करने हों उनको कलेक्ट किया जाय ताकि समस्या का समाधान हो सके । इसके अलावा इन बोल्डर्स और ईंटों को बांधने के लिये जो लोहे के तार वहा पर मंगाये गये हैं वे इतने पतले हैं कि उससे समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है । वहां पर गांव बड़ी नीचाई पर है । धर्मपुर और बिशनपुर ऐसे ही गांव हैं । जब तक इन गांवों के कटाव का कोई बचाव का प्रबन्ध नहीं हो पायेगा वहां की जनता त्राण नहीं पा सकेगी ।

श्रीमन्, जहां तक सड़कों का प्रश्न है हमारा इलाका वह इलाका है जो आजादी की लड़ाई में सबसे अधिक आगे रहा । मधुबन गोलीकाण्ड लाइब्रेरी की पुस्तकों में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है कि वहां पर 80--80 आदमी गोली से उड़ा दिये गये । वहां पर 10--15 मील लम्बी सड़क जो मझवारा-मधुबन शहीद रोड के नाम से है । यह बहुत ही पुरानी सड़क है । मेरी माननीय मुख्य मंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री से प्रार्थना है कि व इसको जल्दी से पक्की कराने की कृपा करें ताकि इन शहीदों की आत्मायें दुआ दें ।

इसके अलावा वहां पर एक चकौथ-असना–घोसी बेल्थरा रोड है जो सौ वर्ष पुरानी है । वह इस समय केवल कंकड़ की है । यह 3 मील के बाद ब्लाइन्ड कर दी गयी है । अत: इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है । मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस बजट में इस बजट को भी पूरा कराने का प्राविधान करने की कृपा करें ।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मेरी प्रार्थना है कि इसमें इस प्रकार का परिवर्तन किया जाय जिससे हमारी शिक्षा रोजगारपरक हो सके और हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके । अगर हमारी नीतियां सही नहीं होंगी तो जिस तरह से गलत नीतियों के कारण लोक दल की और जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केन्द्र में नहीं रही उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है । बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिये जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे लिये यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा नीति रोजगारपरक हो ।

जहां तक महंगाई का प्रश्न है इससे निपटने के लिये हमें अपनी वितरण प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है । मेरा अनुभव है कि विभागों के लोग चाहे वे वितरण विभाग के हों या सिंचाई विभाग के हों ठीक से काम नहीं करते हैं । अगर यह माननीय सदन उचित समझे तो जिलाधिकारियों को इतने अधिकार दें कि अगर वे लोग ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनकी चरित्र पंजिकाओं में वह प्रतिकूल एन्ट्रीज कर सकें । अगर उनकी सीधी पकड़ नहीं होगी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तो वे उल्टा सीधा जवाब दे देंगे कुछ काम नहीं होगा और बजट का रुपया यों ही व्यर्थ में चला जायेगा । अभी पिछले दिनों 10–12 गांव बह गये । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से टेली-फोन पर कन्टैक्ट करना चाहा लेकिन नहीं मिल सके । जिलाधिकारी महोदय कुछ उनका नहीं कर सकेंगे । अगर सीधी अधिकार उनको दे दिया जाये तो हो सकता है कुछ कर सकें ।

[समय 4 बजे अपराह्न]

माननीय नेता विरोधी दल तथा विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने इस बजट को एक शब्द जाल काल्पनिक तथा अभिनन्दन ग्रन्थ आदि बतलाया ऐसी बात नहीं है । यह वह बजट है जिसमें सब चीजों के लिये प्राविधान किया गया है । हरिजनों के लिये, गरीबों के लिये, बेकारों के लिये, शिक्षकों के लिये, इस बजट में प्राविधान किया गया है । एक बात मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जब जब दैवी आपदा आये सरकार को लगान माफी के आदेश देकर लगान माफ कर देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं बजट का एक बार फिर समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री यादवेन्द्र सिंह––

आपका श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि बजट पर इस सामान्य चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । जब से यह सामान्य चर्चा चल रही है मैं बराबर सुनता रहा और इस आदरणीय सदन में पिछले वर्षों में भी बजट पर सामान्य चर्चा को सुनने का अवसर मिला और मैंने सुना । जो लोग भी बजट पेश करते हैं वे यही कहते हैं कि यह बजट प्रदेश के लिये हितकर बजट है और यह प्रदेश की प्रगति को गति देगा । जो लोग विरोध पक्ष में बैठते हैं वे उस बजट को निकम्मा खराब और त्रुटिपूर्ण बताते हैं । लेकिन मेरा विचार है कि जब बजट पर सामान्य चर्चा हो रही हो तो उसकी आलोचना नहीं समालोचना होना चाहिये । अगर समालोचना करें तो हम यह कहेंगे कि कोई भी सरकार जब बजट बनाती है तो उसकी नीयत यह नहीं होती कि वह जो बजट बना रही है उससे प्रदेश की प्रगति

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

न हो । वह नाम तो प्रगति का देते हैं.....(व्यवधान) उसमें प्रगति के काम करने की भी बात होती है, लेकिन देखना यह पड़ता है कि वह हथियार कौन सा इस्तेमाल करता है, उसके काम करने का तरीका कौन सा है । हम किसी की नीयत पर संदेह नहीं करते हम उसके काम पर भी संदेह नहीं करते, लेकिन हमचिन्ता इस पर अवश्य करते हैं कि वह जिस नीयत से अपना काम कररहा है क्या वह सचमुच अपनी नीतिके अनुरूप चल रहा है या नहीं । आज यहां जब सामान्य चर्चा कर रहे हैं हमने देखा कि बात शुरू हुई है कहां से और चली गयी कहां पर । दोनों पक्षों के लोगों ने महंगाई की चर्चा की । महंगाई बढ़ गयी, यह चर्चा होती रही । प्रश्न यह है कि क्या हमने इस पर विचार किया कि महंगाई बढ़ती है तो होता क्या है ? जब कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही जब भोजन की सामग्री मुश्किल से महंगी पैदा होगी तो दाम बढ़ेंगे और जब दाम बढ़ेगे तो पट भर भोजन नहीं मिलेगा, जब भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नही करेगी, जब बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी तो उसका विवेक शून्य हो जायेगा (इस समय 4 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) और जब विवेक शून्य हो जायेंगे तो ला एण्ड आर्डर और हर समस्यायें आपके सामने आयेंगी अब आप इस पर विचार करें ।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह माननीय सदन विचार करे कि महंगाई रोकने की दिशा में क्या काम किया । इस बजट में क्या दिशा निर्दिष्ट की गयी । उस विशेष सर्किल तोड़ने के लिये क्या हमने सोचा कि किसान जो गल्ला पैदा करता है उसके गल्ले की पैदावार और कास्ट आफ प्रोडक्शन को घटाने का क्या प्रयास हो रहा है । हमने यह तो कहा कि खाद का दाम तो बढ़ गया हमने यह भी कहा कि खाद बनने मे जो मैटेरियल इस्तेमाल होता है, वह बाहर से आता है इसलिये दाम बढ़ गया । हमारे पक्ष से कहा गया कि खाद का दाम बढ़ गया, इसलिये गल्ला महंगा पैदा हो रहा है । लेकिन यह सरकार जो जिम्मेदार है ला एण्ड आर्डर की, जो जिम्मेदार है आदमियों को भोजन देने की, जो जिम्मेदार है इस प्रदेश को ऊंचा उठाने की जो सरकार चीनी के उद्योग को बढ़ाने के लिये, क्या वह अपने काश्तकारों को खाद पहुंचाने के लिए सब्सीडाइज नहीं कर सकती है ? अगर कर सकती है, तो क्या उसके लिए कोई दिशा है ? यदि नहीं, तो वहीं से काम का अधूरापन शुरू हो गया । नहरों के विस्तार की बात कही गयी । नहरों का विस्तार तो हो, लेकिन जो नहर बनी हैं, उनका मेंटीनेंन्स हो रहा है कि नहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है । बाढ़ से लड़ने की तैयारी हो रही है, लोग तबाह हो रहे हैं । क्या यह भी इस बजट में चर्चा की गयी ? नदियां वही है, बरसात वही है देश वही है, फिर बाढ़ क्यों हो रही है ? उसका कारण यह है कि हमारी नदियों का पेट उथला होता जा रहा है ? क्या हमारे सिंचाई विभाग में नदियों को गहरा करने की कोई स्कीम है ? क्या जो नहरों की शाखायें बनी उनको यह दखने की स्कीम है कि जो शाखायें हैं, उनके तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं ? आपने विस्तार की बात कहीं, कागज में तो बढ़ जायगा, लेकिन पानी का दाम अगर नहीं घटेगा, खाद का दाम नहीं घटेगा, तो अनाज का दाम नहीं घटेगा । अगर अनाज का दाम नहीं घटेगा तो मजदूरी नहीं घटेगी अगर मजदूरी नहीं घटेगी, तो मजदूरी आपको देना पड़ेगी और भूख की ज्वाला जब नहीं मिटेगी, जब नवजवान बेकाम घूमेगा, जब उसके घर के लोग यह बात रखेगे कि तुमको पढ़ा लिखा कर हमने बड़ा कर दिया, तुम बेकाम हो, तुमको हम भोजन नहीं दे सकेगें, तब वह क्या करेगा ? तब वह रिवाल्वर अपने हाथ में पकड़ेगा और तब ला एण्ड आर्डर की बात आयेगी । यह बजट जो हर तरफ से विकास का द्योतक कहा जा रहा है, हम उसकी नियत पर शक नहीं करते, लेकिन उसके इम्प्लीमेन्टेशन की बात जरूर कहते हैं कि उसके इम्प्ली-मेन्टेशन के लिए अगर ठीक इन्स्ट्रूमेन्ट इस्तेमाल नहीं हुए, तो यह केवल कल्पना मात्र ही रह जायेगा । महंगाई अगर नहीं घटी तो अनाज का प्रोडक्शन कास्ट नहीं घटेगी और अनाज

का प्रोडक्शन कास्ट नहीं घटेगा, तो किसान खुशहाल नहीं होगा इस प्रदेश का 85 प्रतिशत व्यक्ति किसानी करता है। उसकी किसानी के लिए हर चीजें महंगी दी जा रही हैं। खाद, पानी उसको सस्ता मिलना चाहिए। आपने इन मदों पर पैसा रखा है, लेकिन यह ध्यान रखे कि उसका विस्तार भी होना है और साथ ही इस पर विचार कर ले कि आपने जो कहा कि बिजली के विस्तार की बात कही, लेकिन आपको देखना है बिजली के जनरेशन की ओर भी, जिसके दिन रात आप रेट बढ़ाते जा रहे हैं। इसको भी हमारी सरकार को रोकने की जरूरत है। जो डिफर स्टेशन हैं और जिन डिफर स्टेशन के नाते भू-स्खलन हो रहे हैं, इनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। हम यहां पर विशेषकर बजट पर विचार के लिए बैठे हैं। यहां पर किसी विदेश की नीतियों को लेकर नहीं आये हैं। हमें इसी ओर देखना है, प्रदेश की हालत को देखकर काम करने आये हैं प्रदेश की जनता के अधिकारों और आवश्यकताओं को देखकर काम करने आये हैं और इसी अनुरूप बजट बने। इसकी ओर आपका ध्यान, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि आज आदमी की जिन्दगी बद से बदतर हो गयी है कब और कहां गोली चल जाए, कुछ पता नहीं। कब कौन आदमी मार दिया जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग रोज अखबार पढ़ते हैं रोज पता चलता रहता है। जनता आज सुरक्षित नहीं है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह में आप जायं और जब आप इसकी तह में जायेंगे तभी कुछ होने वाला है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आज आप जो शिक्षा हमारे नौजवानों को दे रहे हैं, वह बिल्कुल लचर है। और उस शिक्षा के पाने के बावजूद भी वह बेकार घूम रहा है। आपको यह भी देखना चाहिये आई0 टी0 आई0 और आई0 आई0 टी0 से जो इंजीनियर्स पास होकर निकलते हैं, उनको रोजी मिले जिस अनुपात से आप रोजी दे सकते हों, उसी अनुपात से लड़के आप निकालें दूसरी ओर आपको ग्रामीण लघु उद्योग की ओर भी ध्यान देना चाहिए, इससे भी प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। और आपने जो बुन्देलखण्ड, रुहेलखण्ड और उत्तराखण्ड में निगम बनाये, वह सारे के सारे फेल हो गये।

श्री अध्यक्ष----

माननीय सदस्य, अब आपका समय खत्म हो गया।

श्री यादवेन्द्र सिंह----

यदि आप व्यापारियों पर निर्भर रहेंगे, उनके मुनाफे को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे और आप अगर अब भी इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सर्वांगीणविकास कदापि नहीं हो सकता, चाहे आप अपनी नजर में कितना ही अच्छा बजट बना लें या जो बजट अब बनाया है, इससे भी बढ़िया बना लें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देश को यदि प्रगति की ओर ले जाना चाहते है तो चाहे इधर के बैठने वाले हो या उधर के बैठने वाले हों आपको सब के विचारों को लेकर चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है और हमारे नवजवान सदस्यों को चाहिये कि बजट में जो भी मद हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़े और जहां भी गलती हो उसके कार्यान्वयन के लिये कहें। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट का जब काम शुरू हुआ था तो 3 बातों का लक्ष्य था। पहला यह कि हर गांव में पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से कर दी जाए। दूसरा यह कि प्रत्येक गांव में स्कूल हो जाय और तीसरा यह कि हर गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाय। लेकिन आप अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं और नहीं कर रहे हैं। इसलिये अधिष्ठाता जी ये आपके माध्यम द्वारा कहना चाहता हूं कि यदि आप इन दिशाओं की ओर चलें तो प्रगति करेंगे।

*श्री भोला पाण्डेय---

मान्यवर, आपने हमें मौजूदा सामान्य बजट पर जो चर्चा हो रही है, मुझे भी बोलने का अवसर दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं इस मौजूदा बजट पर जो मा0 मुख्य मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो हमारी हुकूमत को बनाने में मदद की और जो हमसे आकांक्षायें रखी है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये इस बजट में वह सब कुछ है, जो प्रदेश की प्रगति के लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। पिछले वर्ष 1979-80 के बजट को जो वित्त मंत्री प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने उस समय कहा कि अपरिहार्य कारणों से आगे आने वाली योजनाओं को हम सदन में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह था कि जनता पार्टी की सरकार जो उस समय बनी थी उसमें ल ग अनुभवहीनता के शिकार थे। उनमें अकर्मण्यता और अक्षमता थी जिसके कारण वित्त मंत्री ने सदन में बजट के समय कोई योजना प्रस्तुत नहीं की। कानून व्यवस्था को सुधारने की जो बात बार बार सदन में कही जा रही है, जनता पार्टी की जब हुकूमत थी तो कानून व्यवस्था उस समय ही बिगड़ी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति प्रशासन में आ गये थे जिससे वे लोग पुलिस के घेरे में ज्यादा काम करते थे (व्यवधान) मौजूदा बजट में जिस तरह से पुलिस के छोटे छोटे कर्मचारियों पर व्यय करने का फैसला किया गया है कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बजट का प्रमुख भाग आय और व्यय का अनदान होता है 1978-79 में आय जहां 1525.5 करोड़ थी वहां 1980-81 में उसका अनुमान 2100 करोड़ होने का है। इसी तरह से व्यय का जहां तक सम्बन्ध है 1979-80 में वह 1641 करोड़ था लेकिन 1980-81 में 1526.92 करोड़ का अनुमान है। इस तरह से जहां एक ओर 595 करोड़ की आय हुई तो दूसरी ओर कई करोड़ रुपये की खर्च में भी बचत हुई।

शिक्षा विभाग में जिस तरह से विकास करने की बात कही गयी है सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो बजट शिक्षा मंत्री ने पेश किया है उसके मुताबिक डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर जूनियर हाई स्कूल खोलने की बात कही है, इससे गांवों का विकास होगा। पिछली सरकार द्वारा गांव के विकास का समाधान करना तो दूर रहा, चौधरी चरणसिंह की सरकार द्वारा किसान की छतों पर कीलें ठोंकी गयीं उनके द्वारा किसानों के बच्चों की शिक्षा पर कोई व्यय नहीं किया गया। लगातार तीन साल तक जनता पार्टी की हुकूमत रही उसमें शिक्षा विभाग में जो समितियां बनीं उसमें अपने अपने दल के लोगों को ही लेने की कोशिश की गयी जिसके कारण शिक्षा के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। शिक्षा के अन्दर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिये। चाहे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो चाहे प्रबन्ध समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कोई अन्य व्यापक कदम उठाया जाय। सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है कई लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

कुछ बलात्कार के बारे में भी बतला दीजिये। (व्यवधान)।

श्री भोला पाण्डेय--

और हमारी सरकार ने केवल एक वर्ष के अन्दर 2.92 लाख का लक्ष्य रखा है अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने के लिये, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा। विद्युत विभाग के 290 करोड़ रुपये जिससे 244 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता बढ़ेगी, जो पिछली सरकार की अकर्मण्यता के करण विद्युत उत्पादन समाप्त हो गया था, विद्युत विभाग के अन्दर गलत लोगों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को प्रोत्साहन देकर, गलत लोगों को अधिकारी बना कर और वितरण प्रणाली जो गलत थी जिस के कारण किसानों के बीच में जितनी बिजली पहुंचनी चाहिये थी, नहीं पहुंची। मैं समझता हूं मौजूदा बजट, मुझे यकीन है कि सारी बातों को लेकर हमारी सरकार आगे आने वाले दिनों में विद्युत् विभाग में जो सुधार की व्यवस्था कर रही है, वह स्वागत योग्य है।

मान्यवर, जो बिजली की चोरी की गई और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, हमारी सरकार आगे आने वाले दिनों में बिजली की समस्या में सुधार करके किसानों के बीच में बिजली की व्यवस्था की जायेगी। उद्योगों के सम्बन्ध में जिले स्तर का जो प्रस्ताव हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया मैं समझता हूं आज तक कभी नहीं हुआ है। उद्योग लगाने वाले के लिये जिले स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिले स्तर पर यह व्यवस्था की गई है कि 25 हार्स पावर की उनको वहीं पर सुविधा दी जाय उनको लखनऊ और अन्य जगहों पर किसी को मुंह न फैलाना पड़े। मान्यवर, बेरोजगारों के लिये इसमें प्राविधान है। मान्यवर पिछली सरकार ने वायदा किया था कि बेरोजगारों के लिये, बेरोजगारी भत्ता देने के लिये हम महत्वपूर्ण कदम उठायेंगे लेकिन यह आपसी दुश्मनी के कारण, कुर्सी की लड़ाई के कारण, अपने वादे को जो जनता पार्टी ने नौजवानों को बेकारी के लिये किया था उसको पूरा नहीं किया। मौजूदा बजट इस प्रदेश के इन बेरोजगारों की समस्या को हल करने की कोशिश करेगा कि कैसे यह सवाल हल हो सके। लगभग 15 नये औद्योगिक संस्थान खोलने का प्राविधान सरकार ने किया है। मैं समझता हूं लघु उद्योग खोलने की बात की गई है वह एक ऐतिहासिक कदम है बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि बेरोजगारी के लिये बजट में जो प्रस्ताव किया गया है यह कम है, इस बात से इन्कार नहीं करता लेकिन हमें यकीन है, बेरोजगारी को हल करने के लिये मौजूदा सरकार प्रयत्न हमेशा करेगी।

मान्यवर, सड़कों का सवाल है। खाद्यान्न योजना जो जनता पार्टी और लोकदल को हुकूमत में चालू किया गया, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा, शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, मजदूरों का शोषण किस तरह से खाद्यान्न योजना में किया गया यह एक ऐतिहासिक और बेमिसाल नमूना है भ्रष्टाचार का। कुल कार्यों के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं बलिया जनपद में, बलिया और काशिमाबाद के बीच में एक पुल की बात की गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में एक रानीगंज है जहां बिल्कुल संकीर्ण पुलिया है उसको एक सुदृढ़ पुल बनाकर वहां की जनता को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। इस बात का मुझे यकीन है। मान्यवर, औद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने योजना बनाया है यह एक महत्वपूर्ण और रोजगार शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, हमारे विपक्ष के लोग जगह-जगह पर केवल हरिजनों के सवाल को उठाते हैं, 100 करोड़ रुपया हमारी केन्द्रीय सरकार ने बजट में दिया है, हरिजनों को सुधारने के लिये। 3 वर्ष तक हरिजनों की समस्याओं को सुधारने के लिये कुछ भी नहीं किया। मौजूदा हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपये दिये हैं हरिजनों की समस्याओं की सुधार के लिए। यहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, यह जो बजट की आलोचना कर रहे हैं और नेता विरोधी दल ने जो व्यक्तिगत आलोचना की है मैं समझता हूं कि उन्होंने सही तरह से बजट की जो कापी उन्हें दी गई है उसे पढ़ा नहीं है। मौजूदा बजट में किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया गया है। पिछली सरकार ने जैसे कर लगाये जिसके कारण मुद्रा प्रसार बढ़ता रहा इसको रोकने के लिये भी हमारी सरकार ने कदम उठाये हैं।

[श्री भोला पाण्डेय---]

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, केवल 2 मिनट का समय और लूंगा । जनता पार्टी और लोक दल की सरकार ने पिछले दिनों तमाम जनता की आकांक्षाओं के प्रति कुठाराघात किया है । उसके विरोध में जो फैसले किये गये, जो सही तरह से बजट में प्रस्तुत किये गये हैं, उसकी समालोचना तो की जा सकती है लेकिन आलोचना नहीं । इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि इस बजट से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करके, किसानों तथा नौजवानों पर विशेष ध्यान देकर तमाम समस्याओं का समाधान होगा ।

मान्यवर, आपने समय दिया, इसके लिये मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । जहां तक बजट में मैं समझता हूं कि जिस तरह केन्द्र सरकार ने बजट रखा और उसके बाद जिस तेजी से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बजट के मौके पर उसके पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, डीजल के दाम बढ़ाकर अपने खजाने की आमदनी को 20 अरब रुपया तक बढ़ा लिया जिससे आम चीजों की कीमतें बढ़ी । जिस तरह से खाद के दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई, रेल भाड़ा बढ़ा कर, रेल किराया बढ़ाकर, कीमतों को बढ़ाया उसी तरह से वर्तमान बजट जो 216 करोड़ के ऊपर घाटे का बजट है, यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि केन्द्र सरकार का बजट और प्रान्तीय सरकार का बजट, दोनों देश के अन्दर गरीबी को बढ़ाने तथा जनता पर भार लादने वाला बजट है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज सरकारी बेंचेज के लोग ढाई-तीन सालों वाले शासन को कीमतें बढ़ने को दोषी ठहराया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि डीजल के दाम किसने बढ़ाये, पेट्रोल के दाम किसने बढ़ाये, रेल भाड़ा और किराया किसने बढ़ाया, खाद के दाम किसने बढ़ाये ? क्या इन सबका कारण आज की कीमतों के बढ़ाने के कारण नहीं है कौन दोषी है, पिछली सरकार या आज की सरकार ? इस बजट के ऊपर आप देखिये, इसकी बातें बता दूं । आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि 421 सेलेक्टेड कम्पनियों का मुनाफा 33 प्रतिशत बढ़ा है । यह हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े पूंजीपतियों, बड़े-बड़े घरानों की है जिनकी सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का शासन बना हुआ है । 33 साल से जो बड़े-बड़े पूंजीपति, टाटा, बिड़लाओं की सेवा कर रहे हैं, गरीबों पर हमला कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपके बजट में अनइम्प्लायमेन्ट को दूर करने के लिए क्या सुझाव रखा गया है ?

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि भूमिहीनों को जमीन देने का क्या प्राविधान है, बेकार नौजवानों के लिए काम देने का क्या प्राविधान है ? आज हमारे देश के अन्दर गरीबी है भुखमरी है, इस बात को आप स्वयं तस्लीम करते हैं । आपने कौनसी व्यवस्था की है, इसलिये कि गरीबी है और गरीबी बढ़ती चली जा रही है । आप गरीबों पर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, इसकी यही वजह है । आप चीनी के अभाव की बात करते हैं, सीमेन्ट की बात करते हैं । ब्लैक से जितनी चाहें सीमेन्ट खरीद लें, जितनी चाहें चीनी खरीद लें । यह कहां से आती है, कौन बिक्री करता है इसकी ? इस चोर बाजारी का कौन जिम्मेदार है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कहा था कि यह अभिभाषण दिशाहीन है यह प्रदेश की पालिसी को दिशा नहीं देता, प्रदेश की तस्वीर नहीं दर्शाता इस बजट को देखने के बाद वास्तविक तश्वीर सामने आ गयी । यह एक ऐसा बजट है इसमें

इस बात पर कोई इशारा नहीं है कि जो घाटा है वह कैसे पूरा होगा। इस देश में एक और खतरनाक स्थिती पैदा हो गयी है, अराजकता बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, जनता में आक्रोश पैदा होता जा रहा है। रोडवेज के कर्मचारियों को 6 महीने तक हड़ताल से रोक लिया गया है। यही रहा तो इस देश के अन्दर वह काला दिन शीघ्र ही आयेगा जब देश की जनता में डर और आतंक छा जायेगा और उन्हे जेलों में भेज दिया जायेगा। देश को कारागार में बदल दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं बजट की आलोचना करता हूं। समय कम है। 2–4 मिनट और लूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस और गोरखपुर के बाद सबसे बड़ा नगर है। दो-दो मिले हैं। 50 हजार हैण्डलूम करघे हैं। अस्पताल नहीं के बराबर हैं। अस्पताल टूटा पड़ा है, जिसमें न तो दवाइयां हैं न मरीजों के लिये बेड है, न एक्स-रे-मशीन है और न ही आक्सीजन सिलिन्डर है। मऊनाथ भंजन के अन्दर एक अस्पताल खोला जाय। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया उन्होंने 50 बेड का अस्पताल खोले जाने के लिये कहा है। यह बहुत ही जरूरी है।

मऊनाथ भंजन आजमगढ़ जिले में इतना बड़ा शहर है। केवल वहां से 60 प्रतिशत रेवेन्यू आता है। वहां ट्रेजरी नहीं है। खजाने में अगर 10 पैसा भी जमा करना पड़ता है तो 46 किलोमीटर जाना पड़ता है। मऊनाथ भंजन के अन्दर ट्रेजरी होना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिये कोई स्कूल बिल्डिग नहीं है। 5–7 सौ लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं। मान्यवर, वह एक दरबा है जिसमें जानवर बन्द होते हैं। स्कूल की बिल्डिग नहीं बन रही है। बरसात होती है तो लड़कियां सिकुड़ कर बैठती हैं और देखती रहती हैं कि बरसात कब बन्द हो। तीसरी बात मैं टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूशन जो उत्तर प्रदेश में खोलने की बात थी, के बारे में कहूंगा। उसे वहां से हटाया जा रहा है। वहां पर अगर यह इंस्टीट्यूशन खुलेगा तो वहां पर सारी चीजें मौजूद हैं। 50 हजार करघे हैं, 8 हजार पावर लूम हैं 2 स्पिनिंग मिल्स हैं, सारी चीजें वहां पर हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मऊ नाथ भंजन दो भागों में बंटा है, बीच से रेलवे क्रास करती है। रेलवे के कारण दिन में पचासों बार फाटक बन्द होते हैं और आधे-आधे घंटे तक लोगों को खड़ा होना पड़ता है। बलिया से बनारस, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर जाने वाली ट्रकें रुक जाती हैं इसलिये वहां पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाय। इस बजट में उस ओवर ब्रिज का कोई प्राविधान नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर बिजली की सप्लाई केवल 6 घंटे होती है। 20–20 घंटे बिजली कटी रहती है इस कटौती को रोका जाय और बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया जाय। इसके साथ ही साथ मऊ निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर दूसरा सबसे बड़ा टाउन कोपागंज है। यहां की जन-संख्या 28 हजार है। लेकिन यहां पर बसों को रुकने का कोई इन्तजाम नहीं है इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। वहां पर बसों के रुकने का इन्तजाम किया जाय।

मैं इरीगेशन के बारे में कहना चाहता हूं शारदा कैनाल और शारदा माइनर का जाल बिछाया जा रहा है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई नहर नहीं है इसलिये वहां पर ट्यूबवेलों का प्रबन्ध किया जाय। मेरे क्षेत्र में बहुत से बुनकर हैं जिन पर कर्जे हैं। महाराष्ट्र और तामिलनाडु की सरकारों ने बुनकरों पर जो कर्जे थे उनको सेट एसाइड कर दिया है वह कर्जे यहां के कर्जों से कई गुने ज्यादा हैं। तो मैं इस प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बुनकरों के कर्जे माफ कर दिये जायं। किसानों का लगान स्थगित कर दिया गया है मेरी मांग है कि उसको माफ कर दिया जाय। मऊ एक विकासशील नगर है वहां पर सीमेंट का बड़ा अभाव है मेरी मांग है कि वहां पर सीमेन्ट का इंतजाम

किया जाय। वहां पर सीमेंट 80 रुपये बोरी बिक रही हैं। वहां गल्ले की दूकानों में पर्याप्त मात्रा में अनाज का इन्तजाम किया जाय और भ्रष्टाचार तथा काला बाजारी दूर किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अध्यक्ष महोदय आपका अभिनन्दन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री पन्ने लाल--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। 1980-81 का जो बजट भाषण नेता सदन ने प्रस्तुत किया है उस बजट भाषण में पहले ही लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, निर्बल वर्ग का उत्थान, अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा कानून और व्यवस्था की स्थापना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन, समुचित वितरण प्रणाली और प्रदेश का सम्यक आर्थिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जिस कांस्टीटूएंसी से चुनकर आता हूं वह मुंडेरा बाजार क्षेत्र, जिला गोरखपुर में पड़ता है। मेरे क्षेत्र का आधा हिस्सा बाढ़ से डूबा है। जिस तरह मेरे क्षेत्र का आधा हिस्सा बाढ़ से पीड़ित है उसी तरह से मैं भी एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का निवासी हूं। हमारे मुंडेरा बाजार में चौरी-चौरा एक ऐसा स्थान है जहां से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी। लेकिन चौरी-चौरा मुंडेरा बाजार क्षेत्र के अन्दर इन 32 सालों के शासन में लोग यह न समझ सके कि आजादी भी कोई चीज है। हमारा क्षेत्र राप्ती गोर्रा नाला से घिरा हुआ चंबल घाटी बना हुआ है। इस क्षेत्र में आये दिन चोरियां और डाके हुआ करते हैं। चोर और डाकू निवास करते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में कोई पुल नहीं है और आने-जाने के साधन नहीं हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आने के लिये कम से कम 25 मील दूर आना पड़ता है, तब जाकर कोई साधन मिलता है। मान्यवर, चौरी-चौरा क्षेत्र को देखें तो वहां चमड़ा का उद्योग बम्बई और कलकत्ते से होता है। लेकिन यहां कोई उद्योग-धन्धा नहीं है। यदि चौरी-चौरा में चमड़े का कारखाना खोल दें तो कच्चे माल की सप्लाई यहां से पूरे देश को कर सकते हैं।

मान्यवर, सरदार नगर में गन्ने की मिल है जिससे खुईया पैदा होती है और उससे वहां कागज का उद्योग लगाया जा सकता है, और इसके अलावा यहां जंगल भी हैं। मान्यवर, इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिये सबसे पहले तीन नदियों में एक पुल बनवाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इस बजट में कम से कम एक पुल के निर्माण का प्राविधान अवश्य करें जिससे इस क्षेत्र की जनता समझ सके कि हमें आजादी मिली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब तक हमारे नेताओं की नीयत साफ नहीं होगी तब तक इस प्रदेश की प्रगति नहीं होगी। यहां 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। इसमें 50 प्रतिशत मजदूर भूमिहीन हैं इसलिये वे मजदूरी पर निर्भर हैं अतः उनके विकास के लिये जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक हमारी तरक्की नहीं होगी।

मान्यवर, हमारे साथियों ने कहा कि यहां गल्ले के दाम बढ़ाये जाने चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत जहां भूमिहीन किसान झोपड़ियों में रहते हैं जिनके पास मकान नहीं हैं और जिनको भोजन और कपड़े की आवश्यकता है तो गल्ले के दाम बढ़ायेंगे तो वह भूखों मर जायेंगे। इसके अलावा मान्यवर, हर आदमी कहता है कि हमारे दिलों में हरिजनों के प्रति हमदर्दी है तो मैं पूछना चाहता कि वह हरिजनों और गरीबों के लिये क्या कर रहे हैं। मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कांग्रेस सरकार ने तय किया था कि गांवों को हम लिंक रोड से जोड़ेंगे लेकिन दुर्भाग्य से देश में सूखा आ गया तो जनता सरकार

ने जनता के राहत के लिये खाद्यान्न योजना शुरू किया । तो उसमें जो प्राविधान था उसके विपरीत तमाम भ्रष्ट लोगों ने घूस खाकर मजदूरों को 5 किलो अनाज देने के बजाय 2–3 किलो ही गल्ला दिया और पिछली सरकार के वर्कर्स ने उस बचे गल्ले को दुकानदारों को ऊंचे दाम में बेच दिया ।

मान्यवर, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत स्कीम अच्छी चलाई गयी थी लेकिन उससे किसी का उदय नहीं हुआ बल्कि गरीबों का अन्त हुआ क्योंकि प्राविधान था कि जिसकी आमदनी 200 और 300 रुपये होगी उसको ही इस योजना के अन्तर्गत पैसा दिया जायेगा लेकिन इसमें भी 75 प्रतिशत लोग ऐसे अनुदान पाये हैं जो उसके हकदार नहीं थे और इससे गरीबों को इस का लाभ नहीं मिला ।

मान्यवर, अन्त में मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां एक पुल का निर्माण कराने पर अवश्य विचार कर प्राविधान बजट में कर दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

मान्यवर ,मुझे आपने बजट पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं । मान्यवर, यहां बड़ी चर्चा चली । कहा गया कि ये किसानों के हितैषी हैं । गन्ना चीनी की बढ़ोत्तरी की बात कही गयी । मान्यवर, मैं इन्हें एक आंकड़ा देना चाहता हूं । मान्यवर, बजट में जो विषमता है उसे सरकार कितना दूर कर सकेगी यह आने वाले दिनों में अपने आप इन के सामने आ जायगा । मान्यवर, विषमता का आंकड़ा है मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे ये जूनियर इंजीनियर हैं अच्छे तबके के लोग हैं जिनके घर की औरतों का जितने का पाउडर एक सप्ताह में खर्च होता है उतने के हमारे गांव की गरीब घर की औरत पूरे वर्ष में वस्त्र पहनती है । यह है आंकड़ा । यहां हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी उपस्थित हैं जितने रुपये का एक सप्ताह में यह पान खा जाते हैं उतने ही का हमारे गांव का साधारण आदमी वर्ष में वस्त्र पहनता है । यह विषमता किस प्रकार इस बजट से दूर होगी.....

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य पान का प्राविधान बजट में नहीं है...

श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

ऐसे ही कह गया था, मान्यवर । चीनी के बारे में यहां एक माननीय सदस्य ने पिछली बार कहा था कि दस लाख टन तक चीनी का उत्पादन हुआ । दस लाख टन दोहरी नीति पर 65 प्रतिशत के हिसाब से 6 लाख 50 हजार टन जब सरकारी कोटे के हिसाब में जायगी तो उसमें से 2/3 टन ब्लैक में चली जाती है । 4 लाख 20 हजार टन चीनी मान्यवर, ब्लैक में जाती है जिससे 1 अरब 26 करोड़ ब्लैक मनी पूरे वर्ष में हो जायगी । एक अरब 26 करोड़ ब्लैक मनी से महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा ।

मान्यवर, ऐसे ही किसानों की बात करते हैं । खाद के बारे में कहना चाहता हूं । हमारी भी सरकार थी माननीय चौधरी चरण सिंह की सरकार थी । उन्होंने खाद का दाम कम किया तो आदेश जिस दिन से लागू किये उसी दिन से कम कीमत पर । खाद के दाम कम होने से सेठों को घाटा हुआ महाजनों को घाटा हुआ । इस सरकार जिसने दिन से खाद के दाम बढ़ाये तो उसी दिन से लागू कर दिये । माना यह अधिकार केन्द्र सरकार को था लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो पुराने रेट पर उसे बिकवाती । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अपने जिले में एक सेठ को एक ही दिन

[श्री माता प्रसाद पांडेय---]

में 15 लाख रुपये का फायदा हो गया। किसका पैसा था। गांव के भूखे, नंगे, किसानों का जिन को आप ने देखा है जिन के लड़के फीस के अभाव में स्कूल में पढ़ नहीं सकते। भूखे, नंगे, लोगों के जेब का पैसा महाजनों के घरों में चला जाता है। वे सेठ बनें कार में चलेंगे। यह किसान समर्थक हैं और हम किसान विरोधी। हमारी सरकार ने सेठों का पैसा गरीब के घर में भेजा हम किसान विरोधी हो गए और वे किसान समर्थक।

इसी प्रकार और आगे कहना चाहता हूं। यहां एक नारा दिया जाता है कि कोई तबादला नहीं होगा मैं कहता हूं इनको अधिकार है तबादला करने का। अपने जिले के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी है। उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। उनकी जगह पर पोस्टिंग कर दी गई। दूसरे आदमी ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन आप जानते हैं कि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसे पनपता है। उस आदमी को फिर से वापस भेज दिया गया। मैं कहता हूं कि जिस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वहां ज्वाइन किया वह टी० ए०, डी० ए० नहीं लेगा और वापस जायगा तो टी० ए०, डी० एल० नहीं लेगा। किसान का पैसा, गरीब का पैसा यह सरकार किस मनमाने ढंग से खर्च कर रही है मैं कहना चाहूंगा हूं कि इस देश की, प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिए इस बजट में व्यवस्था क्या है?

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। एक माननीय सदस्य ने एक बात कही थी इस सदन में कि उन के वहां की एक इंच जमीन पर पक्की सड़क नहीं है। मान्यवर, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी ऐसे गांव जहां के लोग अब भी गढढे से पानी पीते हैं, कुऐं तक नहीं बने। अभी जब वहां का सवाल उठा तो ए० डी० एम० महोदय ने उस क्षेत्र को देखा और कहा कि यह सचमुच पिछड़ा क्षेत्र है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जिस की समस्यायों को स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। जहां के लोग गढ़ढों से पानी पीते हैं, जहां कुंआ न हो, वहां सड़क की क्या व्यवस्था होगी, वहां स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी? यह अपने आप कहने की आवश्यकता नहीं है। कानून और व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि हमने उसे ठीक कर दिया। इसके ज्वलन्त उदाहरण आपके सामने आये दिन आ रहे है। अभी थोड़े ही दिन हुये हमारे बस्ती जिले के एक श्री उपाध्याय जो भूतपूर्व एम० एल० सी० थे उनको मार दिया गया। उन्हीं के दरवाजे से गोली मारकर लोग साइकिल से भाग गये लेकिन आजतक उनकी कोई पकड़ नहीं हो सकी। कोई सुनवाई नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ सदन को अवगत करना चाहता हूं कि यह स्थिति किस तरह से ठीक होगी। आज यहां पर तस्करी बड़े जोरों पर हो रही है और हमारे नेतागण इसमें तल्लीन हैं। मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो तस्कर इमरजेन्सी में भारत में नहीं आने पाया, उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर नहीं आने पाया आज वही तस्कर मंत्री जी की कार में घूमते हुये नजर आते हैं। मैं नहीं कहता कि उनका किसी मंत्री से पारस्परिक सम्बन्ध है या नहीं है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा करके इस प्रदेश को नैपाल के हाथों गिरवी रख देंगे। आज तस्करी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमारे कस्टम और पुलिस के लोग दस-दस और पंद्रह-पन्द्रह लाख का सामान पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं मामले उठाये जाते हैं किन्तु कुछ नहीं होता है। आप कानून और व्यवस्था की बात करते है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ इस तस्करी को ही केवल रोक दें तब भी मैं समझूंगा कि आप वास्तव में कुछ जनता की भलाई करना चाहते है और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये कटिबद्ध है। लेकिन आपकी सरकार तो सत्याग्रहियों पर लाठी चलायेगी और तस्कर आपकी कार में घूमेंगे। इससे कभी कानून व्यवस्था ठीक हो पायेगी। यह नहीं हो सकता है।

मैं अपने क्षत्र के बारे में भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के लिए पूर्वांचल विकास निगम भी आपने बनाये थे। वे किस तरह

से काम कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। वहां पर एक राइस मिल है उसके लिये एक मशीन खरीदी गई पर वह चली नहीं लेकिन बाद में जब मने पूछा तो मालूम हुआ कि वह मशीन ही गलत खरीदी गई है। सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। उस क्षेत्र में एक खांडसारी मिल लगाई गई थी किन्तु वह भी नहीं चल रही है। इसलिये मैं सरकार से और उसमें बैठे हुये उसके कर्णधारों से कहना चाहूंगा कि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिये वह सोचें। मान्यवर, मेरा जिला बस्ती है और यह बहुत पिछड़ा हुआ है ....

श्री अध्यक्ष --

आपका समय समाप्त हो गया

श्री माता प्रसाद पाण्डेय --

श्रीमन्, दो मिनट में समाप्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा रूरल आबादी का सबसे बड़ा जिला बस्ती है। वहां कोई उद्योग धन्धा नहीं है। एक प्लास्टिक का कारखाना बनाया गया है वह भी चला नहीं है। हमारे जिले के लोग लखनऊ और कानपुर रिक्शा चलाने के लिये आते हैं। मान्यवर, यदि आप किन्हीं 10 रिक्शा चालकों में यहां पर पूछें तो उसमें से एक अवश्य बस्ती का होगा। वहां लोग ठेला चलाने वाले यहां अपने रोजगार के लिये आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां के लिये वे योजना बनायें।

श्री भानु प्रताप सिंह --

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट पर जो चर्चा हो रही है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, मैंने अपने नेताओं को और उधर से जो हमारे साथी विरोध पक्ष के लोग बैठे हैं उनके विचारों को सुना। सरकार को दिशा देना और सही रास्ते पर चलाना हमारे जो साथी विरोध में हैं, उनका यह मौलिक अधिकार है। मैं मुख्य मंत्री जी से और अपने नेताओं से आशा करता हूं कि जब लोग हमारे जो मंत्रीगण हैं, वे उनकी भावनाओं का आदर करेंगे। और आजतक हमेशा आदर किया गया है। मान्यवर, हमारे कई वरिष्ठ साथी जो यहां हैं उन्होंने अक्सर कहा कि हमारी बात सरकार में नहीं सुनी जाती है और विरोधी लोगों की आवाज दबाई जाती है और लगता है कि सारा शासन तंत्र उनके विरुद्ध कर दिया गया है। मान्यवर, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने अभी अभी देखा कि हमारे वरिष्ठ साथी रियासत साहब बड़े विश्वास के साथ हमारे मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य के पास गये और उनको जो आशा थी उसको रखा। मान्यवर, जब यह कहा जाता है कि सुनी नहीं जाती तो मुझे ख्याल आता है और एक शेर याद आता है "कौन कहता है कि इनमें नहीं है बूए वफा जब भी मिलते हैं यह फरियाद तो सुनते हैं" --तो जब भी (विरोधी) किसी के पास जाते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग बड़े आदर के साथ मिलते हैं हमें तो वह सौभाग्य नहीं मिलता है जो कि इधर के लोगों को मिलता है (व्यवधान) हम ने अभी ऐसे काम नहीं किये हैं जो उधर बैठना पड़े, हम कुछ करना चाहते हैं प्रदेश की जनता के लिए। उनका कहना है कि मुझे अवसर मिला है सरकार के विरोध में बैठने का, मिला है यह सही है।

मान्यवर, मुझे एक बात अजीब लगती है जब बागपत कांड की चर्चा होती है यह 19 जुलाई के ब्लिट्ज में आया है जिसमें एक व्यक्ति ने बयान दिया है, जो बरेली का रहने वाला है, कि पुलिस ने जो बरबरता की उसने उसे चश्मदीद अपनी आखों से देखा उसका नाम नुरुद्दीन है जो बरेली जनपद का रहने वाला है, वह जिस परिवार से आता है उसमें वह तीन भाई है और भगवान की दया से वह सब हिस्ट्री शीटर हैं और क्रिमिनल हैं। 10-10 और 12-12

[श्री भानुप्रताप सिंह—]

मुकदमों मे फंसे हुए हैं, एब्सकांड, फरार हो गये हैं और आज तक हाजिर नहीं हुए हैं। तो उनको कोई भला आदमी गवाही देने को नहीं मिला तो भाई सुरुउद्दीन को पेश कर दिया। हमारे मुअजिज मित्रों को पूरे बागपत में कोई और भला आदमी नहीं मिला। मेरा कहना है कि शासन उसको आज तक क्यों बंद नहीं कर सका, पुलिस ने उसको जो इतने मुकदमों में (Wanted) वान्टेड हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बात की भी वह जांच करायें, कि क्या मैंने जो कहा है वह अपने में सत्य है या असत्य है। आज हमारे ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं लेकिन मैं दिसम्बर 17 ता0 की एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं वहां बरेली भोजीपुरा मेरे क्षेत्र में कंजड़जाति की औरत सरस्वती के पति की कुछ गुण्डों एवं पुलिस के एक सिपाही द्वारा हत्या कर दी गई मैंने उसमें बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, वहां के जो थानाध्यक्ष तत्कालीन थे उन्होंने उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी और उसे बे-इज्जत करके थाने से भगा दिया। जब चार छै रोज बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए और नयी सरकार बनी तो हम सब उस स्त्री को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब तक आप वापस जायेंगे ऐक्शन हो चुका होगा।

मान्यवर, मैं बड़े धैर्य और विश्वास के साथ आपके माध्यम से सदन को और आपको बताना चाहता हूं कि बरेली जब हम दो/तीन दिन बाद आए तो वहां सारे अपराधी पकड़े जा चुके थे और सारे लोगों के खिलाफ समुचित ऐक्शन हो चुका था। यह मिसाल जनता पार्टी के समय की थी। (व्यवधान) प्रदेश की पुलिस ने वहां के निर्देश पर यह किया था और जो आपकी उस समय की खराबियां थी वह जनता के सामने उभड़ कर सामने आई थीं आपका जनताके प्रति जो स्नेह है वह इतना हीहै कि आप उनकी कोई मदद नहीं करना चाहते हैं। मेरा निवेदनहै कि सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समुचित समन्वय हो मुख्यमंत्रीजी और दूसरे मंत्रिगण यह करवा दें तो विकास की गति अच्छी हो जाएगी और जो धीमे काम होता है, जिससे लगता है कि सरकार कोई काम करना नहीं चाहती है, तो उसकी सही जानकारी जनता को बहुत शीघ्रता के साथ मिल सकेगी। एक दूसरी बात यह है कि जहां भी आज काम हो रहे हैं, मान्यवर, रिजवी साहब के पास वह विभाग है, उनमें थोड़ी शिथिलता पाई गई है, यदि जिलों में उसके लिए एक कमेटी बना दी जाए और सम्बन्धित जिले के विधायक उसके सदस्य बना दिए जांए तो जो निर्माण के काम हैं,जिनमें जो थोड़ी गल्तियां हो रहीं हैं वह दुरूस्त की जा सकती हैं और उसकी गति में तेजी लाई जा सकती है उससे यह भी लगेगा कि अब कुछ काम हो रहा है और अधिकारियों की अकर्मण्यता भी दूर हो सकेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विद्यालयों की दयनीय स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री भानु प्रताप सिंह—

तो कल के लिए हमें समय दे दीजिए, अभी मेरा समय बाकी है, केवल 10 मिनट बोला हूं। कल के लिए कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप एक मिनट में खत्म कर लें।

श्री भानु प्रताप सिंह---

ठीक है। समाप्त करता हूं। विद्यालयों की जो स्थिति उसमें थोड़ा परिवर्तन करके गति लाने की आवश्यकता है। वहां बेसिक शिक्षा स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी बहुत ढ़िलाई है। अध्यापक विद्यालय में जाते नहीं हैं और अधिकारी उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सरकार कोई कमेटी बना दे ताकि सभी विधायकों को अपने विचार प्रकट करने का और शासन के निर्देश को लागू करने का मौका मिले। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष---

अब यह चर्चा स्थगित होती है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

मुझे एक सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 6 अगस्त, 1980 की बैठक में यह संस्तुति की है कि दिनांक 7 अगस्त, 1980 को पूर्व स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त, सायंकाल 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण का प्रस्ताव लिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना आज सदन में अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना आज सदन में अध्यक्ष द्वारा दी गई, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं, जिनमें से एक सूचना श्री शिवानन्द नौटियाल की जोकि 29 जुलाई, 1980 को देश के उत्तरी भाग में भारी भूकम्प से हुयी क्षति के सम्बन्ध में है, स्वीकार की गयी है। शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयी है।

[समय 5 बजकर 5 मिनट अपराह्न से]

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मैडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश होम्योकपैथिक मैडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, देखने में तो यह संशोधन विधेयक बहुत ही सरल और छोटा सा है लेकिन इसमें नियंत्रक की नियुक्ति की कालावधि बढ़ाने का अधिकार सरकार प्राप्त कर रही है लेकिन इसके पीछे से जो दृष्टिकोण है वह बड़ा ही गम्भीर है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि वहां पर इस पर विस्तार से विचार हो सके। इस सम्बन्ध में, मैं 3–4 बातों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन उद्देश्यों से नियंत्रक की नियुक्ति की गयी थी वह अभी पूरे नहीं हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य यह था होम्योपैथिक बोर्ड में बड़ी अनियमिततायें थी भ्रष्टाचार था। तो इनको खत्म करने के लिए बोर्ड को भंग करते लेकिन उन्होंने 2 वर्ष के लिए बोर्ड का एक नियंत्रक नियुक्त करते जिसका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्राविधान कर दिया। अब इस सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये थी कि वह इसके भ्रष्टाचार को दूर करके कोई नयी व्यवस्था लाते जनतंत्र में जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन होने पर अगर उनसे कोई गल्ती होती है तो ऐसा होना चाहिये कि जो गलत आदमी आ गये हों उनको बदला जाय। अब यहां पर 2–3 साल के बाद 5–6 साल की अनुमति दे रहे हैं। तो मालूम होता है कि इनकी नया बोर्ड गठन करने की मन्शा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। काम क्या था, काम यह था कि भ्रष्टाचार को दूर कर दिया जाय, वह दूर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अभी भी वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो नियंत्रक हैं वे अक्लमन्द नहीं हैं, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहे है।

आगे इसमें लिखा है कि इस सम्बन्ध में न्यायालय में कुछ मामले विचाराधीन हैं। तो देखना यह है कि वे कौन से मामले हैं जो पड़े हैं। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के पृष्ठ 37 पर नियम 125 में हमें अधिकार है कि जिन बातों पर कोई संशोधन विधेयक आधारित होगा उनकी जानकारी हमें देंगे। हम चाहते हैं कि हम देखें कि वे क्या मामले हैं जो न्यायालय में चल रहे है। हमें देखना होगा कि कोई समादेश याचिकायें तो नहीं हैं। इनको देखकर ही इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करने का हमें मौका मिलेगा।

मान्यवर होम्योपैथिक कालिज की बहुत सी समस्यायें हैं। जनता पार्टी की सरकार ने बोर्ड को भंग कर उसके पुर्नगठन करने का इरादा बनाया था और उसके लिये एक 7 सदस्यों की बनायी थी ताकि उनकी समस्याओं पर सर्वांगीण रूप से विचार हो सके। उस कमेटी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी सदन के सामने रखा जाये ताकि हमें उसकी जानकारी हो सके। मगर सरकार का इरादा ऐसा मालूम नहीं देता है।

दूसरी बात यह कि बहुत से होम्योपैथिक कालिजों का एफीलिएस्शन अस्थायी हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा बोर्ड आफ मेडिकल साइन्जेज बनाया जाय जिसमें इनको एफीलिएट कर दिया जाय। निर्वाचित लोगों के हाथों में उसकी व्यवस्था देने में सरकार कतरा रही है और इसीलिये वह यह पावर्स ले रही है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है और इसीलिये मैं मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो विचार करके 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

*श्री रियासत हुसैन---

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस बोर्ड में कुछ इलैक्टेड और कुछ नामिनेटेड लोग थे जिन्हें हटाकर सरकार ने एक कन्ट्रोलर की नियुक्ति की और उसका कार्यकाल अब यह सरकार 6 साल के लिये बढ़ा रही है। 2 साल के बजाय 3 साल कर देती, 4 साल कर देती, 6 साल करने जा रही है। दो साल तो हो गये और अब 4 साल और बढ़ाने जा रही है। (व्यवधान) नामिनेटेड बाडी का काम अब यह एक बरिष्ट अधिकारी करेगा जिसको शासन नियुक्त करेगा। अब इन अधिकारियों के कामों की एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूं। अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, और कल असेम्बली में भी प्रश्न उठा था कि विक्रम डाकू जिन्दा हो गया है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वे शासन को इस बात से तसल्ली दे रहे हैं कि जिस विक्रम के गैंग में एक औरत थी उसके अलावा एक और औरत आ गयी है और उसके आने से यह गैंग अपने आप लड़ कर आपस में ही खत्म हो जायेगा। उनको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यह है आपके अधिकारियों की हैसियत जिनसे आप काम लेना चाहते हैं। इन अधिकारियों के हाथ में आप 6 साल के लिये और होम्योपैथिक वालों की किस्मत सौंपने जा रहे हैं। न मालूम उनको होम्योपैथिक की कुछ जानकारी है भी या नहीं। किस वजह से मंत्री जी इतने समय को बढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी सदन को देना चाहिये।

एक सदस्य--

श्रीमन्, हमें भी थोड़ा सा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष---

अब नहीं, कृपया बैठें।

श्री लोलपलि---

मान्यवर, इसमें बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय सदस्य जो सामने बैठे हैं इन्हीं की हुई यह करतूत है। मैं बहुत आभारी हूं माननीय गुप्ता जी का जिन्होंने अपनी कमियों को कबूल कर लिया है। इन्होंने सही कहा है कि तीन वर्ष पूर्व यह अधिनियम लागू हुआ था। अब यह लागू हुआ था, उसमें यह अवश्य था कि एक यांत्रिक बैठा दिया था। तीन वर्ष तक शासन ने उसमें कुछ नहीं किया। जब होम्योपैथिक छात्रों ने आन्दोलन किया था, तो उनकी मांगों में एक मांग यह थी कि हमारे अलग निदेशालय की स्थापना हो उनकी मांगों में यह मांग थी कि होम्योपैथिक शिक्षा पद्धति सरकारी साधन में और सरकारीकरण से चले। उनकी मांगों में यह मांग थी कि होम्योपैथिक विद्यालय को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय। उनकी मांगें यह थीं कि पांच वर्ष का डिग्री कोर्स किया जाय उनकी इन्टरमीडिएट बायालोजी की मान्यता रखी जाय। यह सब जो मांगें थीं उन पर पूर्व शासन ने विचार किया या, नहीं किया, उनके हड़ताल के लिए कदम उठा लिया और सारी चीजें वैसे ही पड़ी रहीं। अब वर्तमान शासन ने यह निर्णय लिया है कि इनका एक अलग निदेशालय की स्थापना हो। वर्तमान शासन ने यह निर्णय लिया है कि होम्योपैथिक छात्रों की शिक्षा पद्धति डिग्री कोर्स हो, इसे किसी एक यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जाय। सरकारीकरण इसका किया जाय और सरकार इसको चलायें।

(मेजें थपथपाई गयीं)

अब श्रीमन् इसमें कुछ कार्यवाही हो रही है। मैं श्रीमन् यह प्रयास कर रहा हूं कि इस सत्र में ही एक कंप्रोहेंसिव बिल होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के ऊपर इस सदन में पेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लोकपति]

किया जाय कि इसकी शिक्षा पद्धति भविष्य में और आज क्या रहेगी। इसके लिये हमें कुछ समय चाहिए। यह जो अधिनियम का समय 7 अगस्त, 1980 को समाप्त हो रहा है, हमने इसका समय दो वर्ष बढ़ाने के लिये मांग की है, इसलिये कि इस काल के अन्दर हम पूरा कर लेंगे। प्रयास यह होगा कि जो सदन 17 अगस्त के बाद शुरू होने वाला है आपके समक्ष इस बिल को रखूं, आपका मार्गदर्शन लूं ताकि होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक का भविष्य अच्छा बना रहे और सुदूर गांवों में इसकी चिकित्सा हो। यह जो विधेयक लाया हूं, इस पर यह आवश्यकता नहीं है कि इस पर और चर्चा हो और इसको प्रवर समिति में दिया जाय। मेरा निवेदन है कि माननीय गुप्ता जी अपने संशोधन को वापस ले लें और इसको पास करें।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

मंत्री जी के उत्तर के बाद क्या जरूरत है?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, जो 3 वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, उसी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट पर क्या हुआ?

(व्यवधान)

इसलिए मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्होपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1980 कहा जायगा।

2 --उत्तर प्र देश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 53 में, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लोकपति --

श्रीमन्, में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[समय 5 बजकर 22 मिनट अपरान्ह से]

बागपत में पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या एवं एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (ऋणगत)†

श्री अध्यक्ष --

इसके प्रारम्भ होने से पहले में आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज केवल 30 मिनट की चर्चा बागपत काण्ड के संबंध में होनी है जिस पर कल माननीय काशीनाथ मिश्र जी लगभग 3 मिनट बोले थे और इन्हें 10 मिनट का समय दिया गया था, इसके बाद इधर से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बोलना है और इनके बाद इधर से माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण होगा। तो ऐसी परिस्थिति में शायद किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अब इस चर्चा पर बोलने के लिए कृपया समय न मांगे। और माननीय काशीनाथ मिश्र जी से निवेदन है कि वे अपना भाषण समय से समाप्त करें।

*श्री काशीनाथ मिश्र --

मैं मान्यवर, आपका बहुत कम समय लूंगा। मैं कल पुलिस कर्मियों के बारे में बोल रहा था कि सन् 78 में, 79 में और फिर सन् 80 में पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये बलात्कार और अत्याचार के मामलों को लेकर राज्य सभा में सवाल उठाये गये थे।

वर्ष 79 में ऐसे 9 मामले हुए जिनमें 11 सिपाहियों पर अभियोग था। इन 9 मामलों में 4 में मुकदमा चल रहा है, 2 को जांच हो रही है और 3 फाइनल रिपोर्ट के बाद समाप्त हो गये।

---

†दिनांक 5 अगस्त, 1980 की कार्यवाही स।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कार्शीनाथ मिश्र]

वर्ष 1979 में ही 3 सिपाहियों द्वारा ऐसे 3 मामले हुए इनमें एक पर मुकदमा चल रहा है, एक के संबंध में जांच की जा रही है और एक फाइनल रिपोर्ट के उपरांत समाप्त हो गया। इसी प्रकार से वर्ष 1980 में पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार के ऐसे 2 मामले हुए जिनमें एक सब इन्सपेक्टर और 3 सिपाहियों पर अभियोग था। इन दोनों मामलों की जांच की जा रही है। और वर्ष 1980 में ही पुलिस द्वारा महिलाओं पर किये गये अत्याचार का एक ऐसा मामला है जिनमें 3 हेड कान्सटेबुलों पर अभियोग है। इस मामले की भी जांच की जा रही है। इस प्रकार से इस जनता पार्टी के राज्य में अनेकों काण्ड हुए जिनमें बेलक्षी काण्ड, नौतनवां काण्ड तथा नारायणपुर काण्ड आदि मुख्य थे। इन्हीं के राज्य में पुलिस बेलगाम हुए।

यहां पर अगर यह सोचा जाता है कि हम पुलिस को पुशअप कर रहे हैं तो अवश्य कर रहे हैं बदमाशों, अराजक तत्वों डकैतों तथा रहजनों के खिलाफ। ये जो तीन आदमी मारे गये थे बदमाश थे। यह बलबीर सिंह का गिरोह था जो मेरठ का रहने वाला था जिसका चरण सिंह से कुछ न कुछ रिश्ता था और खून, डकैती व कत्ल के कई मामलों में फंसा हुआ था। मैं अपने समाजवादी भाइयों से विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हुकूमत में पुलिस के मानी क्या होते हैं? जन कल्याणकारी राज्य में पुलिस का अपना महत्व है। जो ला एकाइडिंग आदमी है पुलिस उसकी सहयोगी है लेकिन जो कायदे कानून को तोड़ने वाला है अराजक तत्व है चोर, डकैत, राहजन तथा बदमाश है उसके लिये पुलिस राज्य शक्ति की प्रतीक है। जब बदमाश चोर व डकैत से पुलिस की मुठभेड़ होगी तो कुछ न कुछ तो होगा ही। लिहाजा यह कहना कि पुलिस का राज है, गलत है। मोहन सिंह जी की जानकारी के लिये बतला दूं कि जितने भी मुख्य मंत्री इस प्रदेश में आज तक हुए हैं उनमें से विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि "दी बैलेंस आफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन शेल टिट इन फेवर आफ वीकर सेक्शन आफ दी सोसाइटी एंड दि हरिजन्स। शासन कमजोर आदमियों तथा हरिजनों के फेवर में ज्यादा झुकेगा। इसकी जितनी तारीफ की जाय, कम है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

मैं मान्यवर, माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। जब मैं विधेयक को प्रस्तावित कर रहा था उस समय मैंने एक बात कही थी यह ऐसा गंभीर मामला है जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। हम आज इधर बैठे हैं तो कल उधर बैठ सकते हैं। कार्शीनाथ जी की यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ कि जब हम सरकार में थे तो हमसे अमुक गलती हुई। मैं भावनाओं में नहीं जाना चाहता। मान लीजिए कल लोक दल और जनता पार्टी की सरकार थी और उसने कुछ गलत काम कर दिया हो तो क्या सदा सदा के लिये गन्दा और गलत काम आप करना चाहते हैं? महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है। द्रोणाचार्य से पूछा गया कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है आप चुप क्यों हैं आप धर्म नहीं जानते? उन्होंने कहा मैं जानता हूं लेकिन हमारी प्रवृत्ति खत्म हो गयी है। उसी तरह आज दल का मोह इतना ज्यादा हो गया है कि सही को सही कहने को कोई तैयार नहीं है। दल के ऊपर कोई चीज है तो देश है एक नारी की किस्मत का सवाल है। दल के ऊपर उठकर हमको इन बातों पर सोचना चाहिये। इसमें किसी बहस की गुन्जायश नहीं है कि उन लोगों की हत्या कर दी जाय चौराहे पर। बेचारे कार को धक्का लगा रहे थे।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

बेचारे न कहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

थोड़ी देर के लिये मान लीजिये अराजक तत्व थे तो क्या आप यह परम्परा डालना चाहते हैं कि किसी को भी चौराहे पर गोली मार दी जाय ?

श्री ब्रज किशोर--

अगर डकैत है तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपकी बात माने लेता हूं। हमको शासन की नीति का पता चल गया कोई आदमी अगर बुरा है तो उसको कारण बतलाने की जरूरत नहीं है, उसे चौराहे पर गोली मार दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं गुप्ता जी से निवदन करूंगा कि वह शासन की नीति का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी से लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक बड़ी विडम्बना है। बागपत की शर्मनाक घटना को पुलिस द्वारा अपनी शानदार सफलता का बयान किया जा रहा है। मैंने कहा था कि इस पूरी मामले को जूडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और मैंने बधाई भी दी थी। मैं समझता हूं जो जूडीशियल इंक्वायरी हो रही है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो तथ्य मेरे सामने आये हैं जो यह एस0 ओ0 है गौड़ मान्यवर, यह विवाद की बात हो सकती है वहां था या नहीं। मान्यवर, अखबार में यह आया हुआ है और न सरकार की तरफ से और न उनकी तरफ से उसका प्रतिवाद किया गया है, श्रीमती माया त्यागी नंगी हवालात में बैठी थी उसने कहा पानी दे दीजिये, एक सिपाही को दया आ गई उसने कहा इस औरत को पानी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

कल 2 मिनट में खत्म कर रहे थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कल की बात दूसरी थी। मान्यवर, श्री गौड़ ने कहा उसके मुंह में पेशाब कर दो। मान्यवर, इससे धिक्कार की बात क्या हो सकती है।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, मैं श्री गौड़ के बारे में दूसरी बात कहना चाहता हूं अगर यह घटना न हुई होती, अगर यह काण्ड न हो गया होता तो श्री गौड़ निलम्बित हो चुके होते। श्री गौड़ ने आपातकाल में पीलीभीत के एक माननीय सदस्य को मारा था, मामला शाह कमीशन में गया था, एक सदस्य की हत्या में उनका हाथ होने का आरोप है, वह चले गये होते मान्यवर, मैं कह रहा था कि उन पर शाह कमीशन में मामला गया। शाह कमीशन से लिखकर आया कि उनके विरुद्ध दफा 7 की कार्यवाही कर दी जाय। मैं जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि यह जो ट्रांसफर किया गया, माननीय मुख्य मंत्री के आदेश से किया गया है या जो लिखकर आया है दफा 7 की कार्यवाही के लिये कि अपनी ओरिजनल स्थान पर होंगे इसलिये बदायूं भेज दिया गया। मैं जूडीशियल इंक्वायरी की बात

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

इसलिये कहता हूं कि सी0आई0 डी0 की रिपोर्ट जो सरकार ने नियुक्त किया था, सी0आई0 डी0 की रिपोर्ट से साफ-साफ हो गया है उनसे रिकमेंड किया था कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाय। मैं समझता हूं इस बात को दबाने के लिये कि मुकदमा चलाया जाय, जूडीशियल इंक्वायरी को बैठाया गया है। यह बात साफ है। लोकदल के लोग आन्दोलन कर रहे हैं और मेरा नैतिक समर्थन उनके साथ है, इतना बड़ा आन्दोलन किसके लिये हो रहा है। एक बात के लिये हो रहा है। अगर प्राइमाफेसी में पुलिस कर्मी ने गलती की है तो दण्डित किया जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारियों ने गलती की है, अन्याय और अत्याचार किया है तो मैं समझता हूं कि दण्डित किया जाना चाहिये।

मान्यवर, इसे छोटा मामला न समझें। बागपत काण्ड हुआ। अगर इसी तरह से पुलिस कर्मियों को बचाने की चेष्टा में उनका दिमाग गड़बड़ हो रहा है। एक, दो-तीन नहीं सैकड़ों घटनायें ऐसी हैं जिसमें पुलिस कर्मचारियों को अगर आप ऐसे ही बचायेंगे तो आप शासन से बाहर हो जायेंगे। इसमें मैं समझता हूं कि इसकी जांच आवश्यक है और कोई कारण नहीं है कि उनको बचाया जाये।

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष, जी, मैं बहस खतम करने नहीं खड़ा हुआ हूं क्योंकि बागपत की गम्भीरता बहस से परे है लेकिन यह बहस डेढ़ महीने में इतने कलेवर बदल चुकी है कि आज उसका मूल रूप पहचानना भी मुश्किल हो गया है। यह उसी तरह कलवर बदल चुकी है जैसे कि सांप केंचुल छोड़कर नया आ जाये। माया त्यागी तो बिना केंचुल के रह गयीं और यह नया सांप आ गया और इसकी विषेशता आंख और विषेली हो गयी है। इसका सबूत है जो मेरा वक्तव्य इस पटल पर भी रखा गया मान्यवर, उसको भी शायद ध्यान से नहीं पढ़ा गया और भीखा लाल जी ने कहा कि बैंक की डकैती के लिये ये लोग बैठे थे और ऐसा मेरा वक्तव्य था जबकि मेरे वक्तव्य में इसकी चर्चा तक नहीं थी। मान्यवर, यही नहीं जब भावावेश में इस तरह से हो जाता है तो कोई नई बात नहीं है और जब ऐसा हो जाता है तो सत्य ही ओझल हो जाता है। यही बात यहां माननीय नेता विरोधी दल ने कही....

(व्यवधान)

आदान-प्रदान की प्रक्रिया में हम लोग उसको समझते हैं लेकिन उन्होंने यह बात कही कि मेरे वक्तव्य में पुलिस की बात मान ली गई। प्रथम वाक्य था। यहां मैं यह मानता हूं कि पुलिस ने यह जरूर कहा कि श्री ईश्वर त्यागी 395 के चार्ज जरायम में थे। पुलिस ने यह जरूर कहा कि 302 में भी थे। 69 और 80 के बीच में ये सब किये थे। पुलिस ने यह जरूर कहा कि सुरेन्द्र ठाकुर 302 की 4 वारदात किये थे। 10 मुकदमे में फंसे भी थे। पुलिस ने यह जरूर कहा कि राजेन्द्र दत्त गौड़ पर 5 मुकदमे थे जिसमें एक 302 का था लेकिन अगर पुलिस की ही सब बात माननी होती तो मान्यवर, सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी क्यों करायी जाती। आप देखें मैं यहां पर चौधरी चरण सिंह का वह पत्र भी पढ़ना चाहता हूं जोउन्होंने जैलसिंह को लिखा था और उसमें जब सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हो गयी तो उन्होंने यह लम्बा पत्र है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पटल पर भी रख सकता हूं, ज्ञानी जैल सिंह को लिखते हुए कहा कि यू0 पी0 गवर्नमेन्ट सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी को केवल संबंधित मामले में देर करने के लिए करा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी चरण सिह आज सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी को दुहाई देते जा रहे हैं यह पत्र है उनका विश्वास नहीं है इस पर।

श्री राजेन्द्र सिह—

किस तारीख का है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिह—

27 जून का है।

उन्होंने आगे कहा है। परसन्स हू बेयर सूटेड में हैव बीन क्रिमिनल वट द वेयर नाट प्रोक्लेम्ड रेज सच। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष ने हम लोगों के सामने जिस तरह की सेचुएशन लाई उस पर यह हुआ। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की। यही रास्ता था। विरोध पक्ष का हमारी सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी पर विश्वास नहीं है। शासन से परे हमारे सभी रास्ते बन्द हैं सिर्फ न्यायालय है। उस तरफ भी गये। न्यायालय से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। मान्यवर, इस प्रजातन्त्र की प्रणाली में न्यायालय ही वह सूत्र है जो सभी गोलियों को गूथे रहता है। उस पर जिस दिन प्रहार होगा सारी दुनियां बिखर जायेगी। जब न्यायिक जांच का आदेश होते हैं तब क्या होता है आप दखें चौधरी चरण सिह का स्टेटमेंन्ट मेरे पास है।

श्री मोहन सिह --

क्या-क्या निकाल रहे है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिह—

आप परेशान क्यों हैं। डेढ़ महीन तक सुनता रहा थोड़ी दर आप भी सुनें।

मान्यवर, जब आदेश हो जाते है न्यायिक जांच क तब वह कहत ह कि बागपत काण्ड की न्यायिक जांच को कोई आवश्यकता नहीं है जांच कार्य गुप्तचर विभाग के ही जरिये पूरा कराया जाय। मान्यवर, इन परिस्थितियों में शासन के सामने क्या विकल्प था। यही नहीं मैं इससे भी गंभीर तथ्य दूंगा जो विरोधी दल के माध्यम से आया है। हमारे पास श्री रामनरेश यादव जो का पत्र है जिसमें उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है, वह भी मैं सामने रखना चाहता हूं।

एक स्दस्य—

पढ़कर सुनायें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिह—

पढ़कर सुनाता हूं। मेरे नाम पत्र है। हमारी आपसे मांग है कि न्यायिक जांच किसी न्यायालय के जज से कराई जाय। उन तीन व्यक्तियों की निर्मम हत्या को भी न्यायिक जांच का विषय बनाया जाय। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा इसको भी स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भी आन्दोलन, उसके बाद भी इस तरह का स्टैण्ड लेना मैं नहीं समझता कहां तक न्यायिक है। इसके अतिरिक्त मै यह आश्वासन देता हूं कि जो भी दोष होगा उसको दंडित करने में हम लोगों को कोई हिचक नहीं होगी। (मेजें थपथपाने की आवाजें)

प्रथम रिपोर्ट जो आई कमल सिह और किशन सिह का टेलीग्राम आया 20-6-80 का, उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस के दुर्व्यवहार से माया त्यागी का गर्भपात हो गया। माया त्यागी का अंगूठा लगा हुआ पत्र 28-6-80 का पुलिस महानिरीक्षक को जो मिलता है उसमें कहीं गर्भपात का जिक्र नहीं है। एक और कमल सिह का पत्र है कि गर्भपात हुआ है और दूसरी ओर माया त्यागी का पत्र है जिसमें गर्भपात का कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, इस तरह की

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

विरोधात्मक चीजें आ रहीं हैं, इस तरह की दंवदात्मक चीजें आ रही हैं। डाक्टरों की जो रिपोर्ट है उसमें भी दो चीजें हैं। पहली रिपोर्ट में कहते हैं कि बलात्कार की पासीसबिलिटी हैं और दूसरी रिपोर्ट में कहते हैं कि शुक्राणु नहीं पाये गये। मान्यवर, मेरे पास राज नारायण जी का एक पत्र है, उनके हस्ताक्षर से है। मैंने आपके पास इसे दे दिया है। इसको मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। यह 21 जून, 1980 का पत्र है। जनता पार्टी सेक्यूलर, केन्द्रीय कार्यालय, 6—तीनमूर्ति लेन, नई दिल्ली से 21 जून, 1980 को है, राजनारययण जी ने लिखा है, अखबार में छपने के लिये भेजा है। इसमें कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं है। मैं इसे पढ़े दे रहा हूं :—

18 जून, 1980 को ग्राम तलहेटा, थाना—खरखौदा, जिला गाजियाबाद, निवासी श्री ईश्वर चन्द्र त्यागी जो कि दिल्ली में कहीं काम करते है। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश उर्फ माया तथा अन्य दो मित्रों के साथ अपनी ससुराल ग्राम-संलपुट्ठी (रतनपुरी) पुलिस स्टेशन—बागपत जिला -मेरठ, लड़की की शादी में जा रहे थे। लगभग 12 बजे दिन इनकी कार बागपत चौराहे पर पहुंच कर पंचर हो गयी। ये लोग गाड़ी को मेरठ रोड पर सिण्डीकेट बैंक के सामने एक पेड़ के नीचे खड़ी कर पंचर बनवाने लगे। तीनों व्यक्ति गाड़ी से उतर कर समीप की दुकान से चाय-पानी मंगाकर वहीं पीने लगे कि इसी बीच बागपत थानें का सादी वर्दी में एक पुलिस इंसपेक्टर आकर उन लोगों को गाली देने लगा और कहने लगा कि तुम लोग डाकू हो, बदमाश हो। इस पर लोगों ने कहा कि हम लोग कोई चोर, बदमाश नहीं है, बल्कि अमुक स्थान के रहने वाले हैं। जहां हमारी ससुराल है तथा संकलपुट्ठी गांव में शादी में जा रहे हैं। इसी बीच सादी वर्दी में पुलिस इंसपेक्टर की नजर कार में बैठी श्रीमती सुदेश त्यागी पर पड़ी। उसको देखते ही पुलिस इंसपेक्टर कहने लगा कि साले लड़की भी साथ लेकर चलते हो। उन लोगों ने कहा कि यह मेरी धर्मपत्नी है, इसी बीच पुलिस इंसपेक्टर ने कार के पास आकर श्रीमती सुदेश त्यागी की छाती पकड़ ली।

मान्यवर, यह राजनारायण जी की भाषा है मैं इसको सुधार नहीं सकता। (हंसी)

अपनी आंखों के सामने पत्नी का अपमान देखकर ये लोग गाड़ी के पास गये तथा पुलिस इंसपेक्टर से इन लोगों का झगड़ा हो गया। पुलिस इंसपेक्टर भाग कर थाने चला गया और जा कर वहां बताया कि कुछ डाकू चौराहे पर खड़े हैं। मान्यवर, स्टेशन इंचार्ज श्री गौड़ का नाम काट दिया है लिखकर, मान्यवर जरा इसका ध्यान रखिये। यानी कि इनको जानकारी हो गयी थी कि वह नहीं थे। श्री नरेन्द्र पाल सिंह और गुप्ता तथा अन्य पुलिस के लोग राइफलें लेकर चौराहे की ओर दौड़े। पुलिस इंसपेक्टर से झगड़ा होने के बाद ये लोग गाड़ी में धक्का लेकर स्टार्ट कर भाग जाना चाहते थे। अभी गाड़ी में पीछे से धक्का दे ही रहे थे कि चौराहे से ही पुलिस ने फायर कर दिया और एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गायी। गोली लगते ही यह तीनों व्यक्ति गाड़ी की डिग्गी खड़ी कर छिपने की नियत से डिग्गी की आड़ में खड़े हो गये। लेकिन पुलिस वाले बगल में आकर गोली चलाने लगे जिससे 2 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये तथा तीसरा भाग कर वहां पर उपस्थित भीड़में घुस गया। लेकिन पुलिस वाले उसे भीड़ में खींच लाये तथा चौराहे पर खड़ा कर उसे भी गोली से मार दिया—और वह भी मर गया।

इसके बाद, पुलिस के लोग कार के पास जाकर ड्राइवर को बहुत मारा पीटा तथा गाड़ी में बैठी चीखती चिल्लाती श्रीमती सुदेश त्यागी को गाड़ी से बाहर खींच लाये और बागपत चौराहे पर खड़ाकर उसकी चोली फाड़ डाली, तथा साड़ी खींचकर नंगा कर दिया, उसके नंगे होने पर पुलिस के एक सिपाही ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ ही उसके गुप्तांग में एक डंडा घुसेड़ दिया। वह अनाथ लड़की चिल्लाती रही कि मुझे मत मारो पीटो, मेरे

साथ यह सब मत करो, मुझे 5-6 महीने का गर्भ है । गर्भ का नाम सुनते ही पुलिस वाले अथवा कुछ असामाजिक तत्व उसके गुप्तांग से डंडा खींच लिये तथा वहां पर पुलिस के साथ खड़ा पुलिस का एक मुखबिर (दलाल) से कहकर उसके गुप्तांग में हाथ डाल कर उसके बच्चे को बाहर खींच कर सड़क पर फेंक दिया ।

श्रीमती सुदेश को बराबर भयंकर खून जा रहा था कि पुनः पुलिस अथवा कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके गुप्तांगों में डंडा डाल दिया । यह घटना बीच बागपत चौराहे पर हो रही थी जिसको हजारों की तादाद में खड़ी जनता निरीह एवं असहाय आंखों से देख रही थी मान्यवर, अब मैं और अधिक समय पढ़ने का नहीं लूंगा । आप देख सकते है कि इसमें कहीं भी बलात्कार की चर्चा नहीं है । मान्यवर, मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि राज नारायण जी भी तथ्य जानने का प्रयास कर रहे थे । मैं नहीं कहता कि वह गलत या सही कह रहे है लेकिन वह भी एक तथ्य पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे किन्तु एक तथ्य पर नहीं पहुंचे । डाक्टर एक तथ्य पर नहीं पहुंच सके । माया त्यागी भी एक तथ्य पर नहीं पहुंच सकीं । विरोधी पक्ष की भी एक सलाह नहीं हो सकी । कि पहले कहा गया कि सी0आई0डी0 जांच की जाय, बाद में कहा न्यायिक जांच की जाय और फिर कहा कि विस्तार से जांच की जाय तो ऐसे संदर्भ में इस तरह की परिस्थितियों में केवल एक ही हमारे सामने सहारा था कि हम लोग ऐसे स्थान पर इसकी इंक्वारी दे दें जहां पर संदेह न हो सके, जहां शासन का प्रभाव न पड़ सके और इसलिये हमने न्यायिक जांच कराने की घोषणा किया । इसमें भी क्या हुआ कि न्यायालय कें प्रति भी अनास्था दिखाई गयी । न्यायालय का अपमान किया गया । न्यायिक जांच के बहिष्कार की बात की गयी । ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है । यह वही लोग कर रहे है जो ला आफ दि लैण्ड के आधार पर सदन में आये हैं । जिसको जनता ने विश्वास दिया था कि ला आफ दि लैण्ड कायम रखेंगे लेकिन वह ही न्यायिक जांच का बहिष्कार कर रहे है । मान्यवर, यहां तक कि श्री मधुलिमये ने घोषणा की कि हम आन्दोलन करके न्यायालयों को बन्द कर देंगे । तो मान्यवर, इसमें न्यायालय का क्या दोष है क्योंकि हम लोग और सरकार तो दोषी हो सकते है जो कि न्यायिक जांच से पता चल जायेगा । न्यायालय तो शासन के इक्जक्यूटिव से अलग है। बागपत कांड में न्यायालय ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। तो उनको बन्द करने के लिये धरना देकर आन्दोलन चलाया और न्यायालय का घेराव किया । तो मेरा कहना है कि इस संबध में मेरा और शासन का घेराव करते तो कोई मान भी सकता है लेकिन न्यायालयों का घेराव नहीं करना चाहिये । यह उन्हीं लोगो द्वारा घेराव किया जा रहा है जो न्यायालय की दोहाई देते थे ।

मान्यवर, श्री मधूलिमये का एक बयान आया है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं । यह है कि "श्री लिमये जी ने बताया कि कल से हुये 100 सत्याग्रहियों के साथ बागपत में दफा 144 का उल्लंघन कर गिरफ्तारियां देने तथा यदि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो वह शांति-पूर्ण ढंग से कचहरी में घुस कर काम-काज बन्द करने का प्रयास करेंगे ।" पहली बार तीस साल के अन्दर एक व्यक्ति दरखास्त लेकर घूम रहा है कि मुझे गिरफ्तार करो। सरकार पर रोष किया जाता था कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं । यह प्रथम बार इतिहास में है कि दरखास्त लेकर फिर रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करो, इस पर नाराज हो रहे हैं । मान्यवर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि माया त्यागी के साथ क्या हुआ।संतोष इस पर नहीं है कि न्यायिक जांच को गंभीरता से तथ्य पर पहुंचने दिया जाय । केवल लक्ष्य एक है कि गिरफ्तार हों जायें एक नेता हो जांय · · (शोर) इसके राजनीतिक लक्ष्य में पहुंचे। उधर न्यायालय बन्द करने का आन्दोलन चला रहे थे । न्यायालय सही तथ्य पर पहुंचे इसके लिए पूरे तथ्य शासन के बदल दिये । गोड़ वहां पर नहीं हैं । प्रश्न पूछा गया था । पीलीभीत में मुकदमें के सिलसिले में जाना था । शासन रोक कैसे सकता था प्रशासनिक दृष्टि से जाना पड़ा हमने दंडित किया

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

है । बाराबंकी में दण्डित किया, आगरा में एक डी0एस0ओ0 को, इलाहाबाद की बात है वहां के थानेदार को 307 के मुकदमे में सस्पेन्ड कर दिया गया । हम लोगों के हाथ कमजोर नहीं है । पुलिस ने कोई कमी की है तो हम लोग कड़े कदम उठाते हैं ।

मैं आप के सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूं । एक महीने के अंदर शासन ने 18 सब-इन्सपेक्टर, 16 हैड कानस्टेबल, 98 कान्सटेबल और एक इन्सपेक्टर को निलम्बित किया है । शायद ही हम आप लोगों ने कभी किया हो ।

मान्यवर, यह भी कहा गया, फखरे आलम साहब ने कहा था कि आप के हाथ खून से रंगे हुए हैं मान्यवर, अगर हमारे खून से रंगे हुये हैं तो खूनी के खून से रंग हुये हैं । आपके दामन (तालियां) में कानपुर के श्रमिकों का खून लगा हुआ है, आपके दामन में पंत नगर के श्रमिकों का खून लगा हुआ है, आपके दामन में आपके आगरे के हरिजनों का खून लगा हुआ है,आप के दामन में फर्रुखाबाद के छात्रों का खून लगा हुआ है, आपके दामन में अलीगढ़ के हमारे हिन्दू, मुसलमान भाईयों का खून लगा हुआ है । यह इतिहास से छूटने वाला नहीं है ।

यही नहीं यह एक सिलसिला निकला है । आंकड़े भी हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता । मान्यवर, बलात्कार की घटना रोज अखबारों में छपती है । बुलन्दशहर की घटना झूठी पाई गई, लहरताला, उन्नाव की झूठी पायी गई, मुरादाबाद की झूठी पाई गई, बरेली की झूठी पाई गयी . . (शोर) मान्यवर, मैं नहीं जानता कि किस मांचे में यह झूठ रात में छापा जाता है कि सुबह होते ही वह सत्य बन जाता है । मायन्वर, यही नहीं इससे बहुत बड़ी डी-मारलाइजशन होता है । जो लोग सही काम करते है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और गलत काम करने वालों को प्रश्रय मिलता है । इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होती है । जेलों में अत्याचार हुआ, इसके बारे में भी यहां पर बात उठायी गई मैं निवेदन करना चाहत हूं कि कैदियों को क्रिमिनल्स के साथ रखा गया । हम लोग भी जेल गये थे । हमारी संसद सदस्या, राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी महिलाओं के साथ गई थी और उनको भी क्रिमिनल्स के साथ रखा गया हम भी जेल गये , हमको भी रखा गया । (शासन पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई) । इनके शासन काल में ओढ़ने के लिये और बिछाने के लिये एक-एक कम्बल दी गई जब कि चार कम्बलों का प्राविधान था इस तरह से हमारे आदमी भी कुंठित हुये ।

मान्यवर, अब मैं बागपत में हुये लाठी चार्ज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वह शांतिपूर्ण लाठी चार्ज था । जिसके बारे में कहा गया कि ऐसी शांति कि ईटों का प्रहार किया गया और बड़े धीरज के साथ उसमें पुलिस कर्मचारी अहिंसात्मक ढंग से घायल हो गये । एक हमारा एडीशनल एस0पी0 हैं जिसको शांतिपूर्ण ढंग से इतने ईटे पड़े कि उनको 5 स्ट्रिचेच लगे । मान्यवर, मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा । इस दास्तान ने एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया है और उसके लिये बहस करने के लिये अब समय नहीं है । मान्यवर, मेरे पास दो तार आये हैं आपके समर्थकों द्वारा दिलाये गये हैं । एक हमारे संसद सदस्य हैं उन्होंने अपने तार में लिखा है ।

"His wife Jaggu and daughter Geeta died on the spot and Hardev Singh died in the hospital.

एक सदस्य--

यह सब झूठ है . . . (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आप सुने । गरीबों पर अत्याचार नहीं होने दिया जायगा । मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि न्यायिक जांच सामने है और इसमें एक महिला के सम्मान की बात है । उसकी गम्भीरता को देखते हुये यह न्याय दिलाने की पूरी चेष्टा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बज फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
6 अगस्त, 1980 ।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 815 पर)

उन्नाव खण्ड के षष्टम उपखण्ड द्वारा वर्ष 1979–80 में किये गये भुगतान का विवरण ।

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	ठेकेदार को भुगतान की गयी धनराशि
	सर्वश्री—	रु0 पै0
1	लक्ष्मी शंकर तिवारी	7,002.00
2	बलराम सिंह	4,169.00
3	प्यारे लाल	12,065.00
4	ऊधौ	94,360.00
5	सन्तराम	24,677.00
6	मखमली	1,283.00
7	अयोध्या सिंह	11,592.00
8	रामेश्वर प्रसाद	22,952.00
9	विकास	3,371.00
10	कृपा शंकर	84,735.00
11	सतीश चन्द्र बाजपेई	452.00
12	राम नरेश सिंह	343.00
13	राम औतार	1,720.00
14	सरजू	69,966.00
15	लल्लन सिंह	11,911.00
16	उदय बहादुर सिंह	33,678.00
17	अशोक कुमार	712.00
18	इस्लाम खान	674.00
19	तोकीर अहमद	10,557.00
20	इन्द नारायण	14,909.00
21	अभय राज सिंह	5,443.00
22	मो0 जमील	4,350.00
23	लाल बहादुर	35,068.00
24	गोकर्ण सिंह	3,914.00
25	जमाली प्रसाद	1,522.00
26	शंकर दयाल	16,661.00
27	अन्जनी सिंह	2,415.00
28	राम कुमार सिंह	7,093.00
29	कमयोकान्त शुक्ला	13,161.00
30	नसीर अहमद	6,588.00
31	लल्लू प्रसाद	17,710.00
32	चन्द्र किशोर	11,360.00
33	राज कुमार	12,159.00

1	2		3
34	राम चन्द्र सिंह	..	6,563.00
35	इदूया	..	4,173.00
36	सीता राम	..	2,614.00
37	बजरंग सिंह	..	19,254.00
38	राज नारायण	..	88,916.00
39	अयोध्या प्रसाद	..	3,268.00
40	सूर्य बक्श सिंह	..	2,712.00
41	रघुबीर सिंह	..	114,539.00
42	मनोहर सिंह चौहान	..	85,396.00
43	बाबादीन	..	72,697.00
44	चन्द्र पाल सिंह	..	34,531.00
45	बसीर अहमद	..	103,587.00
46	राजबहादुर सिंह पुत्र इकबाल सिंह	..	2,304.00
47	राज बक्श सिंह	..	44,422.00
48	राजाराम	..	13,448.00
49	दुर्गा	..	43,250.00
50	ननकुउना	..	11,637.00
51	सुखदीन	..	4,703.00
52	राजबहादुर सिंह पुत्र श्री शिववालक सिंह	..	34,630.00
53	शिवकंठ सिंह	..	3,766.00
54	राम सनेही	..	34,252.00
52	मो0 नईम	..	40,417.00
56	राम स्वरुप	..	830.00
57	वीर्य नारायण बाजपेई	..	17,893.00
58	भारत सिंह	..	4, 26.00
59	खुदा बक्श	..	4,884.00
60	रामेश्वर	..	226.00
61	गंगा प्रसाद	..	17,522.00
62	वली शंकर पाल	..	30,836.00
63	बैजनाथ	..	33,619.00
		योग ..	14,90,287.00

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 24 वि0 सभा–26–6–82 (2616)–813–(सैग0) ।